मूल्य केवल चार आना

इलाहाबाद—सोमवार; २१ दिसम्बर, १९३१

Price As. 4 only.

वर्ष २
खण्ड १

संख्या १२
पूर्ण संख्या ६२

मनुष्य-मात्र के शुभचिन्तक—स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज

( जिनकी ५वीं बलिदान-जयन्ती २३वीं से २८वीं दिसम्बर तक मनाई जायगी )

वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; २१ दिसम्बर, १६३१ | संख्या १२, पूर्ण संख्या ६२

# श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन गिरफ़्तार कर लिए गए !

## इलाहाबाद में ऑर्डिनेन्स की विरोध-सभा

### मोटर गाड़ियों की ज़ब्ती :: श्री० जवाहरलाल भी गिरफ़्तार होंगे ?

१८ ता० की शाम को इलाहाबाद के पुरुषोत्तमदास पार्क में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन और श्री० शिवमूर्ति ने दफ़ा १४४ के हुक्म द्वारा भाषण करने का निषेध होते हुए भी, उसको भङ्ग किया। सभा में कई हज़ार आदमी थे, जिनमें कितने ही गाँव वाले भी थे।

टण्डन जी के नाम दो दिन पहले ऑर्डिनेन्स की धारा ५ (ख) के अनुसार नोटिस निकाला गया था, जिसमें उनको एक महीने तक म्युनिसिपैलिटी की हद से बाहर न जाने, कोई हड़ताल या सार्वजनिक सभा न करने, ऐसी सभाओं में भाषण न करने और कोई पर्चा या पैमफ़्लेट आदि प्रकाशित न करने की आज्ञा दी गई थी। पर यह नोटिस उनको सभा में आने के केवल दो घण्टे पहले दिया जा सका। इसके लिए पुलिस टण्डन जी को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते परेशान हो गई, पर वे न मिल सके। इसके लिए अधिकारियों ने कितने ही पुलिस सब-इन्स्पेक्टर और कॉन्स्टेबिल भेजे, जो १७ ता० की रात में भी बराबर टण्डन जी के घर के आस-पास फिरते रहे। उनको शक था कि टण्डन जी घर में ही छिपे बैठे हैं। १८ ता० को सुबह पुलिस को ख़बर मिली कि टण्डन जी घर पर नहीं हैं, वरन् किसी गाँव को गए हैं। इस पर इलाहाबाद में बाहर से आने वाली तमाम सड़कों पर पुलिस वाले भेज दिए गए और उन सबके पास टण्डन जी को देने के लिए नोटिस थे। जब दोपहर तक टण्डन जी का पता न लगा तो पुलिस ने नोटिस को उनके मकान पर लगा दिया। इसके बाद क़रीब दो बजे टण्डन जी नैनी की तरफ़ से आते दिखलाई पड़े और एक कॉन्स्टेबिल ने उनकी गाड़ी पुल पर रोक कर नोटिस तामील किया। मालूम हुआ कि इन दो दिनों से वे विद्यापीठ (नैनी) में थे और उसकी भावी व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रबन्ध कर रहे थे।

जब टण्डन जी सभा में पहुँचे तो लोगों ने उत्साहपूर्वक आपका स्वागत किया। आपने अपने ऊपर लगाए गए दफ़ा १४४ और दफ़ा ५ (ख) के हुक्मों की आलोचना करते हुए कहा कि स्थान में खड़े होकर बोलना ऑर्डिनेन्स का सबसे उपयुक्त उत्तर है।

टण्डन जी ने कहा कि ऑर्डिनेन्स ने दिल्ली-समझौते का अन्त कर दिया है और जिन लोगों पर इसकी विभिन्न दफ़ाएँ लगाई गई हैं, उन सबने इसे भङ्ग करने का निश्चय कर लिया है। यू० पी० सरकार ने ऑर्डिनेन्स के समर्थन में जो बयान निकाला है, वह ग़लत बयानों से भरा हुआ है।

इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० शिवमूर्ति ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ इलाहाबाद शहर और ज़िले के निवासियों की तरफ़ से यह सम्मति प्रकट की गई थी कि 'यू० पी० एमरजेन्सी पॉवर्स ऑर्डिनेन्स सरकार की तरफ़ से दिल्ली-समझौते का स्पष्ट रूप से भङ्ग करना है।'

श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन

जो यू० पी० ऑर्डिनेन्स के अनुसार १६ ता० को गिरफ़्तार किए गए हैं।

सोराँव के श्री० गोकुलप्रसाद और फूलपुर के श्री० जैकरण ने प्रस्ताव का समर्थन किया और जनता ने उसे 'पुरुषोत्तमदास की जय' के साथ पास किया।

शहर के कोतवाल-पुलिस ख़ानबहादुर इकराम-हुसैन सभा होते समय पास ही मौजूद थे और पार्क को चारों तरफ़ से कॉन्स्टेबिलों ने घेर रक्खा था। इससे लोगों को आशङ्का थी कि टण्डन जी को सभा में ही पकड़ा जायगा। पर ऐसी कोई घटना उस समय न हुई।

मीटिङ्ग को समाप्त करते हुए टण्डन जी ने कहा कि उनका गिरफ़्तार होना निश्चित है और अपने देशवासियों को उनका अन्तिम सन्देश यही है, कि इस आन्दोलन में, जो अभी आरम्भ हुआ है, वे लोग पूर्णतया अहिंसात्मक रहें।

दूसरे दिन, १६ ता० को, सुबह ६ बजे टण्डन जी अपने घर पर गिरफ़्तार करके नैनी जेल में भेज दिए गए।

अभी अन्य कॉङ्ग्रेसमैनों पर नोटिस जारी होने का समाचार सुनने में नहीं आया है, पर यह सम्भावना जान पड़ती है कि पुलिस कुछ मोटरों पर, जिनमें कॉङ्ग्रेस वाले आते-जाते हैं, क़ब्ज़ा कर लेगी। क्योंकि १८ ता० की सभा में सिटी कोतवाल उन गाड़ियों का नम्बर तथा अन्य आवश्यकीय बातें दरियाफ़्त कर रहे थे, जिन पर चढ़ कर वे लोग आए थे, जिन पर दफ़ा १४४ लगाई गई है।

❀ ❀ ❀

## पण्डित नेहरू जी का बयान

हुबली का १८ तारीख़ का समाचार है कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू आज सुबह धारवाड़ पहुँचे, जहाँ म्युनिसिपैलिटी ने उनको अभिनन्दन-पत्र दिया। उसमें पण्डित जी ने अपने प्रान्त की कठिन परिस्थिति का वर्णन किया और कहा कि वे बड़ी कठिनाई से केवल अपना वायदा पूरा करने के लिए कर्नाटक आ सके हैं। सम्भवतः वे जल्दी ही गिरफ़्तार हो जायँगे, क्योंकि दफ़ा १४४ का हुक्म उनके पीछे-पीछे घूम रहा है।

## टिपरा के मैजिस्ट्रेट की हत्या

### दो बङ्गाली लड़कियाँ गिरफ़्तार

गत १४ दिसम्बर को टिपरा (बङ्गाल) के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० सी० जी० बी० स्टेवेन्स को प्रातःकाल ६ बजे एक बङ्गालिन युवती ने गोली से मार डाला। कहा जाता है कि मि० स्टेवेन्स को मारने वाली कुमारी शान्ति घोष और कुमारी सुनीति चौधरी फ़ैज़-उन-निसा गवर्नमेण्ट हाईस्कूल की ८वें दर्जे की लड़कियाँ हैं। कुमारी शान्ति घोष कुमिल्ला कॉलेज के भूतपूर्व प्रोफ़ेसर देवेन्द्र घोष की कन्या

कहते हैं कि इन लड़कियों ने मैजिस्ट्रेट से कुमिल्ला में तैराकी का दङ्गल कराने के लिए मुलाक़ात की और उनके सामने इसी आशय का एक प्रार्थना-पत्र पेश किया। मैजिस्ट्रेट ने लड़कियों से कहा कि इस सम्बन्ध में अपनी प्राधानाध्यापिका से कहो और यह कह कर

(शेष मैटर ३२वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए)

—कलकत्ता का १७ ता० का समाचार है कि ढाका में सुरेशचन्द्र दे नामक व्यक्ति पकड़ा गया है, जो चटगाँव आर्मरी केस का फ़रार अभियुक्त बतलाया जाता है। मालूम हुआ है कि चटगाँव ज़िले में पुलिस और फ़ौज के घोर प्रयत्न के फल से कितने ही फ़रार अभियुक्तों को वह ज़िला छोड़ कर अन्य स्थानों को चला जाना पड़ा है। मालूम नहीं कि उक्त अभियुक्त इसी कारण ढाका आया था या किसी अन्य कारणवश।

—कानपुर का १६ ता० का समाचार है कि 'प्रताप' सम्पादक श्री० बालकृष्ण शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कप्तान इवटसन के इजलास में गवाहों की सूची पेश की और प्रार्थना की कि उनके जो गवाह अदालत में मौजूद हैं, उनकी गवाही ली जाय। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन गवाहों का ख़र्चा अदालत में बाक़ायदा जमा किया जा चुका है, केवल उन्हीं की गवाही ली जा सकती है। इस पर अभियुक्त ने हाईकोर्ट में अपील करने की इच्छा प्रकट की और मुक़दमा छः दिन के लिए मुल्तवी कर दिया गया।

—पटना का १७ ता० का समाचार है कि राँची के डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस ख़ानबहादुर अहसान कुली ने ढिढ़हा नाम के गाँव में एक घर की तलाशी लेकर एक भरा हुआ पिस्तौल और एक टूटी हुई बन्दूक़ बरामद की है। घर के मालिक लालराम पर आर्म्स-एक्ट के अनुसार मुक़दमा चल रहा है।

—कलकत्ते का १६ ता० का समाचार है कि सिराजुलहक़ उर्फ़ सरोजकुमार बोस और परेशनाथ विश्वास पर दो पिस्तौलों और कुछ कारतूसों के पाए जाने के सम्बन्ध में आर्म्स-एक्ट की बीसवीं दफ़ा और दफ़ा १२०-बी (षड्यन्त्र) के अनुसार मुक़दमा चलाया गया है। उसकी सुनवाई विशेष अदालत द्वारा होगी।

—लाहौर का १७ ता० का समाचार है कि पहली दिसम्बर से वेतन में १० प्रति सैकड़ा कमी होने की सूचना पाकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले मज़दूरों में असन्तोष फैल गया और रोज़ाना मज़दूरी पर काम करने वाले क़रीब ४ हज़ार मज़दूर १०॥ बजे तक बेकार फिरते रहे। ११ बजे उनका एक डेपुटेशन सुप० के पास गया। सुप० ने उनका मामला एजण्ट के पास भेजने का वचन दिया और तब लोग काम पर लगे। सावधानी के ख़्याल से वर्कशॉप पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है।

—बेलगाँव का समाचार है कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू यहाँ हुबली जाने के लिए आए थे। रास्ते में हर एक स्टेशन पर लोगों की भीड़ ने आपका स्वागत किया। शाम को बेलगाँव के चौक में बीस हज़ार दर्शकों की सभा में आपका भाषण हुआ। ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी की तरफ़ से आपको अभिनन्दन-पत्र दिया गया और बानर-सेना ने आपका स्वागत किया।

—कलकत्ता शिक्षा-सम्बन्धी और फ़िल्म कम्पनी के मैनेजर श्री० विनयेन्द्रनाथ सेन, जो सैर करने के लिए टङ्गाइल गए थे, वहीं बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए।

—राजशाही के सेशन्स जज ने ख़ुफ़िया पुलिस के दरोग़ा के घर में बम फेंकने के अभियोग में अभयपद मुकर्जी और गौरगोपाल दत्त नाम के व्यक्तियों को सात-सात वर्ष की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है। जूरी ने अभियुक्तों को निर्दोषी बतलाया था, पर जज ने उनकी सम्मति न मान कर उन्हें दोषी क़रार दिया।

—कलकत्ता कॉरपोरेशन ने टिपरा के मैजिस्ट्रेट मि० स्टीवेन्स की हत्या की निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया है। उसे उपस्थित करते हुए मेयर ने कहा कि गवर्नमेण्ट को इस रोग की उचित दवा करनी चाहिए; क्योंकि ऑर्डिनेन्स बदला लेना और 'समरी ट्रायल' ग़लत दवाएँ हैं और केवल ऊपरी लक्षणों का इलाज करती हैं। देहली म्युनिसिपैलिटी ने भी इसी आशय का एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें ऐसे हिंसात्मक कार्यों को देश की उन्नति में बाधक बतलाया गया है। एक सदस्य ने यह भी कहा कि क्रान्तिकारी आन्दोलन को जड़-मूल से नष्ट करने के लिए सरकार को उचित उपाय करना चाहिए।

—पेशावर ज़िले के बालू नामक गाँव में याक़ूब नामक लाल-कुर्ती वालों के जमादार को डाकुओं ने मारा, जिससे वह १५ ता० को पेशावर के लेडी रीडिङ्ग अस्पताल में मर गया। डाकुओं का अभी पता नहीं लगा है।

## चाँद प्रेस, लिमिटेड

लाला ख़ुशहालचन्द जी, सम्पादक और अध्यक्ष दैनिक 'मिलाप' (उर्दू तथा हिन्दी संस्करण) लाहौर से श्री० सहगल जी को लिखते हैं:—

**'चाँद' कार्यालय ने आपके पुरुषार्थ से समाज तथा देश की जो सेवा की है, वह अकथनीय है, परमात्मा इसका फल आपको देंगे ही, परन्तु आपने इस प्रकार की सेवा का जो मार्ग लोगों को दिखलाया है, इससे हिन्दी-साहित्य कई मञ्ज़िलें तय करके आगे बढ़ गया है। 'चाँद' कार्यालय को एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तन करके आपने इसकी जड़ें पाताल में लगा दी हैं। मैं अपने दोनों पत्रों (हिन्दी 'मिलाप' तथा उर्दू 'मिलाप') में इस पर नोट लिखूँगा × × ×।**

—बम्बई का १७ तारीख़ का समाचार है कि जी० आई० पी० रेलवे के अधिकारियों ने एक नोटिस निकाला है कि यात्रियों की संख्या कम हो जाने के कारण माटुङ्गा वर्कशॉप के कर्मचारियों से सप्ताह में केवल चार दिन काम कराया जायगा। इस पर ३,५०० मज़दूरों ने तब तक के लिए काम करना बन्द कर दिया है, जब तक अधिकारी उनको पुराने नियम से काम करने की अनुमति न दें। अधिकारियों का कहना है कि काम के कम होने से या तो ९०० आदमियों को काम से हटा देना होगा या सब लोगों से सप्ताह में दो दिन कम काम कराना होगा।

—कराची का १६ ता० का समाचार है कि वहाँ की नौजवान-सभा का कार्यालय बन्द कर दिया गया है। सितम्बर मास में उसके प्रेज़िडेण्ट मि० मुबारक-अली को क़ैद की सज़ा दी गई थी और तभी से उसका काम नहीं सँभल सका था।

—नई देहली के 'स्टेट्समैन' ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर विचार करते हुए लिखा है कि—"हम समझते हैं कि महात्मा गाँधी जब भारत लौटेंगे, तो उनको वायसरॉय से समानता के अधिकारों पर समझौता करने वाला न समझा जायगा। गवर्नमेण्ट के मुक़ाबले की दूसरी शक्ति भारत में नहीं है। यह प्रश्न निश्चित रूप से सदा के लिए तय हो चुका है। अब दिल्ली के समझौते का अन्त हो चुका है। उसे एक बार नहीं, वरन् सैकड़ों बार महात्मा गाँधी के अनुयाइयों द्वारा तोड़ा जा चुका। पं० जवाहरलाल नेहरू उसे यू० पी० में भङ्ग कर चुके हैं। बङ्गाल में बरहमपुर ने उस पर पदाघात किया है। अब कॉङ्ग्रेस और गवर्नमेण्ट का मुक़ाबला खुल्लमखुल्ला और घोषित हो चुका है और हमको उसके फल के सम्बन्ध में तनिक भी शङ्का नहीं है।"

—चटगाँव का समाचार है कि ज़िले के भीतरी भाग में बहुत तलाशियाँ ली जा रही हैं, पर अभी तक फ़रार अभियुक्तों का पता नहीं लगा है। हाल में क्रान्तिकारी उपद्रवों की निन्दा करने के लिए कुछ हिन्दू नागरिकों ने एक सभा की थी। चटगाँव का 'आर्मरी रेड-केस' ख़त्म हो चला है और उसका फ़ैसला जनवरी के मध्य तक होने की सम्भावना है।

—'मद्रास मेल' के लन्दन-स्थित सम्वाददाता ने लिखा है कि भारतीय नेताओं के साथ प्रधान-मन्त्री और भारत-मन्त्री की जो बातें हुई थीं, उनके फल-स्वरूप बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स में कुछ संशोधन किए जायँगे, जिनके अनुसार मुक़दमों के फ़ैसलों की प्रिवी कौन्सिल में अपील की जा सकेगी और वायसरॉय तथा लॉ-मेम्बर स्वयं प्रत्येक मुक़दमे के फ़ैसले को देखा करेंगे।

—बम्बई का १६ तारीख़ का समाचार है कि २८ दिसम्बर को महात्मा गाँधी के भारत लौटने पर उनका स्वागत करने के लिए बम्बई में बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं। पर उस दिन सोमवार है और नियमानुसार वे सार्वजनिक सभाओं आदि में बोल न सकेंगे। सरदार पटेल ने महात्मा जी को तार भेजा है कि अपना मौन व्रत पहले ही से आरम्भ कर दें, ताकि उस दिन बोल सकें।

—लखनऊ की पुलिस-परेड में यू० पी० के गवर्नर ने इलाहाबाद के पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० पी० एच० जे० मेजर्स को सी० बी० ई० का और शहर-कोतवाल मि० इकरामहुसैन को ख़ानबहादुर का ख़िताब दिया। गवर्नर ने दोनों की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोगों ने पिछले सत्याग्रह आन्दोलन के समय बहुत चतुराई और योग्यता से काम किया था और आप इन ख़िताबों के वास्तव में अधिकारी हैं।

—कलकत्ते का १७ ता० का समाचार है कि सीतारामपुर स्टेशन के पास किसी ने रेलवे लाइन की पटरी को तोड़ दिया, जिससे बड़ी दुर्घटना हो जाने का भय था। पर रात को १ बज कर बीस मिनट पर एक रेलवे-मिस्त्री वहाँ ठेले पर होकर गुज़रा और पटरी के उखड़े होने के कारण उसका ठेला उतर गया। देखा गया कि किसी ने एक पटरी की तमाम कीलें और 'फिशप्लेट' निकाल दिए हैं। उस रास्ते से दस मिनट बाद ही देहरादून एक्सप्रेस गुज़रने वाली थी। पटरी उसी समय ठीक कर दी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

—लाहौर में एक वकील के मुन्शी की औरत का अपने पति से किसी मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जिस पर वह अपने कपड़े को गले में बाँध कर फाँसी लगा कर मर गई।

—लाहौर की पुलिस ने हरिदत्तसिंह नामक सिपाही को गिरफ़्तार किया है, जो कुछ दिनों पहले अपनी पल्टन से एक बन्दूक़ लेकर भाग गया था। एक कॉन्स्टेबिल को उसके बिस्तर को बहुत लम्बा देख कर शक हुआ और तलाशी लेने पर उसके भीतर से बन्दूक़ बरामद हुई। सिपाही फ़ौजी अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया है।

—ढाका का १७ ता० का समाचार है कि आज दोपहर को वहाँ एक बड़ी सार्वजनिक सभा ढाका के नवाब की अध्यक्षता में हुई। उसमें मि० स्टीवेन्स की हत्या और क्रान्तिकारी आन्दोलन की निन्दा की गई। सभापति ने सरकार को विश्वास दिलाया कि मुसलमान जाति और ढाका के निवासी ऐसे कामों के दबाने में उसकी सहायता करने को तैयार हैं।

—बङ्गलोर का १९ ता० का समाचार है कि आज रात को दीवानबहादुर बी० पी० माधवराव ने मैसूर-अस्पृश्यता-निवारिणी संस्था का उद्घाटन करते हुए कहा कि शीघ्र ही अस्पृश्यता दूर करने की आवश्यकता है। मूल हिन्दुओं ने विश्व का जितना कल्याण किया है, उतना किसी धर्म ने नहीं। उसी पर आज यह कलङ्क लगा हुआ है। हिन्दुत्व की व्यापकता में सब प्रकार के भेद समाविष्ट हैं। वर्णाश्रम का अर्थ है—व्यवसाय के अनुसार विभाजन। पर समय बदल गया है। समितियों को समय और भाव के अनुकूल काम करना चाहिए।

( पहले पृष्ठ का शेषांश )

वह प्रार्थना-पत्र लड़कियों को लौटाने लगे। मैजिस्ट्रेट प्रार्थना-पत्र लौटा ही रहे थे कि इसी बीच में, कहते हैं, दोनों लड़कियों ने मैजिस्ट्रेट की छाती में गोली मारी।

सदर सब डिवीज़नल ऑफ़िसर रायसाहब नेपाल-सेन ने, जो वहाँ उपस्थित थे, उन दोनों लड़कियों को गिरफ़्तार कर लिया। असमतअली नामक एक अर्दली ने हस्तक्षेप किया। उसके भी बाएँ हाथ में ज़ख़्म लगा, मि० स्टेवेन्स तुरन्त ही मर गए। दोनों लड़कियाँ हिरासत में हैं।

## गिरफ्तारी और तलाशियाँ

मि० स्टेवेन्स की हत्या के सम्बन्ध में बहुत से मकानों की तलाशियाँ ली गईं। मि० कामिनीदत्त नामक प्रमुख वकील, जो चटगाँव के हथियारख़ाने पर हमले के मुक़दमे में पैरवी कर रहे थे, श्रीमती इन्दुमतीसिंह, चटगाँव के हथियार ख़ाने पर हमले के कथित नेता की बहिन, तथा अन्य कई व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ़्तार भी किए गए। कॉलेज के विद्यार्थी विभूति बोस और भागिनी सोम भी गिरफ़्तार किए गए। मि० कामिनीदत्त बाद में ज़मानत पर छोड़ दिए गए।

## हत्या की निन्दा

चटगाँव में मि० स्टेवेन्स की हत्या का समाचार पहुँचने पर वहाँ की कचहरियाँ और सरकारी दफ़्तर बन्द हो गए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की एक असाधारण मीटिङ्ग में हत्या की तीव्र निन्दा की गई। चाँदपुर में ख़बर पहुँचने पर कचहरियाँ बन्द हो गईं और बार एसोसिएशन के सदस्यों तथा मुन्सिफ़ों ने एक मीटिङ्ग कर हत्या की घोर निन्दा की। कुमिल्ला में भी कई स्थानों पर सभाएँ की गईं। हमले की ज़ोरदार निन्दा करने के प्रस्ताव पास किए गए।

## मि० स्टेवेन्स का अन्तिम संस्कार

मि० स्टेवेन्स का अन्तिम संस्कार १९ दिसम्बर को फ़ौजी सम्मान के साथ हुआ। अदालतें और शिक्षण संस्थाएँ बन्द रहीं।

❀ ❀ ❀

—महाबीरसिंह और बच्चूसिंह नाम के व्यक्तियों ने नागपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के इजलास में फ़रियाद की है कि उन पर और उनके सात साथियों पर, जब कि वे प्रोफेसरों के कमरे में ताश खेल रहे थे, प्रो० हेटर और उनकी पत्नी ने अंधाधुन्ध गोलियाँ चलाईं, जिससे गनेश नाम का व्यक्ति घायल हुआ। अब ये प्रोफ़ेसर दो-एक दिन में विलायत के लिए रवाना हो रहे हैं। इसलिए मैजिस्ट्रेट को उनकी गिरफ़्तारी के लिए विशेष आज्ञा देनी चाहिए।

कुमिल्ला का १७ ता० का समाचार है कि मि० स्टीवेन्स के बङ्गले पर जो लड़कियाँ पकड़ी गई थीं, उनमें से एक ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है। लड़कियों के पास जो रिवॉल्वर पाए गए हैं, उनके लायसेन्स नहीं लिए गए हैं। इसी दिन सुबह पुलिस ने मनीन्द्रनाथ चौधरी नामक एक कॉलेज के विद्यार्थी को गिरफ़्तार किया।

# वर्तमान

कानपुर-सोमवार १४ दिसम्बर, १९३१

## 'चाँद' की लिमिटेड कम्पनी

यह बात हिन्दी-संसार से छिपी नहीं है कि इलाहाबाद के फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज के सञ्चालक श्री०रामरखसिंह सहगल, 'चाँद' तथा 'भविष्य' द्वारा अपने ज्ञान और साधनों के अनुसार मातृ-भाषा की रोचक सेवा करते आ रहे हैं। दोनों ही पत्र अपने-अपने क्षेत्र में काफ़ी लोक-प्रिय हैं और उनका प्रचार भी यथेष्ट है। लेकिन हिन्दी-संसार में अभी पत्र-सञ्चालन का व्यवसाय सफल व्यवसाय नहीं बन पाया है। कारण यह है कि, लोग अच्छी पूँजी लगा कर इस व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। लगभग सभी पत्रों को घाटा होता रहता है, उनके सञ्चालक अथवा हितैषी मित्र उसकी पूर्ति किया करते हैं। एक बार यदि हिन्दी-प्रेमी व्यवसाय के तौर पर इस कार्य को सफल करके दिखला सकें, तो अच्छा उदाहरण बन सके। इस कार्य के लिए 'चाँद' तथा 'भविष्य' को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनाना, एक ऐसा ही नवीन प्रयास है। सहगल जी ने ४ लाख की पूँजी मान कर इस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का रूप देना चाहा है। उनका कथन है कि एक लाख बीस हज़ार के शेयर सात सज्जनों ने ख़रीद भी लिए हैं।

अच्छा हो, यदि हिन्दी-प्रेमी इस चालू काम में हिस्सा लें, और इस अनूठे व्यवसाय के प्रबन्ध-ज्ञान को हासिल करके हिन्दी में व्यापारिक प्रकाशन कार्य को सफल कर दिखलावें।

—कलकत्ता में १२ ता० को ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन के अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए वायसरॉय ने कहा कि—"हिंसाओं और उपद्रवों के सम्बन्ध में जो विरक्तता का भाव प्रकट किया गया है, मैं भी उससे सहमत हूँ। इस तरह के कार्य इस समय बङ्गाल में बहुत बढ़ गए हैं। यह प्रत्यक्ष है कि अगर इस तरह के कार्यों के प्रतिकार की चेष्टा न की जाय, तो उनका अन्तिम फल यही होगा कि सरकार निकम्मी हो जाएगी, क़ानून और अमन का नाम-निशान भी नहीं रहेगा, और शान्तिप्रिय नागरिकों की जान-माल की रक्षा अपराधी संस्थाओं की दया पर निर्भर होगी। इस तरह की परिस्थिति को मैं और मेरी सरकार किसी तरह सहन नहीं कर सकते और न करना चाहिए। हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि अपनी पू ं शक्ति इस तरह के हिंसात्मक कार्यों का अन्त करने में लगा देंगे।"

—कुमिल्ला का १८ ता० का समाचार है कि अखौरा नामक स्थान में प्रफुल्ल नन्दी नामक एक बी० ए० का विद्यार्थी पकड़ा गया है। १७ ता० की रात को डिप्टी इन्सपेक्टर जेनरल ऑफ़ पुलिस कुमिल्ला पहुँचे। शहर के तमाम मुख्य स्थानों पर पुलिस का पहरा लगा है। अदालत पर भी हथियारबन्द पुलिस का गारद मौजूद रहता है।

—पबना शहर में बाबू गुरुचरण कुन्डू नामक धनी व्यापारी के घर में डाका पड़ा। दस-बारह आदमी हथियार लेकर और मुँह छिपाए हुए एक नौकर के रहने के कमरे में घुस गए और उसे डरा-धमका कर तालियाँ ले ली। पर उनको सिर्फ़ २५० रु० मिल सके, जिसमें से १०० रु० वे उसी जगह छोड़ गए।

—ढाका के दङ्गा के समय चोरी करने और चोरी का माल लेने के सम्बन्ध में पुलिस के असिस्टेण्ट सब-इन्सपेक्टर अब्दुल हमीद पर मुक़दमा चलाया गया था। उसे छः महीने की सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई है।

—रङ्गून का १८ ता० का समाचार है कि ७ विद्रोहियों को २० या २१ दिसम्बर के दिन थारावड्डी जेल में फाँसी दी जायगी। अब तक के नेता सायासान को मिला कर कुल आठ विद्रोहियों को फाँसी दी जा चुकी है। २९ विद्रोहियों के एक दल ने प्रोम ज़िले में एक घर पर हमला किया। उनका उद्देश्य एक मुक़दमे में गवाही देने वाले दो सरकारी गवाहों को मारना था। उनमें से एक तो भाग कर बच गया, पर दूसरा व्यक्ति और उसकी बहिन को विद्रोहियों ने मार डाला।

—१८ ता० का कलकत्ते का समाचार है कि आज सुबह शहर में कितने ही घरों की तलाशियाँ ली गईं और सात बङ्गाली युवक गिरफ़्तार किए गए। उनमें से दो बाद में छोड़ दिए गए, तीन बङ्गाल ऑर्डिनेन्स में नज़रबन्द कर दिए गए। शेष दो पर उत्तरी कलकत्ते में मिलने वाले हथियारों के सम्बन्ध में मुक़दमा चलाया जायगा।

—गत १४ दिसम्बर को लाहौर के हिन्दू होटल पर धावा बोल कर पुलीस ने ९ पिस्तौलें, कुछ गोलियाँ और ३ नवयुवकों को गिरफ़्तार किया। बाद में होटल के बाहर भी एक युवक पकड़ा गया। कहा जाता है कि एक बङ्गाली युवक, जिसने होटल में एक कमरा किराए पर ले रक्खा था, भगा हुआ है! गिरफ़्तार नवयुवकों के नाम मुन्शीराम, कृष्णलाल, केदारनाथ (या सोहनलाल) और बख़्शीराम बताए जाते हैं। इन लोगों को लाहौर के क़िले में रक्खा गया है और स्थानीय सी० आई० डी० ने उनका बयान भी लिया है। उनको १९ दिन तक हवालात में रखने का हुक्म मिला है।

—भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० ए० आर० टोथलिए के बँगले के अहाते में १२ दिसम्बर को बम फेंका गया था। बम के धड़ाके की आवाज़ बङ्गले के नौकरों ने सुना और उन लोगों को बम की चीज़ें अहाते में मिलीं। अहाते के पास एक बिना छुटा हुआ बम भी पाया गया।

—नई दिल्ली का १७ तारीख़ का समाचार है कि वहाँ के मुसलमान एक 'लॉयलिस्ट एसोसिएन' (राजभक्त-सभा) बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। हाजी रशीद अहमद के मकान पर कुछ मुसलमानों की एक प्राइवेट मीटिङ्ग में निश्चय किया गया है कि शीघ्र ही एक बड़ी मीटिङ्ग करके, जिसमें सब स्थानों के प्रतिनिधि हों, एसोसिएशन की स्थापना की जाय। उपस्थित व्यक्तियों की बातचीत से प्रकट होता था कि वे यह कार्य क्रान्तिकारी आन्दोलन और सिविलडिस ओबीडिएंन्स का मुक़ाबला करने को कर रहे हैं। एसोसिएशन एक वालण्टियर कोर, एक मिलीशिया (अनियमित सेना) और एक प्रकाशन बोर्ड की स्थापना करेगी।

—बम्बई का १९ तारीख़ का समाचार है कि कॉङ्ग्रेस प्रेज़िडेण्ट सरदार वल्लभभाई पटेल ने माटुङ्गा में हिन्दुस्तानी सेवादल के महिला-शिक्षा-शिविर का उद्घाटन किया। उस अवसर पर सरदार पटेल और पं० जवाहरलाल नेहरू ने देश की वर्तमान राजनीतिक दशा में शीघ्र हो होने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में कुछ निराशापूर्ण उद्गार प्रकट किए। श्री० पटेल ने कहा कि वे नहीं समझते कि यह शिविर जिस उद्देश्य से खोला जा रहा है वह पूरा होगा। न मालूम सरकार उसके सम्बन्ध में शीघ्र ही क्या कार्रवाई करे। उन्होंने पिछले संग्राम में स्त्रियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनको देख कर सारा संसार आश्चर्य-चकित हो गया है और उसे भारतीय स्त्रियों की शक्ति का प्रमाण मिल गया है। नेहरू जी ने कहा कि अभी तक हमारे संग्राम का अन्त नहीं हुआ है, क्योंकि एक नया संग्राम शीघ्र ही छिड़ने वाला है। श्री० पटेल के समान मुझे भी विश्वास नहीं कि यह शिविर अन्त तक सफलतापूर्वक चल सकेगा। शायद हमको शीघ्र ही इसे छोड़ कर दूसरे कैम्प अर्थात् जेल में जाना पड़े।

—पटने का १६ ता० का समाचार है कि वहाँ एक एक सज्जन आए हैं, जोकि एक पैसे में जूते में पालिश लगाते फिरते हैं। आपका नाम है, श्री० अमल गोस्वामी। वे अपने को ऑक्सफ़ोर्ड यूनीवर्सिटी का ग्रेजुएट बतलाते हैं। उन्होंने यूरोप में चारों ओर भ्रमण किया है और अङ्गरेज़ी, जर्मनी, फ्रेञ्च आदि सभी भाषाएँ बोलते हैं। आप रूस में भी सरकारी नौकरी कर चुके हैं। वे पिछले साल सितम्बर में भारत में आए और तब से जूता साफ़ करके ही अपना जीवन-निर्वाह करने का उन्होंने निश्चय किया है। इसके द्वारा वे हिन्दुस्तान के लोगों को मज़दूरी का महत्व सिखाना चाहते हैं। पिछले साल कलकत्ते में पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि एक चमार अङ्गरेज़ी बोलता है तो सड़क पर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई इस समय वे पटने के धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। वे यहाँ १५ दिनों तक रहेंगे और फिर इलाहाबाद जायँगे।

—पूना का समाचार है कि बम्बई सरकार ने 'शान्तियुग देश सेवा' नामक मराठी पुस्तक को ज़ब्त कर लिया है और पुलिस उसके प्रकाशक के घर से उसकी ५२५ प्रतियाँ उठा ले गई। उनकी लागत १६०० रु० बतलायी जाती है।

—नागपुर का समाचार है कि बी० एन० रेलवे इण्डियन लेबर यूनियन के सेक्रेटरी श्री० रायज़ादा के नौकरी से निकाल दिए जाने से वहाँ के रेलवे वर्कशॉप में हड़ताल हो गई है।

—कानपुर का समाचार है कि ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट मि० रुइकर ने मुस्लिम हाई स्कूल में मज़दूरों की एक सभा में व्याख्यान दिया और इस बात पर खेद प्रकट किया कि हड़ताल को साम्प्रदायिक रूप दे दिया गया है। उन्होंने शीघ्र ही समझौता हो जाने की भी आशा प्रकट की।

—मद्रास का १८ ता० का समाचार है कि मि० नरीमैन ने कॉङ्ग्रेस हाउस में एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कहा कि "सरकार का यह कथन, कि कॉङ्ग्रेस ने देहली के समझौते को तोड़ा है, बिल्कुल ग़लत है। मैं कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी के एक सदस्य की हैसियत से कह सकता हूँ कि कॉङ्ग्रेस ने समझौते का पालन बड़ी ईमानदारी और सचाई से किया है। कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट और मैं इस समझौते के कर्णधार लॉर्ड इर्विन को पञ्च बना कर इस बात का फ़ैसला कराने को तैयार हैं कि समझौते को कॉङ्ग्रेस ने तोड़ा है या सरकार ने?"

—महात्मा गाँधी इटली से गत १४ दिसम्बर को 'पिलसना' जहाज़ द्वारा भारत के लिए रवाना हो गए। इटली में सिगनर मुसोलिनी से महात्मा जी की मुलाक़ात हुई थी और प्रायः आध घण्टे तक भारत के सम्बन्ध में बातें हुईं। इटली के बादशाह की राजकुमारी भी महात्मा जी से मिलने के लिए उनके निवास-स्थान पर आई थीं।

—मालवीय जी के लन्दन से पेरिस पहुँचने पर वहाँ के प्रवासी भारतीयों द्वारा आपका ज़ोरदार स्वागत किया गया। गोलमेज़ के सम्बन्ध में मालवीय जी ने कहा कि भारत स्वतन्त्रता की लड़ाई पुनः आरम्भ करने के लिए पूर्णरूप से तैयार है। आपने कहा कि गोलमेज़ में भारतीय और अङ्गरेज़ों में दो बातों पर विशेष मतभेद रहा है, एक सेना के प्रश्न पर और दूसरे वैदेशिक मामलों में। आपने कहा कि अङ्गरेज़ सरकार इन दो प्रधान बातों पर भारतीयों को अधिकार देने को तैयार नहीं है और भारत बिना ये दोनों अधिकार प्राप्त हुए सन्तुष्ट नहीं हो सकता।

—महात्मा गाँधी को भारत लौटते समय मिश्र की राजधानी कैरो में निमन्त्रित किया गया था और ख़र्च के लिए वहाँ के प्रवासी भारतीयों ने ८०० पौण्ड चन्दा भी कर लिया था। पर महात्मा जी ने उनको लिखा है कि चूँकि स्टीमर स्वेज़ नहर पर नहीं ठहरेगा और इसलिए वे कैरो नहीं जा सकते।

—संसार भर के मुसलमानों की कॉङ्ग्रेस से, जो जरूसलम में हुई थी, लौटते समय सर मुहम्मद इक़बाल ने रूटर के सम्वाददाता से कहा है कि कॉङ्ग्रेस को बहुत सफलता प्राप्त हुई है, पर यह आवश्यक है कि अभी कुछ दिनों तक ऐसी नीति अख़्तियार की जाय, जिससे कोई उसका विरोधी न बन जाय। इस समय हमको अपना सम्पूर्ण ध्यान हेजाज़ रेलवे के निर्माण पर लगाना चाहिए, जिससे मुस्लिम जनता का ध्यान खिंच जाएगा और उसे मुस्लिम कॉङ्ग्रेस पर विश्वास हो जायगा। भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में आपने कहा कि अगर महात्मा गाँधी ने फिर सत्याग्रह संग्राम शुरू किया, तो यह कह सकना कठिन है कि मुसलमानों का क्या रुख़ रहेगा। पर जब तक ब्रिटेन वर्तमान-प्रणाली को जारी रक्खेगा, तब तक वह भारत की राजनीतिक और आर्थिक समस्या को हल न कर सकेगा।

—अभी हाल में रूटर के रोम-स्थित सम्वाददाता ने ख़बर भेजी थी कि म० गाँधी ने एक पत्रकार से कहा है कि वे इङ्गलैण्ड से किसी तरह की आशा नहीं रखते और भारत जाकर स्वाधीनता-संग्राम शुरू कर देंगे। १७ ता० को जब महात्मा जी पोर्ट सईद पहुँचे तो उन्होंने रूटर के सम्वाददाता से कहा कि रोम के अख़बार की ख़बर बिल्कुल बेबुनियाद है और वे राउण्ड-टेबिल कॉन्फ्रेन्स और भावी संग्राम के विषय में तब तक निश्चय नहीं कर सकते जब तक बम्बई पहुँच कर वर्किङ्ग कमिटी से सलाह न कर लें।

—नानकिङ्ग का १७ तारीख़ का समाचार है कि विद्यार्थियों के भयङ्कर दङ्गा करने, सेण्ट्रल डेली न्यूज़ के ऑफ़िस के नष्ट कर देने, और सेण्ट्रल पार्टी के हेड-क्वार्टर को घेर लेने के कारण राजधानी की दशा बड़ी गम्भीर हो गई है। सेना ने दङ्गा करने वालों पर गोली चलाई, पर कोई घायल नहीं हुआ। कितने ही लोग गिरफ़्तार किए गए हैं।

## नए यू० पी० ऑर्डिनन्स की कारगुज़ारियाँ

( १२वें पृष्ठ का शेषांश )

( १२वें पृष्ठ का शेषांश )

### उन्नाव में लाठी-चार्ज

उन्नाव का १७ ता० का समाचार है कि हसनगञ्ज नामक गाँव में कॉङ्ग्रेस की तरफ़ से एक सार्वजनिक सभा की गई थी, जिसमें ४,००० दर्शक मौजूद थे। पुलिस ने मुख्य वक्ता पं० शिवशङ्कर बाजपेयी को गिरफ़्तार कर लिया। जब पुलिस उनको सभा से ले जाने लगी, तो लोगों ने म० गाँधी की जय-ध्वनि की। इस पर पुलिस लाठियों से लोगों को हटाने लगी, जिससे ५० व्यक्तियों को चोट लगने की ख़बर है।

दूसरी सभा बाँगरमऊ में हुई और उसमें डिस्ट्रिक्ट कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट पं० विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी और अन्य व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए। पिछले दो दिनों में ऑर्डिनेन्स के अनुसार १३ गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। कॉङ्ग्रेस के ऑफ़िस की तलाशी भी ली गई और पुलिस कुछ नोटिस उठा ले गई।

### छापेख़ानों में ताला

कानपुर का १७ ता० का समाचार है कि पुलिस ने कॉङ्ग्रेस बुलेटिन को छापने के सम्बन्ध में नेशनल प्रेस और लक्ष्मी प्रेस की तलाशी ली और उनका सामान ताले में बन्द कर दिया। श्री० नवलकिशोर भारतिया की एक मोटर गाड़ी के लिए, जिसके सम्बन्ध में कहा जाता था कि वह आन्दोलन के काम में लाई जाती है, पुलिस लाइन में हाज़िर करने का हुक्म दिया गया है। जब तक दूसरा हुक्म न दिया जाय, वह उसी स्थान में रक्खी जायगी।

### ज़मींदारों को नया आदेश

१७ ता० का समाचार है कि इलाहाबाद के कलक्टर मि० बम्फ़र्ड ने यू० पी० ऑर्डिनेन्स के अनुसार एक नई आज्ञा जारी की है। उसमें गाँवों के ज़मींदारों, नम्बरदारों और मुखियों को आदेश दिया गया है कि वे लगानबन्दी का प्रचार करने वालों को गिरफ़्तार करके थाने पर पहुँचावें। गाँव में जैसे ही कोई कॉङ्ग्रेस वाला पहुँचे, उसकी निगरानी रक्खें और थाने में उसकी सूचना दें। इस बात का ख़ास तौर पर पता लगावें कि वह कहाँ ठहरा है। लगानबन्दी के लिए जो पर्चे बाँटे जाते हों, उनको छीन कर नष्ट कर दें। ज़मींदार और नम्बरदारों को यह भी चेतावनी दी गई है कि वे अगर इन हिदायतों पर ध्यान न देंगे, तो उनको लगान या मालगुज़ारी इकट्ठा करने में किसी तरह की सहायता सरकार की तरफ़ से न दी जायगी।

पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० मेजर्स ने भाड़े की मोटर-लॉरियों और मोटर गाड़ियों के मालिकों और ड्राइवरों के नाम एक सूचना निकाली है कि वे किसी ऐसे कॉङ्ग्रेसमैन को अपनी लॉरी में न ले जायँ, जो देहातों में लगानबन्दी का प्रचार करने जा रहा हो। यदि वे इस आज्ञा को न मानेंगे, तो उन्हें छः मास तक की सज़ा दी जायगी। पुलिस शहर से जाने वाली प्रत्येक लॉरी के मुसाफ़िरों की जाँच करेगी और लॉरी वाले को बतलाएगी कि किस मुसाफ़िर को उतार देना चाहिए।

❀ ❀ ❀

—मौ० शौकतअली को मुस्लिम कॉङ्ग्रेस की कार्य-कारिणी समिति का सदस्य नियत किया गया था। पर कॉङ्ग्रेस की कार्यवाही से असन्तुष्ट होने के कारण उन्होंने इससे इन्कार कर दिया।

# यू० पी० में भी बङ्गाल की तरह 'एमरजेन्सी पॉवर्स ऑर्डिनेन्स'

## क़ानून और अमन की रक्षा :: जनता पर सामूहिक जुर्माना :: गाड़ियों और सवारियों पर अधिकार

## समस्त भारत के अख़बारों पर नियन्त्रण :: लड़कों के बदले बाप या संरक्षकों को सज़ा

नई दिल्ली का १४वीं दिसम्बर का समाचार है कि भारत-सरकार ने 'यूनाइटेड प्रॉविन्सेज़ एमरजेन्सी पॉवर्स ऑर्डिनेन्स' प्रकाशित किया है। इसके साथ ही लखनऊ से प्रान्तीय सरकार ने एक बयान प्रकाशित किया है, जिसमें बतलाया गया है कि उसको परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह सन् १९३१ का १२वाँ ऑर्डिनेन्स है और इसका उद्देश्य ग़ैर-क़ानूनी रूप से सरकारी टैक्स को अदा न करने के लिए भड़काने वालों के विरुद्ध प्रयोग करना है, साथ ही इसके द्वारा संयुक्त प्रान्तीय सरकार को क़ानून और अमन की रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं।

### विशेष अधिकारों की आवश्यकता

चूँकि ऐसी आवश्यकता उपस्थित हो गई है कि जिसके कारण सरकारी टैक्सों को अदा न करने के लिए भड़काने के प्रतिकारार्थ कोई उपाय किया जाय और संयुक्त-प्रान्त की सरकार और उसके अफ़सरों को क़ानून और अमन की रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए जायँ, इसलिए गवर्नर जेनरल ने गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट की ७२वीं धारा के अनुसार नीचे लिखा ऑर्डिनेन्स जारी किया है:—

१—(१) इस ऑर्डिनेन्स का नाम 'सन् १९३१ का यूनाइटेड प्रॉविन्सेज़ एमरजेन्सी ऑर्डिनेन्स' होगा।

### अधिकृति प्रदेश

(२) यह समस्त संयुक्त-प्रान्त पर लागू होगा। सिर्फ़ २१ वीं धारा तमाम ब्रिटिश इण्डिया पर लागू होगी।

(३) उपरोक्त धारा और २१वीं धारा इसी समय से कार्यरूप में परिणत हो जायगी। ऑर्डिनेन्स की शेष धाराएँ इलाहाबाद, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर और इटावा के ज़िलों में फ़ौरन ही काम में आने लगेंगी। इसके सिवाय संयुक्त-प्रान्त की सरकार जिस तारीख़ से चाहे, किसी भी स्थान में इस ऑर्डिनेन्स की तमाम या कुछ धाराएँ जारी कर सकती है।

२—इस ऑर्डिनेन्स में जहाँ 'कोड' शब्द आया है, वहाँ उसका अर्थ सन् १८९८ की क्रिमिनल प्रॉसीजर कोड से है।

## पहला अध्याय

### विशेष अधिकार

३—प्रान्तीय सरकार सरकारी गज़ट में सूचना देकर प्रकाशित कर सकती है कि अमुक स्थान में, जहाँ यह ऑर्डिनेन्स जारी होगा, ज़मीन का लगान या अन्य कोई टैक्स, रेट या सेस सरकार को या अन्य स्थानीय अधिकारी को देना है। ऐसे लगान आदि के विषय में समझा जायगा कि उसकी सूचना दी जा चुकी है।

४—(१) कोई भी व्यक्ति, जिसे इस प्रकार का कोई लगान आदि पाना है, कलक्टर को लिख कर उसे वसूल करने की अर्ज़ी दे सकता है। कलक्टर इस बात का सन्तोषजनक प्रमाण पाने के बाद कि जिस रक़म का दावा किया गया है, वह वास्तव में प्राप्य है, उसे बक़ाया लगान की भाँति वसूल करने की कार्रवाई करेगा।

(२) इस धारा और २३ वीं धारा में जो कुछ कहा गया है, उससे उस व्यक्ति के लगान वसूल करने के अधिकार में कुछ बाधा न पड़ेगी, जिसको कि लगान पाना है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति से वास्तविक से अधिक रक़म वसूल कर ली गई है, तो वह भी उसे उस व्यक्ति से वापस करा सकता है, जिसके लिए कलक्टर ने उसे वसूल किया था।

### व्यक्तियों पर रोक

५—(१) अगर प्रान्तीय सरकार को इस बात का सन्तोषजनक प्रमाण मिल जायगा कि अमुक व्यक्ति ने सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध काम किया है, या करेगा, या करने वाला है, तो वह उसे नीचे लिखे हुक्मों में से कोई हुक्म दे सकती है :—

(क) वह व्यक्ति हुक्म में लिखे गए स्थान में न घुसे या वहाँ न रहे या वहाँ न ठहरे।

(ख) वह व्यक्ति हुक्म में लिखे स्थान में ही रहे।

(ग) हुक्म में लिखे हुए स्थान से हट जाय और वहाँ लौट कर न जाय।

(घ) हुक्म में लिखे अनुसार ढङ्ग से रहे, हुक्म में लिखे कामों से अलग रहे, और अपने अधिकार की किसी चीज़ के विषय में जैसा हुक्म मिले उसे पूरा करे।

लॉर्ड विलिङ्गडन

जिन्होंने बङ्गाल और यू० पी० में अभूतपूर्व कठोर ऑर्डिनेन्स जारी करके लॉर्ड इर्विन की 'लॉर्ड ऑर्डिनेन्स' पदवी को छीन लिया है।

(२) पहली उपधारा के अनुसार जो हुक्म जारी किया जायगा, वह अगर सरकार ने अपने हुक्म में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, तो एक महीने तक अमल में रहेगा।

(३) पहली उपधारा के अनुसार जिस व्यक्ति को हुक्म दिया जायगा, वह उस पर उसी ढङ्ग से तामील किया जायगा, जोकि समन तामील करने के लिए क़ानून द्वारा निश्चित है।

### मकानों और सामान पर अधिकार

६—(१) अगर प्रान्तीय सरकार की सम्मति में कोई ज़मीन या मकान सरकारी नौकरों के रहने या ऑफ़िस के काम के लिए अथवा सेना या पुलिस या क़ैदियों या हवालात में रक्खे गए व्यक्तियों को रखने के लिए काम में आ सकता है, तो सरकार उस ज़मीन या मकान के मालिक या उस पर क़ब्ज़ा रखने वाले व्यक्ति को लिख कर हुक्म देगी कि वह बतलाए हुए समय पर उसे सरकार के हवाले कर दे। उसमें जो कुछ ज़रूरी सामान लगा होगा और मेज़, कुर्सी, पलँग आदि भी हवाले करने होंगे। प्रान्तीय सरकार इन सब चीज़ों को जिस प्रकार आवश्यक समझेगी, व्यवहार करेगी।

(२) इस धारा में मकान का अर्थ किसी भी मकान का कोई हिस्सा या हिस्से होंगे, चाहे उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या न हो।

(३) जिस किसी व्यक्ति को इस धारा के अनुसार काम किए जाने से नुक़सान उठाना पड़ा हो, उसे अर्ज़ी देने पर कलक्टर उचित हर्जाना दिए जाने की आज्ञा दे सकता है।

### किसी स्थान में लोगों को आने-जाने से रोकना और सवारियों पर क़ब्ज़ा

७—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस ऑर्डिनेन्स के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर उचित और आवश्यक समझेगा, तो लिखित-आज्ञा द्वारा सरकार या रेलवे या स्थानीय अधिकारियों के अधिकार में रक्खे गए किसी भी मकान या स्थान के आस-पास या सरकार की जल, स्थल और आकाश-सेना या पुलिस के स्थायी या अस्थायी रूप से रहने की जगहों के आस-पास लोगों का आना-जाना पूर्ण या आंशिक रूप से रोक सकता है।

८—अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का सन्तोषजनक और उचित प्रमाण मिल जायगा कि किसी व्यक्ति ने किसी गाड़ी को या आने-जाने के अन्य साधन को, जो उसके अधिकार में अथवा अधीनता में है, इस तरह इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल कर रहा है या इस्तेमाल करने वाला है, जिससे सार्वजनिक शान्ति में बाधा पड़ती है तो वह उस व्यक्ति को लिख कर उसके सम्बन्ध में हुक्म दे सकेगा और वह उसे नियत समय तक मानना पड़ेगा।

### आवश्यक काम कराना

९—कोई भी सरकारी अफ़सर, जिसे सरकार ने आम या ख़ास हुक्म द्वारा इस बात का अख़्तियार दिया हो, इस प्रकार के हुक्म में बतलाए गए किसी स्थान में किसी भी ज़मींदार, गाँव के मुखिया, नम्बरदार, ईनामदार या जागीरदार को किसी भी स्थानीय मेम्बर, अफ़सर या कर्मचारी को, किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षा-सम्बन्धी संस्था के शिक्षक को क़ानून और अमन को क़ायम रखने या गवर्नमेण्ट के अधिकार में रहने वाली सम्पत्ति की रक्षा करने या किसी रेलवे या स्थानीय अधिकारियों के क़ब्ज़े में रहने वाली सम्पत्ति की रक्षा करने के काम में सहायता दे। यह कार्य किस ढङ्ग से और किस हद में किया जायगा, इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देगा।

१०—दण्ड-संग्रह की ९८ वीं धारा के अनुसार तलाशी का वारण्ट जारी करने के अधिकारों में नीचे लिखे अधिकार और शामिल किए गए हैं—(क) अगर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने यह विश्वास करने का कारण हो कि अमुक स्थान में इस ऑर्डिनेन्स में बतलाया गया कोई अपराध या कोई ऐसा काम, जो सार्वजनिक रक्षा और शान्ति के विरुद्ध है किया गया है, किया जा रहा है, किया जाने वाला है अथवा ऐसे किसी अपराध के करने की तैयारी की जा रही है, तो वह उस जगह की तलाशी का वारण्ट जारी कर सकेगा। (ख) इस तरह तलाशी ली जाने वाली जगह में अगर कोई ऐसी चीज़

मिलेगी, जिसके सम्बन्ध में तलाशी लेने वाले अफ़सर को मालूम पड़े कि वह उपरोक्त धारा में कहे गए कार्यों के लिए काम में लाई गई है अथवा काम में लाई जाने वाली है, तो वह उसे अपने क़ब्ज़े में ले सकता है।

११—अगर कोई व्यक्ति इस अध्याय की धाराओं के अनुसार दिए गए हुक्म, आदेश या शर्त का पालन न करेगा या अवहेलना करेगा तो उस हुक्म या आदेश या शर्त का जारी करने वाला अधिकारी उसके विरुद्ध जो उचित समझेगा, कार्रवाई कर सकेगा या करा सकेगा।

## दूसरा अध्याय

### सज़ाएँ

१२—(१) जो कोई लिखित या बोले हुए शब्दों द्वारा, या इशारे द्वारा, या प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व द्वारा या किसी अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति या श्रेणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा सूचित रक़म अदा न करने या अदायगी रोके रहने को भड़काएगा, उसे छः महीने तक की सज़ा दी जाएगी।

(२) कोई भी मैजिस्ट्रेट इस तरह के मुक़दमे की कार्रवाई तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि कोई पुलिस-अफ़सर, जो ओहदे में सब-इन्सपेक्टर से कम न हो अथवा अफ़सर-माल, जो ओहदे में नायब तहसीलदार से कम न हो, अभियोग सम्बन्धी तमाम बातों की रिपोर्ट लिख कर न दे।

१३—जो कोई व्यक्ति दफ़ा ५ के अनुसार दी गई किसी आज्ञा को न मानेगा, उसे दो साल तक की क़ैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जाएँगी।

१४—१३वीं धारा के अभियोग के सिवाय इस अध्याय के अनुसार दिए गए अन्य किसी हुक्म या शर्त को न मानेगा या इसके अनुसार की गई किसी कार्य-वाही में बाधा डालेगा, तो उसे छः महीने तक की क़ैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जाएँगी।

### सरकारी नौकरों को भड़काना

१५—जो कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी या स्थानीय अधिकारियों के नौकर या किसी रेल कर्मचारी को भड़काएगा या भड़काने की कोशिश करेगा, ताकि वह अपने कर्तव्य की परवाह न करे या उसे पूरा न करे, तो उस व्यक्ति को एक साल तक की क़ैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जाएँगी।

१६—जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सरकारी सेना या पुलिस की नौकरी में शामिल होने से रोकेगा या रोकने की चेष्टा करेगा, उसे एक साल तक की क़ैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जाएँगी।

### सामूहिक जुर्माना

१७—(१) जहाँ कहीं प्रान्तीय सरकार को यह मालूम होगा कि किसी मुक़ाम के बाशिन्दे इस तरह के अपराधों या कार्यों से सम्बन्ध रखते हैं, जोकि क़ानून और अमन की रक्षा या सरकारी लगान के लिए हानिकारक हैं, अथवा इस प्रकार के अपराध या कार्य करने वाले लोगों को टिकाए हुए हैं, तो प्रान्तीय सरकार गवर्नमेण्ट गज़ट में सूचना प्रकाशित करके उस मुक़ाम के बाशिन्दों पर सामूहिक रूप से जुर्माना करेगी।

(२) प्रान्तीय सरकार ऐसे मुक़ाम के किसी भी व्यक्ति या श्रेणी या विभाग को ऐसे जुर्माने से पूर्णतः या अंशतः बरी कर सकती है।

(३) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस प्रकार उचित समझेगा, उस प्रकार की जाँच करने के बाद उस जुर्माने की रक़म को निवासियों पर बाँट देगा। इस काम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी बुद्धि से यह सोच कर कि किस व्यक्ति की कितनी हैसियत है, करेगा।

(४) इस जुर्माने का जितना हिस्सा जिस व्यक्ति के ज़िम्मे आएगा, उसे उसको जुर्माने की तौर पर या बक़ाया लगान की तौर पर अदा करना पड़ेगा।

(५) प्रान्तीय सरकार इस तरह वसूल किए गए जुर्माने में से किसी भी शख़्स को, जिसने प्रान्तीय सरकार के मतानुसार स्थानीय बाशिन्दों के ग़ैर-क़ानूनी काम के फल-स्वरूप हानि उठाई हो, हर्जाने के तौर पर कुछ रक़म दे सकती है।

### ज़ब्त साहित्य

१८—जो व्यक्ति किसी ऐसे अख़बार, किताब या अन्य पर्चे जिसको, सरकार ने दफ़ा ९९ या सन् १९३१ के प्रेस एक्ट के अनुसार ज़ब्त कर लिया है, जनता के सामने कोई उद्धरण प्रकाशित करेगा, प्रचार करेगा या पढ़ कर सुनाएगा, तो उसे छः महीने तक की क़ैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जायँगी।

१९—(१) जहाँ कहीं इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार किसी अपराध या सार्वजनिक सुरक्षा और शान्ति के विरुद्ध किए गए किसी आन्दोलन के प्रचार सम्बन्धी अपराध के लिए किसी लड़के को, जिसकी उम्र १६ साल से कम होगी, जुर्माने की सज़ा दी जायगी, तो अदालत हुक्म दे सकेगी कि वह जुर्माना उस लड़के के बाप या संरक्षक से वसूल किया जाय, मानो वह उसी पर किया गया है। इसमें यह ध्यान रक्खा जायगा कि ऐसा हुक्म तब तक न दिया जायगा, जब तक कि बाप या संरक्षक को अदालत में अपील करने का मौक़ा न दिया जाय।

(२) ऐसे मामले में अदालत यह भी आज्ञा दे सकती है कि अगर बाप या संरक्षक जुर्माना अदा न करें, तो जुर्माने के बदले में क़ैद की सज़ा भी उनको दी जाय; मानो लड़के के अपराध के लिए उन्हीं को दोषी मान कर दण्ड दिया गया हो।

## तीसरा अध्याय

### सप्लीमेण्ट

२०—प्रान्तीय सरकार किसी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को धारा ५ की १ली उपधारा या ६ठी धारा के अधिकार दे सकती है।

### अख़बारों पर नियन्त्रण

२१—जब तक यह ऑर्डिनेन्स जारी रहेगा, तब तक सन् १९३१ के प्रेस-एक्ट की चौथी धारा की पहली उपधारा में नीचे लिखा वाक्य भी शामिल समझा जायगा:—

(सी) कोई भी लेख, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में किसी व्यक्ति या श्रेणी को संयुक्त-प्रान्त में सरकार को प्राप्य रक़म, जिसकी सूचना सन् १९३१ के 'यूनाइटेड प्रॉविन्सेज़ एमरजेन्सी ऑर्डिनेन्स' के अनुसार दी जा चुकी है, अदा न करने या रोके रखने के लिए भड़कावे।

(२२) चाहे 'कोड' में कुछ भी विधान क्यों न हो, कोई भी तीसरे दर्जे का मैजिस्ट्रेट इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार दण्डनीय मुक़दमों की कार्रवाई नहीं कर सकता।

### अभय-प्रदान

२३—इस ऑर्डिनेन्स की धाराओं के अनुसार जो कुछ कार्यवाही की जायगी या हुक्म निकाला जायगा, उसके सम्बन्ध में किसी अदालत में ऐतराज़ नहीं उठाया जा सकता और न इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार काम करने के लिए किसी व्यक्ति पर किसी नेकनीयती से किए गए काम के लिए किसी तरह का दीवानी और फ़ौजदारी मामला चलाया जा सकता है।

२४—इस ऑर्डिनेन्स में जो कुछ व्यवस्था की गई है, उसके कारण कोई भी व्यक्ति, किए हुए अपराध के लिए, अन्य क़ानूनों के अनुसार, मुक़दमा चलाए जाने से नहीं बच सकता।

२५-२६—'कोड' में कुछ भी व्यवस्था क्यों न हो, इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार जो अपराध होंगे, उनके लिए ज़मानत न हो सकेगी।

---

# ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में सरकारी बयान

## "ज़िम्मेदारी कॉङ्ग्रेस पर है"::"सरकार ने असीम धीरज से काम लिया है"

यू० पी० गवर्नमेण्ट ने ऑर्डिनेन्स जारी होने के साथ ही एक लम्बा बयान प्रकाशित किया है, जिसमें कॉङ्ग्रेस की उन युद्ध-सम्बन्धी तैयारियों का वर्णन किया है, जोकि दिल्ली के समझौते के अनुसार क्षणिक सन्धि को तोड़ने वाली हैं।

बयान में बतलाया गया है कि देहली-समझौते के पाँच दिन बाद १०वीं मार्च को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इण्डिया कॉङ्ग्रेस कमिटी की तरफ़ से प्रान्तीय कमिटियों के नाम एक सर्क्युलर भेजा, जिसमें उनसे कहा गया था कि वे अपने कार्यकर्ताओं को देहात में भेज दें, जिससे कॉङ्ग्रेस का सङ्गठन मज़बूत हो सके और लोग किसी भी आकस्मिक आवश्यकता के लिए तैयार रहें। "देहली में जो अस्थायी समझौता हुआ है, उसका अर्थ क्षणिक सन्धि है, न कि पूर्ण शान्ति। शान्ति वास्तव में तभी हो सकती है, जब कि हम अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हो जायँ।"

म० गाँधी के इङ्गलैण्ड को रवाना होने के दो दिन बाद पं० जवाहरलाल ने एक और सर्क्युलर निकाला, जिसमें बतलाया गया था कि म० गाँधी की अनुपस्थिति में किस तरह काम करना चाहिए। इसमें इस तरह काम करने का आग्रह किया गया था जिससे "जब म० गाँधी वापस लौटें तो हम उनको हर तरह से मुस्तैद और प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार मिलें।" इसमें तमाम कॉङ्ग्रेस कमिटियों के ग्राम के सङ्गठन और वालण्टियरों के सङ्गठन पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया था।

### शिमला के समझौते के अनुसार रक्षात्मक उपाय

कॉङ्ग्रेस के अधिकारियों का दावा है कि शिमला के समझौते के अनुसार उनको किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर सत्याग्रह द्वारा रक्षात्मक उपाय करने का अधिकार है। पर वास्तव में शिमला के समझौते में ऐसे किसी अधिकार की चर्चा नहीं है। भारत-सरकार ने इसे बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि प्रान्तीय सरकारें अपनी समझ के अनुसार कार्य करने को पूर्ण स्वतन्त्र रहेंगी और उनकी कार्य-प्रणाली कॉङ्ग्रेस के कार्यों पर आधार रखती है। इस वर्ष के अप्रैल के मध्य तक यह स्पष्ट मालूम हो गया कि कॉङ्ग्रेस अपनी शक्ति को दृढ़ कर रही है और अपने प्रभाव को गाँवों में बढ़ाती जाती है। वह गवर्नमेण्ट और ज़मींदारों के बीच में लगान की अदायगी के सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर रही है और सरकार के मुक़ाबले में अपना शासन स्थापित करना चाहती है। कितने ही ज़िलों में ग़ैर-क़ानूनी कार्यों के

अनेकों उदाहरण देखने में आ चुके हैं। इसका स्पष्ट कारण, उन बहुसंख्यक वालण्टियरों का गाँवों में काम करना है, जो वहाँ सरकारी अधिकारियों के प्रति अवज्ञा का भाव फैलाते हैं, किसानों और ज़मींदारों में झगड़े उत्पन्न करते हैं और १०वीं मार्च को निश्चित किए गए कार्यक्रम की पूर्ति की चेष्टा करते रहते हैं।

### 'मि० गाँधी की शरारत'

मि० गाँधी को सरकार ने सूचना भेजी थी कि वह साधारण क़ानून के अनुसार इस परिस्थिति का प्रतिकार करना चाहती है और यदि उनसे काम न चला तो विशेष परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए विशेष अधिकारों से काम लिया जायगा। परिस्थिति की गम्भीरता मि० गाँधी को अच्छी तरह समझा दी गई थी। पर गाँधी जी ने एक मैनीफ़ेस्टो प्रकाशित किया, जिसमें सबसे बड़ी 'शरारत की बात' यह थी कि कॉङ्ग्रेस को यह बात निश्चित करने का अधिकार है कि कौन लगान अदा न किया जाय। उसे किसानों और ज़मींदारों के बीच के झगड़े निबटाने और ज़मींदारों के विरुद्ध शिकायतें सुनने का भी हक़ है।

जून के महीने में पं० जवाहरलाल ने अपने एक भाषण में कहा कि गवर्नमेण्ट ने कॉङ्ग्रेस से समझौते की प्रार्थना की थी और उनका उद्देश्य ज़मींदारों का एकदम ख़ात्मा कर देना है। इसके बाद सितम्बर में कॉङ्ग्रेस की तरफ़ से किसानों की दशा के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें किसानों और ज़मींदारों के बीच में शत्रुता का भाव उत्पन्न करने की चेष्टा की गई और सरकार तथा उसके अधिकारियों पर इल्ज़ाम लगाए गए।

### सरकार का 'असीम धैर्य'

इसके विपरीत प्रान्तीय सरकार इस बात का वास्तव में दावा कर सकती है कि उसने हद दर्जे के धैर्य से काम लिया है। उसने अपनी शक्ति भर किसानों के बोझे को हटाने की चेष्टा की और उनके लगान में एक करोड़ पन्द्रह लाख की कमी करके अपनी आर्थिक स्थिति को कठिनाई में डाल दिया। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि किसान लोग जो ८॥ करोड़ एकड़ ज़मीन जोतते हैं, उसमें से सिर्फ़ ४ लाख एकड़ से उनको बेदख़ल किया गया। जो लोग इस तरह का आन्दोलन फैलाने की चेष्टा कर रहे थे, जोकि देहातों की शान्ति के लिए अत्यन्त घातक हैं, उनके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई करने में सरकार ने बड़े संयम से काम लिया। सरकारी अधिकारियों और ज़मींदारों को जान-बूझ कर ख़ूब बदनाम किया गया और उनके विरुद्ध नाम-मात्र की गवाही पर गन्दे से गन्दे और घृणाजनक इल्ज़ाम लगाए गए।

### एक कॉङ्ग्रेस नेता का पत्र

२१ अक्टूबर को प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट ने तमाम ज़िला और शहर कमिटियों के नाम एक चिट्ठी भेजी, जिसमें कहा गया था कि 'कृषि-सम्बन्धी परिस्थिति हमारे हित की दृष्टि से बड़े लाभ की है और हमको पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगर हम इस सम्बन्ध में थोड़ी भी चेष्टा करेंगे तो प्रान्त भर के समस्त किसान और सब जातियों के लोग हमारे अधिकार में आ जायेंगे।' अभी हाल में प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने पाँच ज़िलों को जो लगानबन्दी का आन्दोलन आरम्भ करने की आज्ञा दी है, वह कॉङ्ग्रेस की नीति को सफल करने के लिए ही है। यह भी घोषणा की गई है कि अन्य ज़िला कमिटियाँ भी इस तरह के आन्दोलन के लिए केवल मन्ज़ूरी की राह देख रही हैं।

# ऑर्डिनेन्स और मार्शल-लॉ में क्या भेद है?

## प्रान्तीय कौन्सिल में सरकार ने विश्वास दिलाया कि विशेष अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जायगा।

१५ ता० को यू० पी० व्यवस्थापक सभा के अधिवेशन में श्री० चिन्तामणि ने नवीन यू० पी० एमरजेन्सी पॉवर्स ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में बहस होने के लिए कौन्सिल की कार्रवाई स्थगित करने का नोटिस दिया। प्रेज़िडेण्ट ने बहुत-कुछ बहस होने के बाद शाम को ४ बजे इस विषय पर वादविवाद होने का निर्णय किया।

श्री० चिन्तामणि ने कहा कि यद्यपि यह ऑर्डिनेन्स गवर्नर-जनरल द्वारा जारी किया गया है, पर यह असम्भव है कि यह कार्रवाई भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकार में सलाह-मशविरा हुए बिना की गई हो। प्रश्न यह है कि यह ऑर्डिनेन्स क्यों जारी किया गया? इसका उत्तर प्रत्यक्ष में तो यही है कि कॉङ्ग्रेस ने लगानबन्दी का आन्दोलन आरम्भ किया है और इसलिए सरकार ने अपने लिए उन विशेष अधिकारों का होना आवश्यक समझा, जो साधारण क़ानून द्वारा उसे प्राप्त नहीं हैं, ताकि वह आन्दोलन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का मुक़ाबला कर सके। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अधिकार केवल लगानबन्दी के आन्दोलन के सम्बन्ध में ही काम में लाए जाएँगे या उनको सब मामलों में इस्तेमाल किया जायगा, मानों साधारण क़ानून उठ ही गया है। अगर यह कहा जाय कि ऑर्डिनेन्स द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है तो मैं बिना सङ्कोच के कह सकता हूँ कि यह यू० पी० में मार्शल-लॉ जारी करने के समान है और इसमें कमी सिर्फ़ नाम की है।

### सरकार का क्या इरादा है?

मैं यहाँ पर बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स की तरफ़ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बङ्गाल में क्रान्तिकारी दल के अपराध २३ वर्ष से हो रहे हैं और गवर्नमेण्ट को उसका मुक़ाबला करने के वास्ते क़ानूनी और शासन सम्बन्धी उपायों का निरन्तर सहारा लेना पड़ा है। उनमें सब से अन्तिम उपाय हाल का ऑर्डिनेन्स था। सौभाग्यवश यू० पी० में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, जिसे अराजकतापूर्ण कह जा सके।

ऐसी दशा में क्या गवर्नमेण्ट का इरादा यह है कि इस ऑर्डिनेन्स की ग़ैर-मामूली धाराओं का प्रयोग बहुत अधिक परिमाण में करके यहाँ भी ग़ैर-मामूली परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाय। क्या सरकार उस असन्तोष को सहन करने के लिए तैयार है, जो इस ऑर्डिनेन्स के अधिकारों को बिना सोचे-विचारे काम में लाने से जनता में उत्पन्न होगा? मुझे विश्वास है कि फ़ायनेन्स मेम्बर इस सभा को और उसके द्वारा साधारण जनता को इस बात का विश्वास सन्तोषजनक रीति से दिला सकेंगे कि सरकार का इरादा इसे मनमाने ढङ्ग से चाहे जिस मामले में काम में लाने का नहीं है। यह बात मैं एक ऐसे व्यक्ति की हैसियत से कह रहा हूँ, जो प्रकट में बिना किसी सङ्कोच के लगानबन्दी आन्दोलन के विरुद्ध है। मैं अपने जीवन भर सार्वजनिक मामलों में क्रियात्मक आन्दोलन के बजाय वैध उपायों का कट्टर अनुयायी रहा हूँ। मेरे ज़मींदार मित्र, जो इस कौन्सिल में मौजूद हैं, इस बात का विश्वास रक्खें कि वे एक ऐसे व्यक्ति का भाषण सुन रहे हैं, जो लगानबन्दी आन्दोलन का पूर्णरूप से विरोधी है।

अगर ऑर्डिनेन्स की धाराओं का अक्षरशः पालन किया गया और प्रान्तीय सरकार को और उसकी मार्फ़त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनका सीमा से बाहर प्रयोग किया गया, तो मैं बिना सङ्कोच के यह कह सकता हूँ, तो किसी सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिए यह उपयुक्त न होगा कि वह इस प्रान्त में रह कर अपनी स्वाधीनता गँवावे। मैं मानता हूँ कि सरकार ने पिछले कई महीनों में बहुत संयत भाव और नर्मी दिखलाई है और मैं आशा तथा विश्वास करता हूँ कि वह अब भी अपनी उस नेकनामी को क़ायम रक्खेगी। किसानों की परिस्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने पिछले चार-पाँच महीनों में जो उपाय किए हैं, उनका प्रभाव अवश्य ही सब लोगों पर पड़ा है। यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार परिस्थिति की आवश्यकताओं की तरफ़ से उदासीन रही है या वह अपने बनाए हुए किसी निश्चित कार्य-क्रम पर हठपूर्वक डटी रही है। पर मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि सरकार ने जो कुछ उपाय किए, वे सब बिल्कुल ठीक थे या उनके सिवाय और कुछ किया ही नहीं जा सकता था। मेरे कथन का आशय इतना ही है कि यह नहीं कहा जा सकता कि संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने किसानों के सवाल को हल करने में सहयोग के भाव से काम नहीं लिया है। मुझे आशा है कि फ़ायनेन्स मेम्बर कौन्सिल के सदस्यों से यह कह सकेंगे कि ऑर्डिनेन्स की भाषा में चाहे जैसी अस्पष्टता हो, वह केवल लगानबन्दी के आन्दोलन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए ही रचा गया है और सरकार का यह इरादा नहीं है कि वह उससे काम लेते समय लगानबन्दी के आन्दोलन के दायरे से एक भी क़दम बाहर रक्खे। मुझे आशा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को इस बात की सूचना सरकारी तौर पर दे दी जायगी कि उनको किस तरह काम करना चाहिए और उनको कहाँ तक बढ़ सकने की अनुमति है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को इस

(शेष मैटर ८वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

### ज़िम्मेदारी कॉङ्ग्रेस पर है

बयान के अन्त में कहा गया है कि "यह स्पष्ट है कि सरकार अब अवश्य ही इस आन्दोलन को दबाने के लिए सब आवश्यक उपायों का अवलम्बन करेगी और इसमें भी सन्देह नहीं कि जनता इस बात से सहमत होगी कि इससे उत्पन्न होने वाले फलों की तमाम ज़िम्मेदारी कॉङ्ग्रेस और उनके अनुयाइयों पर है।"

### सरकार के मुक़ाबले में नई सरकार

श्री० सुन्दरलाल ने, जो एक प्रमुख कॉङ्ग्रेसमैन हैं, अक्टूबर मास में एक सर्कुलर निकाला था, जिसमें बाराबङ्की ज़िले में सरकार के मुक़ाबले में दूसरी सरकार क़ायम करने की योजना पेश की गई थी। उस योजना के अनुसार पञ्चायतों का कर्तव्य नीचे लिखे शब्दों में बतलाया गया था—"सब लोगों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी स्त्रियाँ नेतृत्व करना सीख जायँ, ताकि जब दूसरे संग्राम में मर्द पकड़ लिए जायँ तो स्त्रियाँ नेता बन सकें। अङ्गरेज़ औरतों को गिरफ़्तार न करेंगे और इस तरह कॉङ्ग्रेस की ताक़त बढ़ जायगी।"

❋ ❋ ❋

[ वष २, खण्ड १, संख्या १२

# भारत में इङ्गलैण्ड की सैनिक नीति

## सरकार भारतवासियों को सन्देह और अविश्वास की निगाह से देखती है

हाल में हिन्दू यूनीवर्सिटी, बनारस के आर्ट्स कॉलेज के विद्यार्थियों के सम्मुख पं० हृदयनाथ कुँज़रू ने भारत के सेना सम्बन्धी प्रश्न पर एक बहुत प्रभावशाली और विचारपूर्ण भाषण किया था, जिसका सारांश नीचे दिया जाता है :—

इस देश में जब राजनीति का आन्दोलन आरम्भ हुआ, तो उस समय सिविल विभागों में ही आगे बढ़ने को मुख्य लक्ष्य माना गया था। सैनिक प्रश्न पर उस समय किसी ने ध्यान न दिया था। पर यूरोपीय महायुद्ध के पश्चात् इस विचार का आविर्भाव होने लगा। मॉण्टेगु-चेम्सफ़ोर्ड रिफ़ॉर्म स्कीम के अनुसार जो बड़ी व्यवस्थापक सभा बनाई गई थी, उसी में सबसे पहले भारत की सेना के सम्बन्ध में विचार करने का कार्य आरम्भ हुआ। उसमें भारत की रक्षा की पूरी समस्या पर विचार और सेना के भारतीयकरण का अनुमोदन किया गया। पर मैं यहाँ केवल दो सवालों पर ही विचार करूँगा—(१) सेना के कमीशन प्राप्त अफ़सरों के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति और (२) भारत में मौजूद गोरे सिपाहियों के स्थान पर देशी सिपाहियों की नियुक्ति।

### ग़दर के पहले और पीछे

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अधिकार जब तक भारतीय सेना पर रहा, तब तक उसमें गोरे सिपाहियों का अनुपात वर्तमान समय के अनुपात की अपेक्षा बहुत कम था। कम्पनी के अधिकार में भारतीय सिपाहियों की दशा भी काफ़ी सन्तोषजनक थी। पर ग़दर के बाद से परिस्थिति बिल्कुल बदल गई।

### अविश्वास की नीति

ग़दर के बाद अङ्गरेज़ों के दिमाग़ में सन्देह और अविश्वास के भाव ने घर कर लिया। समस्त सेना का उद्देश्य यही समझा जाने लगा कि भारत में स्थापित अङ्गरेज़ी राज्य की रक्षा की जाय। यह मेरी अपनी सम्मति नहीं है, वरन् यह उस पील-कमीशन की रिपोर्ट में दी गई सम्मति है, जो ग़दर के बाद भारतीय सेना का पुनः सङ्गठन करने को नियुक्त किया गया था। दूसरे शब्दों में यह रिपोर्ट उन भावों का प्रतिबिम्ब है, जो ग़दर के बाद अङ्गरेज़ों के दिमाग़ में उठ रहे थे। इस कमीशन की सिफ़ारिशों के फल-स्वरूप स्थानीय पल्टनों का, जोकि उस समय इसी नाम से पुकारी जाती थीं, अस्तित्व मिटा दिया गया और ब्रिटिश भारत की तमाम सेना लन्दन के युद्ध-विभाग की अधीनता में कर दी गईं। भारतवासियों को तोपख़ाने से निकाल दिया गया और गोरी सेना की शक्ति बढ़ाई गई। दोनों तरह की सेनाओं के विभाजन का आधार बदल दिया गया। फ़ील्ड सर्विस में गोरी और काली सेना का अनुपात एक गोरा सिपाही और तीन देशी सिपाही के हिसाब से रक्खा गया। यह अनुपात सदा कुछ-कुछ बदलता रहा है, पर इन साठ वर्षों में इसमें बहुत ही कम बदलाव हुआ है। आजकल एक गोरे सिपाही के पीछे २½ या २¾ देशी सिपाही हैं। पर यूरोपीय महायुद्ध के समय भारत की रक्षा के लिए इस देश में मौजूद सेना में एक गोरे सिपाही के पीछे ४ देशी सिपाही थे। इससे सिद्ध होता है कि इस देश में जो गोरी सेना रक्खी जाती है, उसका कारण केवल सैनिक आवश्यकता नहीं है, वरन् भारतवासियों को सर उठाने से रोकना है।

### भारतीय सिपाहियों की कुशलता

इस समय प्रश्न यह है कि क्या गोरे सिपाहियों का यहाँ रखना आवश्यक है ? यह कहा जाता है कि अङ्गरेज़ सिपाही अधिक कार्यक्षम और योग्य होते हैं और इसलिए देश के रक्षार्थ उनको रखना आवश्यक है। पर यूरोपीय महायुद्ध में भारतीय सिपाहियों ने जिस प्रकार कार्य करके दिखलाया, उससे इस मत का खण्डन होता है। बड़े-बड़े प्रसिद्ध सैनिक-विद्या के ज्ञाताओं ने यह बात स्वीकार की थी कि भारतीय सिपाही युद्ध-कला, धैर्य, सहनशक्ति, साहस, सूझ और नेतृत्व के गुणों में संसार के किसी देश के सिपाही से कम नहीं हैं। यह भी कहा जाता है कि इस देश के साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण यहाँ गोरी सेना का रखना आवश्यक है। पर प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि अपनी सेना को साम्प्रदायिक झगड़ों से अलग रक्खे।

गोरी सेना भारत की आय का एक बड़ा हिस्सा खा जाती है। एक गोरे सिपाही पर चार-पाँच भारतीय सिपाहियों के बराबर ख़र्च करना पड़ता है। इस बात का कोई उचित कारण नहीं बतलाया जा सकता कि इतनी बड़ी अङ्गरेज़ी सेना भारत में क्यों रक्खी जाती है। अब तो बड़े-बड़े अङ्गरेज़ अधिकारियों ने इस कथन की सत्यता को स्वीकार किया है। विशेषकर माण्टेगु चेम्सफ़ोर्ड सुधारों के बाद भारतीयों की राज्यभक्ति पर सन्देह और अविश्वास करने की नीति कदापि उचित नहीं कही जा सकती।

### भारतीयकरण रोकने की नीति

अब मैं अङ्गरेज़ अफ़सरों की जगह भारतीय अफ़सर नियुक्त किए जाने के प्रश्न पर विचार करना चाहता हूँ। ग़दर के पहले सेना दो भागों में विभाजित थी, एक नियमित और दूसरी अनियमित सेना। अनियमित रेजिमेण्टों में अफ़सरों की संख्या सिर्फ़ तीन या चार होती थी और नियमित रेजिमेण्टों के अफ़सरों की संख्या विलायत की सेनाओं की तरह होती थी। इन रेजिमेण्टों में अङ्गरेज़ अफ़सरों की संख्या केवल ३ या ४ होती थी और शेष भारतीय अफ़सर होते थे, जो योग्यता में किसी से कम नहीं माने जाते थे। पर ग़दर के बाद भारतीय अफ़सरों को एकदम निकाल बाहर किया गया और सेना के तमाम अफ़सर अङ्गरेज़ ही होने लगे। हरेक रेजिमेण्ट में अफ़सरों की संख्या बढ़ा कर पहले ९ और उसके बाद १२, १३ तक कर दी गई, जिससे वे लोग लम्बी छुट्टी लेकर इङ्गलैण्ड में जाकर मौज कर सकें। जब कि भारत के प्रतिनिधि सेना के भारतीयकरण का प्रस्ताव करते हैं, तो उत्तर दिया जाता है कि वे धीरज रक्खें ; क्योंकि वह बड़ा कठिन मामला है। पर पिछले साठ वर्षों में इस विषय में आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे की तरफ़ ही हटते गए हैं। हमको जो अधिकार प्राप्त थे, वे भी धीरे-धीरे छीने जा रहे हैं। ऐसी दशा में क्या आश्चर्य है, अगर हम उन लोगों के उद्देश्य में सन्देह करते हैं, जो हमसे धैर्य रखने को कहते हैं।

### झूठी आशा

सन् १९१८ में, जब कि यूरोपीय महायुद्ध ने भीषण रूप धारण कर रक्खा था, ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल ने वायदा किया था कि भारत की सेना में प्रतिवर्ष दस भारतीय अफ़सर नियत किए जाएँगे। बड़ी व्यवस्थापक सभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि प्रतिवर्ष सेना के लिए जितने अफ़सर नियुक्त किए जाएँ, उनमें से चौथाई हिन्दुस्तानी होने चाहिए। कमाण्डर-इन-चीफ़ और गवर्नमेण्ट इस प्रस्ताव के पक्ष में थे, पर फिर इस सम्बन्ध में कुछ देखने में न आया। इण्डियन मिलिटरी कॉलेज की कमिटी ने प्रस्ताव किया था कि उस कॉलेज में ६० भारतीयों को दाख़िल करके सैनिक अफ़सरों की शिक्षा दी जाय। यह कॉलेज भारत में ही खोले जाने का निश्चय हुआ है। पर अब से आगे रेजिमेण्ट के अफ़सरों की संख्या बढ़ा कर २८ या ३० कर दी जायगी। जिन भारतीय अफ़सरों को अभी कमीशन प्राप्त नहीं है, वे कमीशन प्राप्त बना दिए जायँगे। पर इसको भारतीयकरण नहीं कहा जा सकता। भारतीयकरण तभी होगा, जब कि अङ्गरेज़ अफ़सरों को हटा कर उनके स्थान में भारतीय रक्खे जायँ। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि सेना का एकदम भारतीयकरण होने में कितनी कठिनाइयाँ हैं। मेरा आशय यही है कि इस सम्बन्ध में जो कुछ किया जाय, वह सचाई के साथ हो। यह नहीं कि कमिटियाँ नियत की जायँ और बड़ी-बड़ी आशाएँ दिलाई जायँ, पर अन्त में फल कुछ न निकले। यह बड़े अभाग्य का विषय है। आत्म-रक्षा की सामर्थ्य स्वराज्य का मूल-मन्त्र है। स्वराज्य-प्राप्त भारतवर्ष के लिए चोटी से तले तक समस्त सेना का भारतीयकरण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

❀ ❀ ❀

---

( ७वें पृष्ठ का शेषांश )

ऑर्डिनेन्स द्वारा प्राप्त निरङ्कुशतापूर्ण अधिकारों को पाकर, अपने को स्वाधीन समझ कर, यथेच्छा विचरण न करना चाहिए ; अन्यथा इससे बड़ी भीषण राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी। अगर फ़ायनेन्स मेम्बर इस तरह का विश्वास सरकार की तरफ़ से दिला सकेंगे, तो मैं अपने प्रस्ताव पर मत लेने का इरादा त्याग दूँगा।

### फ़ायनेन्स मेम्बर

श्री० चिन्तामणि के बैठ जाने पर मि० ब्लण्ट, फ़ायनेन्स मेम्बर, ने कहा कि मुझसे एक कमिश्नर ने कहा था कि दफ़ा १४४ द्वारा लगानबन्दी के आन्दोलन को रोकने की चेष्टा करना वैसा ही है, जैसा कि सोडावाटर की बोतल फेंक कर हवा में उड़ते हुए किसी पक्षी को मारने की चेष्टा करना। इससे मालूम होता है कि इस दशा में ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता थी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि ऑर्डिनेन्स के प्राक्कथन के शब्द कुछ अस्पष्ट हैं। पर उसका अर्थ चाहे कुछ भी लगाया जाय, उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। ऑर्डिनेन्स जारी करने का एकमात्र कारण कॉङ्ग्रेस और लगानबन्दी का आन्दोलन ही है और यह उस समय तक जारी नहीं किया गया, जब तब कि सरकार ने यह न समझ लिया कि अब हद आ पहुँची है। कुछ भी हो, हम इसका प्रयोग बहुत ही परिमित घेरे में करेंगे। सिवाय लगानबन्दी आन्दोलन का प्रतिकार करने के, हम इसे और किसी कार्य में लाने का विचार नहीं रखते। यह सरकार की सच्ची स्थिति है। ऑर्डिनेन्स ने हमको लम्बे-चौड़े अधिकार दिए हैं, पर हम उनका उपयोग लापरवाही से नहीं करेंगे। हमने इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को स्पष्ट सूचना भेज दी है।

### प्रस्ताव वापस

मि० ब्लण्ट के बाद होम-मेम्बर नवाब सर मुअज़्ज़म उल्ला ख़ाँ ने भी यह विश्वास दिलाया कि ऑर्डिनेन्स से प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जायगा। श्री० चिन्तामणि तथा मि० ब्लण्ट के प्रत्युत्तरों के पश्चात् प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

❀ ❀ ❀

( अङ्गरेज़ी )

## आरम्भ

संयुक्त-प्रान्त की सरकार अपने यहाँ फैले हुए किसानों के असन्तोष का मुक़ाबला ग़लत उपायों से कर रही है और एक ग़लती के बाद दूसरी ग़लती करने जा रही है। किसानों की शिकायत केवल आर्थिक है और सरकार को इस सम्बन्ध में उचित और न्यायपूर्ण ढङ्ग से समझौता करके उनके दुःख दूर करने का अच्छा मौक़ा मिला था। इस विषय में कॉङ्ग्रेस-नेताओं ने यही माँग पेश की थी कि जब तक समझौता न हो, तब तक लगान वसूल न किया जाय, जो सर्वथा उचित थी। इसी आधार पर कॉङ्ग्रेस ने किसानों से लगान रोके रखने को कहा था। पर सरकार को कॉङ्ग्रेस की बात मानने में अपनी शान मिटती हुई जान पड़ी। इस पर लगानबन्दी आन्दोलन आरम्भ हो गया और किसानों ने अपने आर्थिक कष्टों को दूर कराने का दृढ़ निश्चय कर लिया। यू० पी० गवर्नमेण्ट ने वायसरॉय से नए सुप्रसिद्ध अस्त्र ऑर्डिनेन्स की प्रार्थना की और गत सोमवार के दिन उसको वह महान शक्ति प्राप्त हो गई। अब यू० पी० सरकार को लगान रोकने के सम्बन्ध में ग़ैर-क़ानूनी ढङ्ग से भड़काने के विरुद्ध अधिकार मिल गए हैं। पर जो किसान इसलिए लगान अदा नहीं कर रहे हैं, चूँकि उनके पास कुछ नहीं है, क्या उनको 'भड़काने' के लिए किसी तरह की आवश्यकता है?

यह ऑर्डिनेन्स दरअसल कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध काम में लाए जाने को तैयार किया गया है। अगर यह बात न थी तो जिन शक्तियों की आवश्यकता बङ्गाल सरकार को क्रान्तिकारियों को दबाने और फ़रार व्यक्तियों को पकड़ने के लिए थी, वे यू० पी० शासकों को क्यों दी गईं, जहाँ पर किसान अहिंसात्मक रहने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं? सन्दिग्ध व्यक्तियों के नियन्त्रण की आवश्यकता क्या थी, जब कि तमाम आन्दोलन प्रत्यक्ष और शान्तिमय है? मकानों पर अधिकार करने और सेना के पड़ावों तथा पुलिस के थानों के आस-पास लोगों को आने से रोकने की क्या आवश्यकता थी, जब कि किसानों ने शान्तिपूर्वक लगान देने से इन्कार करने का निश्चय किया है? तमाम गाँव पर सामूहिक रूप से जुर्माना करने की क्या ज़रूरत थी, अगर उन लोगों को भयभीत करने का उद्देश्य नहीं है? और क़सूर करने वाले लड़कों के पिताओं और संरक्षकों को सज़ा देने का क्या अर्थ है—जोकि एक ऐसी सज़ा है कि किसी भी सभ्य न्याय-विधान में जिसका ज़िक्र नहीं मिल सकता? यह साफ़ ज़ाहिर है कि नौकरशाही की अधिक ज़ोरदार और नवीन शक्तियों की भूख दिन पर दिन बढ़ती जाती है।

जब कि वायसरॉय ने आख़िरी ऑर्डिनेन्स ( बङ्गाल के सम्बन्ध में ) निकाला था, तो हमसे कहा गया था कि क्रान्तिकारी आन्दोलन का मुक़ाबला करने के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता है और यह कार्य अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता। पर लगान अदा करने से इन्कार करना प्रत्येक सभ्य देश में प्राचीन काल से लोगों का वैध अधिकार रहा है। यू० पी० ऑर्डिनेन्स दो बातें सिद्ध करता है—पहली यह कि बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स के अनुसार सरकार को जो शक्तियाँ दी गई हैं, उनका उद्देश्य क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने का उतना नहीं है जितना कि कॉङ्ग्रेस के न्यायानुमोदित आन्दोलन को दबाने का। और दूसरी यह कि बङ्गाल की तरह यू० पी० में भी भीतजनक उपायों का प्रयोग किया जायगा। यह सब कार्यवाही एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार जान पड़ती है, जिससे संसार को धोखे में डाला जा सके और कॉङ्ग्रेस की शक्ति को मिटाया जा सके। ऐसी शक्तियों को हाथ में लेना, जो उतनी ही आवश्यक हैं, जैसी कि संहारक हैं, संसार को यह दिखलाने के लिए है कि सरकार सिर्फ़ आर्थिक शिकायतों को पेश करने के विरुद्ध नहीं है, वरन् वह किसानों के उस विद्रोह को रोकना चाहती है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक है। जबकि एक तरफ़ दुनिया को इस तरह धोखे में डाला जायगा, तो दूसरी तरफ़ कॉङ्ग्रेस की शक्ति को सहज में नष्ट किया जा सकेगा, क्योंकि उस पर शीघ्र ही दूसरा सत्याग्रह संग्राम छेड़ने का सन्देह है। इस विचार का समर्थन इस बात से भी होता है कि ऑर्डिनेन्स ने प्रेस-एक्ट में एक नई धारा जोड़ कर अख़बारों को बिल्कुल अनावश्यक और व्यर्थ की चोट पहुँचाई है। यह समझ में नहीं आता कि संयुक्त-प्रान्त से बाहर के स्थानों से प्रकाशित होने वाले अख़बार वहाँ के किसानों को लगानबन्दी के लिए किस तरह भड़का सकते हैं, जब कि वे स्वयं पहले ही इसके लिए एलान कर चुके हैं। औचित्य, ईमानदारी और न्याय की दृष्टि से किसी तरह विचार करने से अख़बारों पर की गई यह चोट न्याययुक्त सिद्ध नहीं होती। और ये सब आतङ्कजनक कार्य मि० मैकडॉनल्ड की सरकार की मन्ज़ूरी से हो रहे हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि वे सचमुच क्षणिक सन्धि को स्थायी शान्ति के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। लॉर्ड विलिङ्गडन वह कार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसके करने से लॉर्ड इर्विन ने इन्कार कर दिया था।

—बॉम्बे क्रॉनिकल

❀ ❀ ❀

## यू० पी० ऑर्डिनेन्स

हम लोग ऑर्डिनेन्सों के युग में निवास करते हैं। आर्थिक मामलों के लिए भी आजकल ऑर्डिनेन्स निकाले जाते हैं। जब इङ्गलैण्ड में 'गोल्ड स्टैण्डर्ड रोका गया था, तो एक ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता पड़ी थी। दूसरा ऑर्डिनेन्स रुपए का सम्बन्ध इङ्गलैण्ड के सिक्के से जोड़ने के लिए निकाला गया था। बङ्गाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स तैयार किया गया। सब से आख़िरी ऑर्डिनेन्स सन् १९३१ का १२वाँ ऑर्डिनेन्स—मुख्यतया यू० पी० के लगानबन्दी आन्दोलन के विरुद्ध जारी किया गया है। सरकार ने एक लम्बा बयान प्रकाशित करके बतलाया है कि इस आन्दोलन के पीछे गुप्त राजनीतिक उद्देश्य छिपा हुआ है। यह ऑर्डिनेन्स सन् १९३० के 'ग़ैर-क़ानूनी भड़काने वाले ऑर्डिनेन्स' से कहीं अधिक शक्तिशाली, संहारक और आपत्तिजनक है। इसमें बङ्गाल ऑर्डिनेन्स की कितनी ही धाराएँ शामिल हैं, जैसे जायदाद पर क़ब्ज़ा कर लेना और व्यक्तिगत स्वाधीनता में बाधा डालना। इसने सन् १९३१ के प्रेस-एक्ट के दायरे को भी बढ़ा दिया है और केवल प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगानबन्दी के लिए भड़काने को ही नहीं, वरन् लगान को स्थगित करने के लिए कहने को भी उसमें शामिल कर दिया है। इसमें किसी सरकारी नौकर, स्थानीय अधिकारियों के नौकर या रेलवे नौकर को बरग़लाने के किसी भावी आन्दोलन का भी प्रतिकार किया गया है। अगर कोई गर्म दिमाग़ का और स्वेच्छाचारी युवक, जिसकी आयु १६ वर्ष से कम हो, किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी क़रार दिया जाय, जो अदालत की राय में किसी ऐसे आन्दोलन की वृद्धि के लिए किया गया है, जो सार्वजनिक रक्षा और शान्ति के विरुद्ध है और उस युवक पर जुर्माना किया जाय, तो वह जुर्माना उसके माता-पिता या संरक्षक को देना होगा। अगर वे जुर्माना देने से इन्कार करेंगे तो पिता या संरक्षक को ही जेल की सज़ा भोगनी होगी, मानो उन्होंने वह अपराध किया है, जिसके लिए युवक दोषी क़रार दिया गया है। पर यदि इस आदर्श दण्ड-विधान के बाद भी यदि वह युवक अपने तरीक़े को न सुधारे तो उसकी शरारत का उत्तरदायित्व किस पर रहेगा? ऑर्डिनेन्स में जो माता-पिता का शब्द व्यवहार किया गया है, उसके अनुसार क्या पिता की अनुपस्थिति में माता को भी अपने उद्दण्ड पुत्र की करतूत का फल भोगना पड़ेगा? इसमें शक नहीं कि यह नियम बना दिया गया है कि माता-पिता या संरक्षक के जुर्माने का जो हुक्म दिया जायगा, उसके विरुद्ध उनको अपील करने का भी अधिकार होगा। पर यदि वे ग़रीबी के कारण अपील का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकने में असमर्थ हों, तो उनको जेल जाने के सिवाय और कोई उपाय न रहेगा। यह धारा ऑर्डिनेन्स की तमाम धाराओं की अपेक्षा अधिक आपत्तिजनक है और इसे कभी काम में नहीं लाना चाहिए। इसके सिवाय जनता पर सामूहिक रूप से जुर्माना करने का भी नियम बनाया गया है, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को भी दण्ड मिल सकता है, जो सर्वथा निर्दोष हो। लोगों के आने-जाने के सम्बन्ध में नियन्त्रण, मकानों पर अधिकार कर लेना, आने-जाने के साधनों का नियन्त्रण, और किसी भी ज़मींदार या गाँव के मुखिया आदि से काम कराना भी ऐसे अधिकार हैं, जिनके दुरुपयोग की सम्भावना है और हमें इनके सम्बन्ध में बहुत आपत्ति है।

—लीडर ( प्रयाग )

❀ ❀ ❀

## सङ्कट को निमन्त्रण

इस ऑर्डिनेन्स के जारी करने का एकमात्र कारण भय के वशीभूत हो जाना कहा जा सकता है। इसके फल-स्वरूप सरकार बिल्कुल ही ग़लत रास्ते पर चल पड़ी है। बङ्गाल के मामले में तो ऑर्डिनेन्स की

मञ्ज़ूरी देने के लिए सरकार के सामने कुछ हिंसात्मक काय प्रमाण-स्वरूप मौजूद भी थे, जिनके आधार पर उस उपाय को किसी हद तक न्याययुक्त सिद्ध किया जा सकता था। पर संयुक्त-प्रान्त की अवस्था में जहाँ तक हमको पता है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं पाया जाता, जिसके आधार पर वहाँ ऑर्डिनेन्स द्वारा शासन करना ज़रूरी समझा जाय। किसी भी जगह अभी तक लगान देना बन्द नहीं किया गया है। और यदि वह रोका भी गया है, तो सरकार के यह मान लेने के बाद कि अभी तक लगान में जो माफ़ी दी गई है, वह काफ़ी नहीं और उन्होंने जिन प्रमाणों के आधार पर माफ़ी की रक़म निश्चित की है उनमें ग़लती हो सकती है। ऑर्डिनेन्स जारी करना ऐसा कार्य है, जो किसी भी सभ्य सरकार के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। सरकारी अधिकारी जिस ढङ्ग से काम कर रहे हैं और उन्होंने यू० पी० के कॉङ्ग्रेसमैनों को गिरफ़्तार करने का कार्य जिस तरह आरम्भ किया है, उससे तो यही जान पड़ता है कि सरकार ने कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध ही यह सारी योजना की है। पर सच्ची बात यह है कि अगर कॉङ्ग्रेस वाले किसानों को नियन्त्रण में न रखते तो किसानों की समस्या ने हफ़्तों पहले गम्भीर रूप धारण कर लिया होता। इस ऑर्डिनेन्स का जारी करना, जिसमें तमाम भारत के अख़बारों के लिए भी एक विशेष धारा शामिल है, गाँधी-इर्विन समझौते पर घातक चोट पहुँचाने के समान है। वर्तमान सङ्कट को खड़ा करने का उत्तर-दायित्व सरकार पर ही है, कॉङ्ग्रेस पर नहीं। लॉर्ड विलिङ्गडन यह नहीं कह सकते कि इस ऑर्डिनेन्स को जारी करके उन्होंने एक वैध-शासन-प्रिय वायसरॉय की भाँति शासन करने की इच्छा का व्यावहारिक प्रमाण दिया है।

—हिन्दुस्तान टाइम्स

❀ ❀ ❀

## यू० पी० ऑर्डिनेन्स

ऑर्डिनेन्स की जो धाराएँ पत्रों में प्रकाशित हुई हैं, उनसे पता चलता है कि उस परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए, जिसे सरकार ने अपनी हठ और कञ्जूसी से उत्पन्न किया है, यह आवश्यकता से कहीं अधिक संहारक और व्यापक है। इससे पहले भी देश के विभिन्न भागों में लगानबन्दी के आन्दोलन हुए थे और उनका मुक़ाबला देश में प्रचलित साधारण क़ानूनों द्वारा ही किया गया था। वर्तमान आन्दोलन के लिए नई तरह की तदबीर क्यों तय की गई, यह उन्हीं लोगों की इच्छाओं और उद्देश्यों से भली प्रकार प्रकट होता है, जो इस ऑर्डिनेन्स को जारी कराने के लिए ज़िम्मेदार हैं। प्रत्यक्ष में तो यह ऑर्डिनेन्स "कुछ जायज़ रक़मों को अदा न करने के लिए भड़काने का प्रतिकार" करने को बनाया गया है। पर साथ ही यह भी कहा गया है कि "संयुक्त-प्रान्त की सरकार और उसके अफ़सरों को क़ानून और अमन की रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं।" दो विशेषणों का यह संयोग ही सन्देह उत्पन्न करने को काफ़ी है, पर जब हम ऑर्डिनेन्स की धाराओं को पढ़ते हैं, तो यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि इसका उद्देश्य प्रकट से कहीं अधिक है। 'क़ानून' और 'अमन' आजकल बड़े विस्तीर्ण भाव-युक्त शब्द बन गए हैं और दरअसल उनका प्रयोग राष्ट्री-यता के बढ़ते हुए ज्वार को दबाने के लिए किया जाता है। देश के लिए हितकारी कार्यों को भी उनके द्वारा रोका जाता है। एक शब्द में उनके द्वारा कॉङ्ग्रेस को कुचला जाता है, जो इन उद्देश्यों के लिए बनाई गई है।

—सर्चलाइट

❀ ❀ ❀

( हिन्दी )

## पाठकों से परामर्श

अनुमान के अनुसार संयुक्त-प्रान्त के लिए भी वायसरॉय ने एक काला क़ानून बना ही दिया। पर अनुमान की अपेक्षा यह अधिक व्यापक, अधिक कष्टदायक और अधिक अनीतिमूलक है। बङ्गाल और ख़ासकर चटगाँव के लिए जो काला क़ानून बनाया गया है, उसकी सारी बुरी धाराएँ—ख़ास अदालतों का निर्माण छोड़ कर—इस काले क़ानून में हैं। वहाँ वह काला क़ानून बनाया गया है हत्याकारियों को दबाने के लिए और यहाँ यह काला क़ानून बनाया गया है, सरकारी कार्य के विरोध में कर देने से इन्कार करके दण्ड भोगने के लिए तैयार रहने के, प्रजा के सर्वमान्य वैध अधिकार को दबाने के लिए। बङ्गाल और संयुक्त-प्रान्त में एक से ही काले क़ानूनों का बनाया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि अपनी जान पर खेल कर, पर छिप कर शस्त्र द्वारा हमला करने वाले आतङ्कवादी और प्रकाश्य-रूप से क़ानून मानने से इन्कार करके चुपचाप शान्तिपूर्वक उसका फल भोगने के लिए तैयार सत्याग्रही नौकरशाही की दृष्टि में एक से ही भयङ्कर हैं। अवश्य ही पकड़े जाने पर प्राणहरण करनेवाले को, और बङ्गाल में प्राणहरण की चेष्टा करने वाले को भी प्राण-दण्ड दिया जा सकता है और सत्याग्रहियों को सिर्फ़ दो-चार साल के लिए बड़े घर ही भेजा जा सकता है। इसके ऊपर सत्याग्रहियों को लाठीचार्ज सर पर झेलना पड़ता है, अपना और अपने प्रियजनों का—स्त्रियों का भी अपमान आँखों देखते हुए शान्त रहना पड़ता है, चार रुपए देने के लिए चार सौ रुपए की सम्पत्ति का नाश होते देख कर भी मुँह में ताला लगाए रहना पड़ता है। एक और बड़ा भारी भेद है, जिसके लिए बालक आतङ्कवादी के माता-पिता को अपनी प्रान्तीय सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। इस प्रान्त की सरकार ने निश्चय कर लिया है कि सोलह साल से कम उम्र के बालकों के अपराध के लिए उनके माता-पिता को दण्ड दिया जायगा। सोलह साल से कम उम्र का बालक यदि नरहत्या करे वा करने का यत्न करे तथा उसका ऐसा करना यदि राजनीतिक हो, तो उसके अप-राध के लिए उसके माता-पिता या अभिभावक को फाँसी पर लटका देने का नियम बङ्गाल सरकार ने लॉर्ड विलिङ्गडन से नहीं बनवा लिया, क्या यह बात ब्रिटिश न्याय-परायणता के इतिहास में सोने के अक्षरों में न लिखी जायगी ?

ऊपर लिखे हुए भेद के रहते हुए भी यह बात स्पष्ट है कि नौकरशाही की दृष्टि में उसके राज्य के लिए अर्थात् अमन-क़ानून के लिए आतङ्कवादी और अहिंसा-वादी सत्याग्रही एक से भयङ्कर हैं। इसीसे बङ्गाल और युक्त-प्रान्त में एक से काले-क़ानून जारी किए गए हैं। इन क़ानूनों को पढ़ने से पता लगता है कि इनके मसविदे बहुत सोच-विचार के बाद तैयार किए गए हैं और बने बनाए तैयार हैं। लॉर्ड इर्विन के काले-क़ानूनों से पता चलता था कि वे सहसा उपस्थित स्थिति के प्रतिकारार्थ सहसा बनाए गए थे। उनमें बहुत सी त्रुटियाँ रह जाती थीं, जो दूसरे ऑर्डिनेन्स निकाल कर पूरी की जाती थीं। पर इस साल के नए काले-क़ानून से गम्भीर विचार और दृढ़घातिता का परिचय मिलता है। ये बहुत दिन के विचार के फल हैं, सहसा उपस्थित परिस्थिति के लिए सहसा बनाए हुए नियम नहीं हैं। पर भारत-शासन-विधान की ७२ वीं धारा में केवल "इमर्जेन्सी" के समय ही गवर्नर-जनरल को ऑर्डिनेन्स बनाने का अधिकार दिया गया है। "इमर्जेन्सी" शब्द का अर्थ ऑक्सफ़र्ड और वेबस्टर जैसे कोषों में भी 'आकस्मिक घटना' वा 'तत्काल उपाय की अपेक्षा करने वाली आकस्मिक घटना' किया गया है। नौकरशाही कोष में इसका कुछ और ही अर्थ हो सकता है, और वहाँ यदि इसका ठीक उलटा अर्थ किया गया हो तो भी हमें आश्चर्य न होगा। पर साधारण बुद्धि में तो यही बात आती है कि जिस घटना की सूचना साल दो साल पहले से हो, जिस घटना के सम्बन्ध में बड़े-बड़े कर्मचारी तक कहते रहे हों कि हम लोग तैयार हैं, जिसके लिए वस्तुतः पहले से ही ऑर्डिनेन्सों के मसविदे बना कर रक्खे गए हों, वह "इमर्जेन्सी" नहीं है। यदि "इमर्जेन्सी" शब्द का अर्थ अङ्गरेज़ी कोषों में ठीक दिया हो तो ,हम कह सकते हैं कि बङ्गाल और संयुक्त-प्रान्त की परिस्थिति "इमर्जेन्सी" नहीं है। अतएव लॉर्ड विलिङ्गडन के ये दोनों काले क़ानून ग़ैर-क़ानूनी हैं। पर जब क़ानून की अवहेलना स्वयं उसके रक्षक करते हों, ऐसे समय क़ानून की दोहाई देना क्या मूर्खता का द्योतक नहीं है ?

—आज

❀ ❀ ❀

## THE HINDU

*Sunday, December 13, 1931*

### The CHAND

The special Rajputana number with which the well-known Hindi periodical commences its tenth year of existence in the journalistic world, constitutes a nice and attractive record of the part palyed by Rajasthan in ancient Indian History and of certain anticipations relating to the future. The leading article deals with "Rajputana To-day" and contributors who have methodologically isolated particular fields of investigation and topics of interest concerning Rajasthan have written interesting accounts of the educational, social and political conditions. For instance, Dwarkalalji Gupta writes on "The Administration of Rajputana" drawing lines of comparison and contrast with that of British India. The Editor of the special number, Mathuralalji Sarma traces the origin of Rajputana. The texts of two important treaties concluded between the East India Company on the one hand and Maharana Bhimasimha of Udaipur and Rana Sambhusimha on the other are published. Mr. Nandakisor Agrawalla writes on the relation between Rajputana and the Paramount Power. Srivastava narrates the story of Padmini and Udayasimha in telling terms. The "Miscellaneous" section contains interesting notes on "Television," "Cinema activities" etc. The number under notice contains also poems in Hindi, and songs. The colour plates are all uniformly attractive. The Number contains a stirring appeal for public support to "Matri Mandir"—Allahabad, the well-known rescue home where destitute women are looked after and supported.

## २१ दिसम्बर, सन् १९३१

## भारतीय मज़दूर

भारतवर्ष जिन बातों में पश्चिमी देशों की नक़ल करता जाता है, उनमें से एक मज़दूरों की समस्या और उनकी नित्यप्रति होने वाली हड़तालें हैं। पुराने ज़माने में यहाँ न आजकल के से कारख़ाने और फ़ैक्टरियाँ थीं और न हड़तालों का नाम सुनने में आता था। पर आजकल मज़दूरों की हड़ताल ऐसी मामूली बात हो गई है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जिस दिन देश के दो-चार स्थानों से इसका समाचार न मिले। इस समय भी बम्बई और कानपुर की हड़ताल की ख़बरें रोज़ अख़बारों में छप रही हैं। साधारण हड़तालें तो नित्य प्रति बीसियों जगह होती हैं, पर जब तक वे गम्भीर रूप धारण नहीं करतीं अथवा उनके फल-स्वरूप किसी तरह का दङ्गा-फ़साद नहीं हो जाता, तब तक उनकी ख़बर प्रायः अख़बारों में नहीं छपती।

इन हड़तालों से प्रकट होता है कि इस देश के मज़दूरों की दशा बहुत असन्तोषजनक है और अपनी शिकायतों को दूर कराने तथा कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, उनके पास सिवाय हड़ताल के कोई उपाय नहीं है। अन्य उन्नत देशों में, जहाँ मज़दूरों का सङ्गठन मज़बूत हो चुका है और ट्रेड-यूनियनों का प्रभाव बढ़ चुका है, कारख़ानों के मालिक मज़दूरों से डरने लगे हैं और वे उनकी उचित माँगों पर ध्यान देना सीख गए हैं। पर भारतीय मज़दूरों का न तो कोई मज़बूत सङ्गठन है और न उनके पास काफ़ी फ़ण्ड आदि हैं, इसलिए मालिक लोग प्रायः उनकी बातों की उपेक्षा किया करते हैं।

एक बात और भी ऐसी है, जिसके कारण इस देश में मज़दूरों का सङ्गठन मज़बूत नहीं हो पाता और उनको प्रायः मालिकों के उचित-अनुचित—सब प्रकार के आदेश मानने को बाध्य होना पड़ता है। इङ्गलैण्ड और पश्चिमी देशों में मज़दूर शहरों में ही रहते हैं और उनके सामने कारख़ानों की नौकरी के सिवाय पेट भरने का कोई दूसरा उपाय नहीं होता। इसलिए उन लोगों की एक जाति या सम्प्रदाय सी बन गई है और वे सङ्कट के समय बड़ी आसानी से मिल कर काम कर सकते हैं। पर भारत के जो मज़दूर कारख़ानों में काम करने को अपने गाँवों से रवाना होते हैं, उनका कभी यह उद्देश्य नहीं होता कि शहरों में जम कर रहेंगे। वे केवल आवश्यकता पड़ने पर रुपया कमाने की ग़रज़ से शहरों में जाते हैं और प्रायः दो-चार वर्ष बाद अपने गाँवों को लौट जाते हैं। जो लोग गाँवों में ज़मीन आदि के न मिलने अथवा अन्य व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से अधिक दिनों तक भी कारख़ानों की मज़दूरी करते हैं, वे भी प्रायः साल-दो साल में एक-दो महीने के लिए गाँवों में जाकर रहते हैं। अधिकांश मज़दूर शहरों के लम्बे-चौड़े मकान-भाड़े और अन्य ख़र्चों के डर से अकेले ही वहाँ जाते हैं और उनको अपने स्त्री-बच्चों को देखने-भालने के लिए बीच-बीच में घर आना पड़ता है। इन मज़दूरों की नौकरी बहुत पक्की नहीं होती, प्रायः गाँव जाते समय वे उसे छोड़ देते हैं और वापस लौटने पर फिर नई नौकरी ढूँढ़ते हैं।

इस अवस्था में प्रत्यक्ष है कि यहाँ के मज़दूरों का कोई मज़बूत सङ्गठन बन सकना अथवा उस सङ्गठन की रक्षा के लिए मज़दूरों का प्रयत्नशील हो सकना बड़ा कठिन है। जब उन पर एकाएक कोई कष्ट आ पड़ता है या मालिक उनके साथ किसी तरह का अन्याय करता है, तो उनके पास सबसे बड़ा और एकमात्र अस्त्र हड़ताल का ही होता है। इसमें सन्देह नहीं कि सब कठिनाइयों का ख़याल करते हुए वे परिस्थिति का मुक़ाबला बड़े साहस और स्वार्थत्याग के साथ करते हैं। पर उनको सफलता प्रायः कम मिलती है। कुछ समय बाद भूख से लाचार होकर या तो थोड़ा-बहुत दब कर समझौता कर लेते हैं या कभी-कभी जब मामला बढ़ जाता है, तो अपने गाँवों को चल देते हैं।

मज़दूरों की दुरवस्था और शक्तिहीनता का दूसरा कारण उनकी आर्थिक हीनता भी है, जिसके फल-स्वरूप उनके पास एक पैसा भी नहीं बचता और वे हड़ताल के समय के लिए कोई फ़ण्ड इकट्ठा नहीं कर सकते। हाल में जो ह्विटली कमीशन भारतीय मज़दूरों की जाँच करने आया था, उसने अनुमान के आधार पर लिखा है कि कपड़े के कारख़ानों में काम करने वाले एक पुरुष की आमदनी अधिक से अधिक २५ से ३५ रु० तक होती है और एक पूरे कुटुम्ब की आमदनी भी ३० से ५० रु० के भीतर ही रहती है। इस आमदनी का ८५ प्रति सैकड़ा जीवन-निर्वाह की अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं में ख़र्च हो जाता है और शेष १५ सैकड़ा क़र्ज़ चुकाने में जाता है। कमीशन के मतानुसार अधिकांश स्थानों में दो-तिहाई से अधिक मज़दूर क़र्ज़ में फँसे रहते हैं। और यह क़र्ज़ा भी उनको प्रायः आढ़ाओं या ऐसे ही अन्य लोगों से मिलता है, जो उनसे प्रायः एक आना और दो आना रुपए तक का सूद लेते हैं।

इस अवस्था के सुधरने का उपाय क्या है? यह सच है कि भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है और इस देश में मज़दूरों को वह महत्व तथा शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, जोकि उनको इङ्गलैण्ड, जर्मनी आदि औद्योगिक देशों में है। पर साथ ही इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वर्तमान समय के समाज में मज़दूरों का अस्तित्व अनिवार्य है और जिस किसी देश को सांसारिक उन्नति की दौड़ में अन्य देशों के मुक़ाबले में रहना है, उसे मज़दूर-प्रथा को क़ायम रखना ही होगा। इस समय भारत में अधिकांश बना हुआ माल विदेशों से आता है। कपड़े, लोहे का सामान, काँच का सामान, रासायनिक पदार्थ, मशीनें, खिलौने आदि करोड़ों का माल हर साल विदेशी कारख़ाने वाले इस देश में भेजते हैं। पर अब जब कि भारत इस प्रथा में अपनी हानि देख कर स्वयं सब तरह का माल बनाने की चेष्टा कर रहा है और स्वराज्य का पूर्ण या आंशिक अधिकार प्राप्त होने पर जिस चेष्टा में सफलता होना भी निश्चित है, क्या उस दशा में भी मज़दूरों की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? उस हालत में दो-चार वर्ष के भीतर ही कारख़ानों और मज़दूरों की संख्या का चौगुना हो जाना भी असम्भव नहीं है। उस समय मज़दूरों का सवाल और अगर किसानों से अधिक नहीं तो कम से कम

---

## पाठकों से निवेदन

नया यू० पी० एमरजेन्सी ऑर्डिनेन्स कितना व्यापक और कठोर है, इसका पता पाठकों को विभिन्न समाचार-पत्रों की उन सम्मतियों से चल सकता है, जो हमने 'विश्व-वीणा' में उद्धृत की हैं। उसमें अन्य धाराओं के साथ एक धारा यह भी है, जो कोई अख़बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लगानबन्दी आन्दोलन का प्रचार करेगा उसे प्रेस-एक्ट के अनुसार सज़ा दी जायगी। इस धारा ने अख़बार वालों को बड़ी कठिनाई में डाल दिया है। क्योंकि 'अप्रत्यक्ष' रीति से मामूली बात का अर्थ भी ऐसा लगाया जा सकता है, जिसके आधार पर सरकार अख़बार को दोषी क़रार दे सकती है। इसके सिवाय यह भी एक प्रश्न है कि अख़बार वाले वर्तमान राजनीतिक घटनाओं के सम्बन्ध में अपना मत किस तरह प्रकट करें? इस कठिनाई का वर्णन काशी के सहयोगी 'आज' ने अपने पाठकों के सम्मुख इन शब्दों में किया है:—

"अगर हम कॉङ्ग्रेस का साथ देते हैं, तो हमसे ज़मानत माँगी जाती है, ज़ब्त की जाती है और अन्त में प्रेस भी ज़ब्त किया जाता है। अगर नौकरशाही की ओर से प्रचार-कार्य करते हैं, तो देश के प्रति कृतघ्नता प्रकट करते हैं, अपने विश्वास के विरुद्ध काम करके अपनी आत्मा को कलङ्कित करते हैं। ऐसी ही अवस्था उस बार भी उपस्थित हुई थी और "आज" बन्द कर देना पड़ा था। हम अपने पाठकों से जानना चाहते हैं कि इस बार हमें क्या करना चाहिए—"आज" बन्द कर देना चाहिए अथवा टीका-टिप्पणी बिल्कुल बन्द कर देना, कॉङ्ग्रेस-प्रचार और नौकरशाही प्रचार—दोनों से मुँह मोड़ लेना और केवल विशुद्ध समाचार पाठकों तक पहुँचाना चाहिए?"

सचमुच इस समय अख़बारों की परिस्थिति बड़ी दुविधाजनक हो गई है और उनके सामने दो ही रास्ते हैं कि या तो पत्र बन्द कर दें या केवल ख़बरें और राजनीति को छोड़ कर अन्य विषय-सम्बन्धी लेख छापें। क्योंकि इतना धन या साधन तो शायद ही किसी के पास होंगे कि बार-बार ज़मानत या प्रेस ज़ब्त करा सके। सम्भव है कि परिस्थिति इससे भी अधिक सङ्कटमय हो जाय और तमाम अख़बारों को राज़ी से या ज़बर्दस्ती बन्द हो जाना पड़े। पर जब तक वैसा अवसर नहीं आता, तब तक के लिए हमने यही उचित समझा है कि अग्रलेख और टिप्पणी आदि बन्द कर दी जाएँ और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर किसी तरह की सम्मति प्रकट न करके केवल घटनाओं को ही पाठकों की सेवा में पहुँचाया जाय। अन्य कितने ही सहयोगी भी इसी पथ का अवलम्बन कर रहे हैं और हमको भी इसके सिवाय अन्य किसी मार्ग से चलने में किसी तरह का हित नहीं जान पड़ता।

उनकी बराबर ही महत्व का अवश्य होगा, और उस दशा में हमको उनकी दशा सुधारने का उपाय अवश्य ही करना पड़ेगा। अथवा इस देश में भी श्रमजीवियों और पूँजीपतियों का वही भयङ्कर सङ्घर्ष देखने में आएगा, जो अन्य देशों में दिखलाई पड़ चुका है अथवा पड़ रहा है।

कारख़ानों के मज़दूरों और अन्य श्रमजीवियों, जैसे रेलों और डाकख़ानों के नौकर, ऑफ़िसों के छोटे क्लर्क और चपरासी, चौकीदार, स्कूल-मास्टर आदि, जिनकी आमदनी प्रायः मज़दूरों के बराबर ही होती है, की दशा के सुधरने का असली उपाय तो यह है कि राजनीतिक क्षेत्र और देश के शासन में उनको उतनी ही शक्ति प्राप्त हो, जितनी कि पूँजीपतियों को है। अथवा यह हो कि शासन-सत्ता पूँजीपतियों और उनके सहायकों के हाथ से निकल कर मिहनतपेशा वालों के हाथ में आ जाय। उसी समय यह सम्भव हो सकता है कि मज़दूर और श्रमजीवी अपनी मिहनत का पूरा फल पा सकें और आराम से अपनी ज़िन्दगी बसर कर सकें। जब तक ऐसी दशा नहीं आती, तब तक उनको अपनी आमदनी का एक बड़ा भाग पूँजीपतियों को देना ही पड़ेगा और इस प्रकार अपने भरण-पोषण के अलावा उनके लिए सब तरह के सुख और भोग इकट्ठे करने के लिए भी परिश्रम करना होगा।

पर जब तक ऐसा समय नहीं आता, और वर्तमान अवस्था को देख कर यह आशा भी नहीं होती कि ऐसा समय जल्दी आ सकेगा, तब तक मज़दूरों की दशा को सुधारने का एक और उपाय पारस्परिक सहयोग की वृद्धि बतलाई जाती है। इसमें सन्देह नहीं, इससे उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ कुछ हद तक दूर हो सकती हैं, और वे अब से कुछ अच्छा भोजन और कपड़ा पा सकते हैं। इस समय मज़दूरों को अधिकांश में, अपनी भोजन-सामग्री और कपड़ा आदि प्रायः उधार लेना पड़ता है और वे हर पन्द्रहवें दिन या हर महीने तनख़्वाह पाने पर दूकानदार का रुपया चुकाते हैं। ऐसा करने से दुकानदार उनसे दाम बढ़ा कर लेते हैं और माल भी रद्दी देते हैं। बेचारे ग़रीब लोग अपनी ग़र्ज़ के मारे चुपचाप जो कुछ मिलता है, ले लेते हैं। इसके सिवाय उनको प्रायः अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं जैसे ब्याह-शादी, मौत-बीमारी आदि के लिए क़र्ज़ भी लेना पड़ता है और यह जहाँ एक बार उनके सर पर सवार होता है, फिर उतरने का नाम नहीं लेता। क्योंकि उनकी आमदनी वही गिनी-गिनाई होती है और वे अगर अपना पेट काट कर कुछ बचा भी सकते हैं, तो सिर्फ़ उतना ही, जितना कि ब्याज के रूप में उनको देना पड़ता है। असली मूल-धन प्रायः जैसे का तैसा बना रहता है और वे लोग उसका दस-गुना चुका कर भी क़र्ज़दार ही बने रहते हैं।

इसलिए मज़दूरों के लिए अगर ऐसी सहयोग समितियाँ स्थापित की जायँ, जो उनको आवश्यकता पड़ने पर क़र्ज़ दें और उनकी जीवन-निर्वाह की वस्तुओं को बेचने के लिए स्टोर क़ायम करें, तो वे ख़ून चूसने वाले ब्याज और दूकानदारों की लूट से बच सकते हैं और वर्तमान आमदनी ही में कुछ अधिक आराम से रह सकते हैं। भारतवर्ष में इस प्रकार की कुछ संस्थाएँ क़ायम हो चुकी हैं और प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। उदाहरण के लिए बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे की "जैकसन कोपरेटिव क्रैडिट सोसाइटी" का उल्लेख किया जा सकता है, जिसने सन् १९२४ और १९२९ के बीच सवा करोड़ से अधिक रुपया क़र्ज़ दिया है। उसका प्रबन्ध भी ऐसा है कि प्रायः सब क़र्ज़ समय पर वसूल हो जाता है और डूबने वाली रक़म का परिमाण भी बहुत कम है। इस प्रबन्ध के कारण उसमें भाग लेने वाले कर्मचारियों को कुछ नहीं तो तीस-चालीस लाख रुपए की बचत हुई होगी। इसी तरह की संस्थाएँ यदि अन्य स्थानों में भी क़ायम हो जायँ, तो मज़दूरों का उपकार होगा और उनकी दशा सुधरेगी, इसमें सन्देह नहीं।

# नए यू० पी० ऑर्डिनेन्स की कारगुज़ारियाँ

## इलाहाबाद में तलाशियाँ :: ज़मींदारों को आन्दोलनकारियों की गिरफ़्तारी का आदेश :: मोटर-लॉरी वालों को चेतावनी

### इलाहाबाद में तलाशियाँ

यू० पी० एमरजेन्सी ऑर्डिनेन्स जारी होने के बाद १५ ता० की शाम को इलाहाबाद में छः-सात स्थानों की तलाशियाँ मि० बरफ़र्ड द्वारा निकाले गए वारण्टों के अनुसार ली गईं। जिन स्थानों की तलाशियाँ ली गईं, उनकी सूची इस प्रकार है:—पण्डित जवाहरलाल नेहरू का ऑफ़िस, आनन्दभवन, स्वराज्य-भवन में स्थापित ऑल इण्डिया कॉङ्ग्रेस कमिटी और प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के दफ़्तर, ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी और शहर कॉङ्ग्रेस कमिटी के दफ़्तर, कीटगञ्ज और दारागञ्ज के सत्याग्रह-आश्रम तथा 'अभ्युदय प्रेस'—ये तलाशियाँ इसलिए ली गई थीं चूँकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का पता लगा था कि इन स्थानों में लगानबन्दी से सम्बन्ध रखने वाले काग़ज़ात तथा अन्य सामग्री रहती है। जिन अफ़सरों को तलाशी के लिए भेजा गया था, उनको आज्ञा थी कि उन स्थानों में जितने काग़ज़ात, टाइपराइटर, साइक्लोस्टाइल, अन्य ऐसी ही चीज़ें और खाने-पीने का समान जिसके विषय में सामान्यतः यह जान पड़े कि वह उन कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं और वालण्टियरों के लिए है, जो लगानबन्दी का आन्दोलन कर रहे हैं या करेंगे, आदि सब सामान पर क़ब्ज़ा करके उसे किसी सुरक्षित स्थान में रक्खें। उनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बाद में करेंगे।

ऑल इण्डिया कॉङ्ग्रेस कमिटी की तलाशी के लिए जो वारण्ट था, जिसमें लिखा था कि वह आनन्द-भवन में है। पर चूँकि आनन्द-भवन में ऐसा कोई दफ़्तर नहीं है, इसलिए श्री० आर० एस० पण्डित ने आनन्द-भवन की तलाशी लेने पर आपत्ति की। इस पर तलाशी लेने वाले असि० सुप० पुलिस ने फ़ोन द्वारा डि० मैजिस्ट्रेट को सूचना देकर नया वारण्ट मँगवाया और आनन्द-भवन में श्री० जवाहरलाल नेहरू के ऑफ़िस की तलाशी ली।

इन तलाशियों में पुलिस को दो-चार नोटिसों और एक देहात-दमन सम्बन्धी शिकायतों की फ़ायल के सिवाय और कुछ न मिला। किसी ऑफ़िस में टाइपराइटर या साइक्लोस्टाइल भी न मिले। यह भी मालूम हुआ है कि तलाशी की जगहों में फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट निरीक्षण के लिए भेजे गए थे।

श्री० जवाहरलाल नेहरू ने श्री० टी० के० शेरवानी और श्री० टण्डन जी के नाम बम्बई से तार भेजा है, जिसमें लिखा है कि "आपको और अन्य साथियों को हार्दिक बधाई।"

श्री० शेरवानी ने सरकारी बयान के सम्बन्ध में कहा है कि उसमें मेरे एक पत्र के जो वाक्य उद्धृत किए गए हैं, वे बहुत ही ग़लतफ़हमी फैलाने वाले हैं। मेरा वह सर्क्युलर साम्प्रदायिक परिस्थिति के सम्बन्ध में था और मैंने यही बतलाया था कि किसान-आन्दोलन के द्वारा साम्प्रदायिक भेद मिट कर सब मतों के लोग कॉङ्ग्रेस के अनुयायी हो जायँगे।

### श्री० टण्डन जी का उत्तर

१४ ता० को रात के दस बजे श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि दफ़ा १४४ की आज्ञाओं से कॉङ्ग्रेस का काम नहीं रुक सकता।

टण्डन जी ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि मि० बरफ़र्ड के इस नोटिस के कारण ही, कि किसान लोग लगान फ़ौरन् अदा कर दें, लगानबन्दी का आन्दोलन क़ानून-विरुद्ध समझा जाने लगा है। सच्ची बात यह है कि डि० मैजिस्ट्रेट को किसानों को कॉङ्ग्रेस के पास सलाह लेने को आने से रोकना है और वे कॉङ्ग्रेस के लगानबन्दी के आन्दोलन को भी नहीं बढ़ने देना चाहते।

यह भी मालूम हुआ है कि प्रान्तीय कमिटी की सब-कमिटी ने उन कॉङ्ग्रेस कमिटियों को, जिन्हें लगानबन्दी की अनुमति दी गई है, यह भी अधिकार दिया है कि वे उन सब आज्ञाओं का उल्लङ्घन करें, जो कॉङ्ग्रेस का कार्य और विशेषतः लगानबन्दी आन्दोलन को रोकने के उद्देश्य से दी जाएँ। कुछ दशाओं में व्यक्तियों को सविनय क़ानून-भङ्ग की भी अनुमति दी गई है। यह भी निश्चय कर दिया गया है कि लगानबन्दी के और राजनीतिक मामलों में न किसी तरह की सफ़ाई दी जाय और न ज़मानत आदि दी जाय।

### रूदापुर में गोली चली

१५ ता० की रात को सात-आठ बजे इलाहाबाद की फूलपुर तहसील के रूदापुर गाँव में एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर और कितने ही कॉन्स्टेबिल कॉङ्ग्रेस-ऑफ़िस की तलाशी लेने पहुँचे, उसमें अन्य सामान और काग़ज़-पत्रों के साथ आठ मन खाद्य सामग्री भी थी, जिसे पुलिस ने इक्कों पर लाद लिया। इस पर क़रीब २५० गाँव वाले इकट्ठे हो गए और पुलिस से खाद्य सामग्री न ले जाने को कहने लगे। सरकार की तरफ़ से यह भी कहा गया है कि दो कॉङ्ग्रेस वालण्टियरों ने पुलिस पर हमला किया। इस पर पुलिस ने गोली चलाई, पर उससे कोई घायल न हुआ। गोली चलने से गाँव वाले हट गए। जब इक्के फिर चलने लगे, तो कुछ लोगों ने, जिनमें औरतें तथा बच्चे भी थे, इक्कों को घेर लिया और वे अनाज के दो बोरे और कुछ आटा ले ही गए। १७ ता० का समाचार है कि इस सम्बन्ध में बाद में नौ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं और दूसरे लोगों के पकड़े जाने की भी सम्भावना है।

### रायबरेली में गिरफ़्तारियाँ

बनारस का १७ ता० का समाचार है कि रायबरेली में ऑर्डिनेन्स के अनुसार सत्याग्रह कमिटी के प्रेज़िडेण्ट श्री० शीतलासहाय, डि० कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट श्री० सत्यनारायण और एक सदस्य दफ़ा १४४ का उल्लङ्घन करने में पकड़े गए हैं। रायबरेली में यह पहला ही दल गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कॉङ्ग्रेस कमिटी की तलाशी लेकर लगानबन्दी सम्बन्धी कुछ इश्तहार और किसानों की दशा सम्बन्धी कॉङ्ग्रेस की रिपोर्ट की एक प्रति उठा ले गई।

(शेष मैटर ४थे पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)

# 'जुबली'

[ श्री० हरिश्चन्द्र वर्मा, विशारद ]

नाम था उसका 'बेधड़क' और था भी वह वास्तव में बेधड़क ही। अनोखी शान से सज-धज कर प्रत्येक शुक्रवार को निकलता और अपनी मनोहर छवि से सभी को आकर्षित कर लेता। बालक उसे देखते ही झपट कर उठा लेते और उसकी मनोरञ्जक कहानियाँ पढ़ कर हँसी से लोट-पोट हो जाते। उसके चित्र तो उनके लिए चटपटी चटनी थे। युवक उसके भावपूर्ण लेखों को पढ़ कर साहसी, सत्यप्रिय तथा उन्नत बनने का पाठ ग्रहण करते, युवतियाँ उससे नारी-जीवन के वास्तविक कर्त्तव्य का ज्ञान प्राप्त करतीं, वृद्ध उसे पढ़ कर अपना लोक-परलोक सुधारते। मतलब यह कि सभी के लिए उसमें थोड़ा-बहुत मसाला रहता। सभी उसे प्यार करते थे। सभी उसके नए अङ्क की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए राह देखा करते।

सम्पादक थे, उसके प्रमोदकुमार 'आनन्द'। स्वभाव के हँसमुख, शरीर के हृष्ट-पुष्ट और रङ्ग-रूप के सुन्दर। दुखियों के प्रति उनके हृदय में दया थी, दरिद्रों के लिए स्नेह। उद्देश्य था, उनका सेवा। उनकी योग्यता पर सब लट्टू थे। सभी के हृदय में उनके लिए सम्मान था। 'बेधड़क' का सम्पादन वे बड़ी योग्यता से करते थे। वही उनकी आठो पहर की चिन्ता थी। उसकी उन्नति ही उनके लिए स्वयं अपनी उन्नति थी। यही कारण है कि वे तन-मन-धन से उसी में लगे हुए थे।

२

सन्ध्या-समय की बात है। प्रमोदकुमार कई मित्रों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। उनके ये सभी मित्र साहित्य-प्रेमी थे, सबको साहित्याध्ययन की चाट थी। उनके पत्र के लिए वे कुछ न कुछ लिखा ही न करते थे, वरन् उसके प्रकाशन में भी वे प्रमोद के दाहिने हाथ थे।

प्रमोद की ओर कुर्सी फेरते हुए प्रेमशङ्कर ने कहा—यार आनन्द! तुम्हारे पत्र का वर्ष पूरा होने को आ गया, क्या इस बार कोई विशेषाङ्क निकालने का विचार नहीं है?

"विशेषाङ्क!"—प्रमोद ने प्रश्न को दोहराया—"नवीन वर्ष का प्रथम अङ्क स्वयं ही नव-वर्षाङ्क होगा।"

"नहीं, यह ठीक नहीं। कोई और विशेषाङ्क निकालो।"

पण्डित रुद्रदत्त बोल उठे—अपने राम की भी यही राय है। अबकी बार ऐसा विशेषाङ्क निकाला जावे, जैसा आज तक किसी साप्ताहिक का निकला ही न हो।

"तो क्या 'कल्याण' के रामायणाङ्क अथवा 'विशाल-भारत' के कला-अङ्क से भी बढ़ कर?"—प्रमोद ने पूछा।

"नहीं जी, उतना भारी पोथा ठीक नहीं। सौ-सवा सौ पृष्ठों का अङ्क हो; सामग्री चित्रादि मज़ेदार हों; रूप-रङ्ग ठाठदार हो।"

रुद्रदत्त—ठीक है। ऐसे अङ्क का मूल्य भी कम हो, ताकि बिक्री अधिक हो।

प्रमोद—यह ठीक है। परन्तु यथार्थ में मैं तो बिना किसी विशेष बात के विशेषाङ्क निकालना ही नहीं पसन्द करता। यदि कोई विशेष अवसर होता तब तो ठीक भी था।

प्रेम—तो क्या यह विशेष अवसर नहीं है? नए वर्ष से बढ़ कर और कौन सा सुअवसर होगा?

पं० रुद्रदत्त ने कहा—भई आनन्द जी! कुछ भी हो, विशेषाङ्क अवश्य निकालिए। कुछ न सही, ज़रा अपनी और पत्र की शान ही बढ़ेगी।

प्रमोद हँसे। दीनानाथ ने कहा—निकलने न दो, उसमें हानि ही क्या है?

प्रमोद ने कहा—परन्तु एक......।

बात काट कर प्रेम ने कहा—अब परन्तु-वरन्तु रहने दीजिए। बस विशेषाङ्क की तैयारियाँ आरम्भ कर दीजिए। कहिए रुद्रदत्त जी, क्या विशेषाङ्क होना चाहिए?

"मेरी सम्मति में तो"—पण्डित जी ने कुछ सोचते हुए कहा—"इस अङ्क का नाम 'जुबली-अङ्क' रक्खा जावे।"

"जुबली!"—सब मित्र खिलखिला पड़े।

"भई वाह, जुबली-अङ्क तो पचास या पच्चीस वर्ष पर निकल सकता है, अभी उसका समय कहाँ?"

"न सही। जुबली के अर्थ हर्ष के हैं। अतएव किसी भी हर्ष के अवसर पर जुबली-अङ्क निकाला जा सकता है। फिर 'बेधड़क' के इस वर्ष पचास अङ्क निकल चुके हैं। अगला अङ्क बेखटके 'जुबली-अङ्क' हो सकता है।"

सब मित्र कुछ क्षण तक विचार में लीन रहे। प्रेम ने पूछा—"क्या और कोई अङ्क नहीं हो सकता?" उन्होंने दीनानाथ की ओर देखा।

दीनानाथ कुछ सोचते हुए से बोले—और क्या? फिर तो 'नववर्षाङ्क' ही हो सकता है।

प्रमोद ने कहा—यही ठीक भी है।

प्रेम ने उनकी ओर देख कर सिर हिलाया। पण्डित जी बोले—अजी, और क्या हो सकता है, जुबली-अङ्क ही रक्खो। उसमें हानि ही क्या है? एक नई बात होगी।

बड़ी देर सोचने के उपरान्त प्रेम ने सबकी ओर देखते हुए कहा—अच्छा यही सही। क्यों भाई दीनानाथ?

दीनानाथ ने सिर हिला कर कहा—हाँ-हाँ, अच्छा है।

प्रेम—तो प्रमोद! बस कल ही के अङ्क में इसकी सूचना दे दो।

"जुबली की?"—प्रमोद मुस्कराए।

"हाँ-हाँ।"—पण्डित जी, प्रेम तथा दीनानाथ ने एक साथ ही कहा।

"अच्छी बात है। जैसी राय हो।"

दूसरे ही दिन 'जुबली-अङ्क' की सूचना बड़े मोटे-मोटे अक्षरों में पूर्ण विवरण के साथ 'बेधड़क' में प्रकाशित हो गई।

३

जुबली-अङ्क की तैयारियाँ हो चुकीं। चित्रों का प्रबन्ध, लेखों का संग्रह और विज्ञापनों का चुनाव सब कुछ हो गया। पिछले कई दिवस से प्रमोद मित्र-मण्डली सहित समस्त सामग्री के संग्रह में संलग्न थे। टाईटिल के लिए सुन्दर तिरङ्गे चित्र का ब्लॉक बनवाया गया था; लेखों और उनके लिए बढ़िया काग़ज़ का विशेष रूप से प्रबन्ध हुआ था। चित्र भी यथाशक्ति एक से एक मनोहर छाँटे गए थे। इस बार पण्डित रुद्रदत्त जी ने समस्त रात्रि जग कर बालकों के लिए मनोरञ्जक लेख लिखे; दीनानाथ ने वृद्धों के योग्य सामग्री संग्रह करने में अपनी समस्त योग्यता लगा दी और प्रेमशङ्कर ने तो विशेषाङ्क के लिए कविता गढ़ने में क़लम ही तोड़ दी। सभी तैयारियाँ हो चुकी थीं, केवल प्रमोद का सम्पादकीय लेख न लिखा पाया था। इस समय वे उसी के लिखने में लग्न थे।

दिन के तृतीय प्रहर का समय था। गर्मी यथेष्ट पड़ रही थी, प्रमोदकुमार अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे लिखने में निमग्न थे। उन्होंने इस लेख का शीर्षक रक्खा था 'जुबली-अङ्क'। लेख अभी समाप्त न हो पाया था। प्रमोद दाँत तले क़लम दबाए कुछ विचार कर रहे थे। सहसा कमरे के द्वार की चिक हट गई और एक पुलिस सब-इन्स्पेक्टर ने दो सिपाहियों के सहित कमरे में प्रवेश किया। प्रमोद ने विस्मयपूर्वक दृष्टि उनकी ओर फेरी। दरोग़ा जी के समीप आने पर वे कुछ मुस्कराए। अपनी जेब से एक काग़ज़ निकाल कर प्रमोद के हाथ में देते हुए दरोग़ा जी ने कहा—गत सप्ताह के अङ्क के सम्पादकीय लेख में कुछ भाग राजद्रोहात्मक लिखने के अपराध में मैं आपको गिरफ़्तार करना चाहता हूँ। आप पर सेडीशन का केस चलाया जावेगा।

प्रमोद ने सरसरी दृष्टि से हाथ के पत्र को देखा। वह उनका वारण्ट था। उनका हृदय क्षण भर को धक् से हो गया। परन्तु तुरन्त ही वे सँभल गए और मुस्करा कर दरोग़ा जी से बोले—अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ। परन्तु यदि आपकी आज्ञा हो तो दस मिनट में यह लेख पूर्ण कर दूँ। तब तक आप बैठिए।

दरोग़ा जी ने अपनी असमर्थता दर्शाते हुए कहा—क्षमा कीजिए; मैं विवश हूँ। ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता, मुझे आपको तुरन्त जेल पहुँचाना है।

प्रमोद ने और कुछ न कहा। दरोग़ा जी पर से दृष्टि हटा कर एक बार विषादपूर्ण दृष्टि से लेख को देखते हुए उन्होंने कहा—अच्छी बात है, चलिए।

प्रमोद की गिरफ़्तारी की सूचना अब तक समस्त कार्यालय में पहुँच चुकी थी। देखते-देखते कमरा प्रेस के कर्मचारियों से भर गया। प्रेमशङ्कर और पं० रुद्रदत्त भी आ पहुँचे। प्रमोद की ओर विषादपूर्ण हँसी से देखते हुए पण्डित जी ने कहा—ख़ूब! का सुनाइ विधि काह सुनावा! कहाँ तो जुबली हो रही थी और कहाँ यह......।

प्रमोद ने मुस्कराते हुए तथा उनसे विदा लेते हुए कहा—हरि इच्छा बलवान! अब मैं तो जाता हूँ। परन्तु देखो, अङ्क अवश्य निकालना। मेरी अनुपस्थिति में पत्र का कार्य रुकना न चाहिए।

पण्डित जी दृढ़तापूर्वक बोल उठे—भला कहीं पत्र रुक सकता है? निकलेगा और अवश्य निकलेगा। आप उसकी चिन्ता न करें।

प्रमोद ने कुछ हँसने का प्रयत्न करते हुए कहा—इसी में मुझे सुख मिलेगा।

तदुपरान्त अन्य कर्मचारियों ने प्रमोद के गले में मालाएँ पहनाईं और पुष्पों की वर्षा की। मुस्कराते हुए

प्रमोद बाहर मोटर पर जा बैठे। क्षण भर में मोटर हवा से बातें करने लगी। जय-जयकार से आस-पास की वायु थर्रा उठी।

४

प्रमोदकुमार पर सेडीशन केस बड़े ज़ोर-शोर से चला। प्रथम तो न जाने किस कारण से कोई बड़ा वकील उनकी ओर से पैरवी करने को सहमत न हुआ, परन्तु अन्त में दो वकील उनकी ओर से खड़े हो गए। वे दोनों यद्यपि सर्वश्रेष्ठ वकील तो न थे, परन्तु फिर भी थे अच्छे वकीलों में से। उन्होंने अपनी सम्पूर्ण सामर्थ्य लगा कर प्रमोद का केस लड़ा। अनेक तर्क-वितर्क किए, विविध नज़ीरें उपस्थित कर, उन्हें निर्दोष प्रमाणित कराना चाहा, परन्तु सफल न हो सके।

शुक्रवार का दिन था। आज ही प्रमोद के मुक़दमे का फ़ैसला सुनाया जाने वाला था। अदालत में यथेष्ट भीड़ थी। प्रेमशङ्कर, दीनानाथ और रुद्रदत्त भी उपस्थित थे। दो बजे के उपरान्त मैजिस्ट्रेट ने फ़ैसला सुनाया। प्रमोद को १½ वर्ष की क़ैद और ५००) जुर्माने का दण्ड मिला। समस्त अदालत में सन्नाटा छा गया। सभी एक-दूसरे की ओर देखते रह गए।

## क़ानून के सबब से मख़्लूक़ डर रही है

[ कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी ]

अपनी क़ज़ा से ख़िलक़त,[1] आलम में डर रही है,
दुनिया किसी को नाहक़ बदनाम कर रही है।
मग़रिब[2] के उलटे-सीधे, साँचों ने क़हर[3] ढाया,
हम यह समझ रहे थे, दुनिया सँवर रही है।
दुनिया को देख कर भी, दुनिया को कुछ न देखा,
इस पर नज़र रही है, उस पर नज़र रही है।
हरदम नया शिकञ्जा, हर वक़्त ख़ास बन्दिश,[4]
क़ानून के सबब से मख़्लूक़[5] डर रही है।
मिल कर किसी से लड़ना, लड़ कर किसी से मिलना,
महफ़िल में वह नज़र भी क्या काम कर रही है!
ऐसा दिया थपेड़ा, मुश्किल हुआ ठहरना,
मौजों ने जब यह देखा कश्ती उभर रही है।
क्यों कर न क़िस्सए ग़म "बिस्मिल" उन्हें सुनाऊँ,
वह पूछते हैं मुझसे, कैसी गुज़र रही है?

१—जनता, २—पश्चिम, ३—ग़ज़ब, ४—बन्धन, ५—जनता।

कुछ ही देर के उपरान्त पुलिस प्रमोद को जेल ले चली। मित्रों ने बधाई दी, जनता ने जय-घोष किया। लॉरी तीव्रता से वायु को चीरती हुई चल दी। प्रमोद सिर झुकाए बैठे किसी चिन्ता में लीन थे। सहसा सड़क पर एक आवाज़ ने उनकी विचार-माला तोड़ दी। उन्होंने दृष्टि उस ओर फेरी। सड़क के किनारे खड़ा एक द्वादश-वर्षीय बालक चिल्ला रहा था—'बेधड़क' का 'जुबली-नम्बर' आठ आने को। छप गया 'बेधड़क' का 'जुबली-नम्बर'!' प्रमोद ने देखा, उसके हाथ में 'बेधड़क' की कुछ कॉपियाँ थीं। दूर से उसका तिरङ्गा मुख-पृष्ठ देख, प्रमोद खिल उठे। उसके देखने की उत्कट अभिलाषा से वे उद्विग्न हो उठे। उत्सुकतापूर्वक उन्होंने इन्स्पेक्टर से कहा—महोदय! मैं ज़रा 'जुबली-अङ्क' देखना चाहता हूँ। मिल सकता है?

"क्षमा कीजिए"—इन्स्पेक्टर ने कहा—"मैं नियम-विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता।"

प्रमोद का मुख उतर गया। वे ललचाई दृष्टि से उस बालक की ओर देखते रह गए। उनके हृदय के कोने से न जाने कौन कह उठा—"आह! क्या यही जुबली है?"

[ श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर ]

## इङ्गलैण्ड का शासन-विधान

इङ्गलैण्ड का शासन-विधान संसार के अन्य कई विधानों का जनक है। उसी तरह वहाँ की (इङ्गलैण्ड की) पार्लामेण्ट भी अन्य पार्लामेण्टों की जननी है। संसार के इतिहास में शासन-कला की उन्नति में जितना भाग इङ्गलैण्ड का है, उतना किसी भी अन्य देश का नहीं है। आजकल संसार में जितने शासन-विधान पाए जाते हैं, उनमें सबसे प्राचीन इङ्गलैण्ड का ही शासन-विधान है। इङ्गलैण्ड का विधान रूपी वृक्ष पाँच सौ वर्षों का प्राचीन है। इन पाँच सौ वर्षों में इङ्गलैण्ड में बहुत उलट-फेर हुए हैं—अनेक बार क्रान्तियाँ भी हुई हैं, पर उसका विधान-वृक्ष बराबर फूलता-फलता ही जा रहा है। एक के बाद एक करके अनेक नवीन शाखाएँ निकलती चली आई हैं। इसके तीन प्रधान कारण हैं।

प्रथम कारण है, इङ्गलैण्ड की भौगोलिक स्थिति। यूरोपीय महाद्वीप से बीस मील चौड़े समुद्र द्वारा इङ्गलैण्ड सर्वदा के लिए अलग कर दिया गया है। फलतः विदेशी आक्रमणों से इङ्गलैण्ड पूर्णतया सुरक्षित रहा है और वहाँ के राजाओं को कभी विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने के बहाने जनता की स्वतन्त्रताएँ अपहरण करने का अवसर नहीं मिला है।

दूसरा कारण है, अङ्गरेज़ जाति की राष्ट्रीयता। सेल्ट, सैक्सन, नॉरमन तथा डेन, इन चार जातियों के एक दूसरे से मिल जाने से ब्रिटिश राष्ट्र बना है। फलतः जातीय स्वभाव के कारण अङ्गरेज़ जाति सदा राजनीतिक स्वतन्त्रताओं की उपासक रही है। अङ्गरेज़ सदा उसी शासन को उचित समझते रहे हैं, जो जनता की इच्छाओं के अनुकूल रहा है। तीसरा कारण यह है कि इङ्गलैण्ड का विधान सदा लचकदार (Flexible) रहा है। कड़े क़ानूनों तथा नियमों का वहाँ विधान में समावेश न होने के कारण उसने सदा मनमाने रास्ते पर चल कर अपने ढङ्ग से उन्नति की है तथा इसके मार्ग में कभी क़ानून-रूपी रोड़े नहीं पड़े हैं। संसार के अन्य विधान लिखित हैं। परन्तु इङ्गलैण्ड का विधान अलिखित है। केवल थोड़ा अंश लिखित है। इङ्गलैण्ड के विधान की अधिकतर बातें कहीं लिखी नहीं पाई जाएँगी। क्योंकि विधान बनाने के लिए कभी इङ्गलैण्ड में विधान-विधायिनी सभा नहीं बैठी। इङ्गलैण्ड का विधान पाँच बातें मिल कर बना है और इन बातों की व्याख्या पूरी तरह नहीं की जा सकती। सबसे पहिले विधान में वे आवश्यकीय ऐतिहासिक बातें हैं, जो समय-समय पर इङ्गलैण्ड के राजाओं या वहाँ की पार्लामेण्टों द्वारा की गई हैं। जैसे, मेगनाचार्टा (Magnacharta) १२१५, अधिकार सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र (Petition of Right) १६२८, अधिकारों का बिल (Bill of Rights) १६८६, बन्दोबस्त क़ानून (Act of Settlement) १७०१, एकता सम्बन्धी क़ानून (Act of Union) १७०७, सुधार क़ानून (The Great Reform Act) १८३२, पार्लामेण्ट सम्बन्धी क़ानून (The Parliament Act) १९११, और आयर्लैण्ड की सरकार का क़ानून (The Government of Ireland Act) १९२२। इसके बाद वे क़ानून हैं, जिन्हें पार्लामेण्ट ने समय-समय पर बनाया है और जो ऐसी बातों से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे मताधिकार, चुनाव, सरकारी अफ़सरों के अधिकार तथा कर्तव्य आदि। तीसरे न्यायाधीशों के वे निर्णय हैं, जो उन्हें समय-समय पर भिन्न-भिन्न क़ानूनों के सम्बन्ध में देने पड़े हैं। चौथे इङ्गलैण्ड का आम क़ानून है, जिसे अङ्गरेज़ी में कॉमन लॉ (Common Law) कहते हैं। आम क़ानून से उन क़ानूनों से मतलब है, जो (पार्लामेण्ट द्वारा बनाए क़ानूनों को छोड़ कर समय-समय पर इङ्गलैण्ड में उपजे हैं और अन्त में सर्वत्र माने गए हैं। ऐसे आम क़ानून न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा सदा बढ़ते रहते हैं। अन्त में वे बातें हैं, जो समय-समय पर इङ्गलैण्ड में की गई हैं और वे बातें इतनी बार की जा चुकी हैं, तथा इतनी अधिकारपूर्ण हैं कि अब वे अवश्यमेव मानी जाती हैं। इङ्गलैण्ड के विधान का काफ़ी अंश ऐसी ही बातों द्वारा बना है।

इङ्गलैण्ड के विधान में किसी समय भी पार्लामेण्ट संशोधन कर सकती है। पार्लामेण्ट जब चाहे एक क़ानून पास करके विधान में संशोधन तथा परिवर्तन कर सकती है। ऐसा कोई भी क़ानून या अधिकार नहीं है, जिसे पार्लामेण्ट बदल न सकती हो, ऐसा कोई भी न्यायाधीशों का निर्णय नहीं है, जिसे पार्लामेण्ट रद्द न कर सकती हो। आम क़ानून के सम्बन्ध में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, जिसे पार्लामेण्ट परिवर्तित नहीं कर सकती है। ऐसी कोई भी की हुई बात नहीं है, जिसका पार्लामेण्ट अन्त नहीं कर सकती। पार्लामेण्ट ही सर्वेसर्वा है। सारे सरकारी अधिकार पार्लामेण्ट की कृपा पर ही निर्भर हैं।

सहस्रों वर्ष पहिले की बात है, जब यूरोप से सेल्टिक जाति ने इङ्गलैण्ड पर धावा किया था। ईसा के ५४ वर्ष पहिले जुलियस सीज़र ने इङ्गलैण्ड पर चढ़ाई की थी। पर सीज़र ने वहाँ अपना अड्डा नहीं जमाया। सौ वर्ष पश्चात् सम्राट् क्लाडियस ने इङ्गलैण्ड को जीत कर उसे रोम के साम्राज्य का एक प्रान्त बना लिया। रोम वाले चार सौ वर्ष तक इङ्गलैण्ड पर अपना अधिकार जमाए रहे। उनके समय में इङ्गलैण्ड ने ख़ूब उन्नति की। उसके पश्चात् एङ्गल्स और सैक्सन जातियों ने इङ्गलैण्ड पर अधिकार जमाया। सैक्सन काल में इङ्गलैण्ड का राजा सदा एक ही वंश का होता था और युद्ध-काल में वह जनता का नेता समझा जाता था। वह 'विटन' सभा की रज़ामन्दी से क़ानून बनाता था तथा क़ानूनों को कार्यान्वित करता था। गिर्जाघर की सभाओं का सभापति भी वही बनता था।

राजा की एक बड़ी कौन्सिल होती थी, जिसे 'विटन' कहते थे। आवश्यकीय मामलों पर राजा इस कौन्सिल

से सलाह लेता था। परन्तु जब राजा कमज़ोर होता था, तो देश का शासन बहुत-कुछ कौन्सिल के हाथ में चला जाता था। राजा के प्रधान अफ़सर, बिशप आदि और देश के बड़े-बड़े लोग इस कौन्सिल के सदस्य होते थे। राजा जिसे चाहता, उसे इस कौन्सिल में बुला सकता था, अतएव समय-समय पर इस कौन्सिल के सदस्यों की संख्या घटती-बढ़ती रहती थी। राजा के सभापतित्व में इसकी बैठकें होती थीं और वही इसके कार्यों का सञ्चालन करता था। नए क़ानूनों को कौन्सिल की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थी। 'विटन' कौन्सिल सन्धियाँ करती थी, टैक्स आदि इसी की रज़ामन्दी से लगाए जाते थे, और गिर्जाघरों के कार्यों का सञ्चालन भी इसी की निगरानी में होता था।

'विटन' कौन्सिल के सदस्य जनता द्वारा चुने नहीं जाते थे, अतएव इसे प्रतिनिधि-संस्था नहीं कह सकते। तथापि यह कौन्सिल राजा के निरङ्कुश कार्यों को रोक सकती थी, पर अधिक नहीं, क्योंकि राजा अपने समर्थकों को कौन्सिल का सदस्य बना कर कौन्सिल को अपनी उँगुली पर नचा सकता था।

सैक्सन काल में प्रत्येक गाँव में एक ग्राम-सभा होती थी। प्रत्येक गाँव में कुछ अफ़सर होते थे, जो इस सभा के सदस्य चुने जाते थे। गाँव के प्रधान अफ़सर को 'रीव' ( Reeve ) कहते थे। कुछ गाँव मिल कर एक गुट बनाते थे, जिसे 'हण्ड्रेड' ( Hundred ) कहते थे। प्रत्येक 'हण्ड्रेड' में एक स्थानीय सभा होती थी। इसमें प्रत्येक गाँव का 'रीव' तथा अन्य चार भले आदमी रहते थे।

अन्त में वह सभा होती थी, जिसे 'शाइर' ( Shire ) कहते थे। इस सभा में बड़े ज़मींदार, गिर्जाघर के बड़े पदाधिकारी, 'रीव' तथा गाँव के अन्य प्रतिनिधि रहते थे। इस सभा की बैठक वर्ष में दो बार होती थी। इसका सभापति आमतौर से राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था, जिसे 'एल्डरमैन' ( Ældorman ) कहते थे। एक और अफ़सर भी होता था, जिसे 'शेरिफ़' या 'शाइर रीव' कहते थे। यह भी राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। कुछ समय बाद यही अफ़सर सभा का सभापति होने लगा था। यह सभा महत्वपूर्ण—विशेषकर भूमि से सम्बन्ध रखने वाले—मुक़दमे सुनती थी। इसकी अपील 'विटन' में सुनी जाती थी।

कुछ समय पश्चात् नॉर्मनों ने इङ्गलैण्ड पर अधिकार कर लिया। उनके वहाँ आने के साथ ही इङ्गलैण्ड के शासन-विधान के दूसरे अध्याय का श्रीगणेश हुआ। नॉर्मन-काल में राजा के अधिकार बहुत बढ़ गए। विटन-कौन्सिल का स्थान 'मगनम-कान्सीलियम' ( Magnum Concilium ) ने ले लिया। इसमें भी 'विटन' की भाँति ही ऊँचे सरकारी अफ़सर आदि रहते थे। राजा विलियम के समय इस कौन्सिल की बैठक वर्ष में तीन बार होती थी। पर इस समय इस कौन्सिल के अधिकार उतने न रह गए थे। बहुत से अधिकार राजा के हाथों में चले गए थे। इस कौन्सिल के कुछ सदस्य—विशेषकर सरकारी अफ़सर राजा के साथ हर समय रहा करते थे। जहाँ-जहाँ राजा जाता था, वहाँ-वहाँ ये अफ़सर भी जाते थे। ये लोग राजा को सलाह दिया करते थे तथा शासन करने में उसकी सहायता करते थे। इन लोगों को 'क्युरिया रेजिस' ( Curia Regis ) कहते थे। उस समय के सम्बन्ध में आवश्यकीय बात, जो पाठकों को स्मरण रखनी चाहिए, यह है कि राजा एक कौन्सिल की सहायता से देश पर शासन करता था, जिसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते थे। अन्तिम काल में कौन्सिलें दो प्रकार की होती थीं। बड़ी कौन्सिल से पार्लामेण्ट की उत्पत्ति हुई। छोटी कौन्सिल से प्रीवी-कौन्सिल, एक्सचेकर ( Exchequer ) तथा हाईकोर्ट की उत्पत्ति हुई। अस्तु।

द्वितीय हेनरी ने शासन में समयानुकूल अनेक परिवर्तन किए, सरकारी न्यायाधीश दौरे पर विशेष तौर से भेजे जाने लगे। योग्य शेरिफ़ नियुक्त किए गए। अदालतों में ज्यूरियों का आमतौर से प्रयोग किया जाने लगा, 'क्यूरिया रेजिस' के शासकीय तथा न्याय-विभाग को अलग-अलग कर दिया गया। बड़ी कौन्सिल का प्रयोग अधिक होने लगा तथा तमाम आवश्यकीय प्रश्न इसके सामने रक्खे जाने लगे। उसका क्लैरण्डन का विधान ११६४ ( Constitutions of Clarendon ) इङ्गलैण्ड के विधान का प्रथम लिखित अंश है।

सन् १२१५ के चार्टर ने बड़ी कौन्सिल के अधिकार बढ़ा दिए। इस चार्टर में स्पष्ट कहा गया था कि बिना कौन्सिल की स्वीकृति के राजा नवीन तथा विशेष टैक्स नहीं लगा सकता था। प्रत्येक 'बैरन' ( Baron ) तथा 'नाइट' ( Knight ) को कौन्सिल में निमन्त्रित करना आवश्यक था। इस 'मेगना कार्टा' ने जनता के प्रतिनिधियों को कौन्सिल में बुलवाने का प्रयत्न किया। 'मेगना कार्टा' का महत्व यह है कि इसने कुछ मामलों पर कौन्सिल की स्वीकृति लेना राजा के लिए लाज़िमी कर दिया।

दो वर्ष पहिले राजा जॉन ने बैरनों तथा प्रत्येक ज़िले से चार नाइटों को कौन्सिल में बुलाया था। इसके बाद राजा जॉन के उत्तराधिकारी तृतीय हेनरी ने जॉन का अनुकरण करके नाइटों को बुलाया और उनसे कई प्रकार के नवीन टैक्स को लगाने की स्वीकृति माँगी। परन्तु नाइटों ने स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया। फलतः दोनों पक्षों में झगड़ा हो पड़ा। दोनों तरफ़ से हथियार चमकने लगे और युद्ध आरम्भ हो गया। परन्तु इस युद्ध में राजा पराजित हो गया और बैरनों का नेता साइमन डी मण्टफ़र्ट इङ्गलैण्ड का शासक बन बैठा। परन्तु मण्टफ़र्ट को भी धन की उतनी ही आवश्यकता थी, जितनी हेनरी को, और बिना कौन्सिल की स्वीकृति के धन मिल नहीं सकता था। अतएव उसने एक ऐसी कौन्सिल बुलाने की योजना की, जो उसे धन दे दे। फलतः सन् १२६५ में उसने एक कौन्सिल बुलाई, जिसमें बिशप, बैरन तथा नाइटों को छोड़ कर इङ्गलैण्ड के २१ शहरों से दो-दो प्रतिनिधि भी आए थे। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि मण्टफ़र्ट ने उन्हीं शहरों से प्रतिनिधि बुलाए थे, जो उसे धन देने को तैयार थे। चूँकि शहरों के प्रतिनिधि पहले-पहल बुलाए गए थे, इसीलिए मण्टफ़र्ट को बहुधा हाउस ऑफ़ कॉमन्स ( House of Commons ) का पिता कहते हैं। परन्तु मण्टफ़र्ट के शासन से अलग होते ही शहरों के प्रतिनिधियों का कौन्सिल में बुलाया जाना पुनः बन्द हो गया। सन् १२९५ में प्रथम एडवर्ड ने उन्हें एक बार पुनः बुलाया। सन् १२९५ में युद्ध के कारण एडवर्ड को धन की अत्यावश्यकता थी। अतः उसने एक बड़ी सी कौन्सिल बुलाई, जिसे अब पार्लामेण्ट कहते थे। इस पार्लामेण्ट की बैठक एक ही चेम्बर में हुई थी, पर इसके सदस्य तीन भागों में बटे थे। गिर्जाघर से सम्बन्ध रखने वालों का एक गुट था, बैरनों तथा नाइटों का दूसरा, और शहर के लोगों का तीसरा गुट था। प्रत्येक गुट अलग वोट देता था, अलग राजा के सम्मुख जाता था और धन के लिए अपनी स्वीकृति दे आता था। ये लोग बैठते न थे, राजा के सामने खड़े रहते थे और तमाम कार्यवाही केवल कुछ मिनटों में ही समाप्त हो जाती थी। अन्त में क्रमशः उपर्युक्त तीन गुट दो गुटों में परिवर्तित हो गया। पादरियों और बैरनों का एक गुट हो गया तथा नाइटों और शहरों के प्रतिनिधियों का दूसरा। इस तरह पार्लामेण्ट दो शाखाओं में विभाजित हो गई, जिसे आगे चल कर हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ( House of Lords ) और हाउस ऑफ़ कॉमन्स ( House of Commons ) कहने लगे। पर ऐसा होने में लगभग सौ वर्ष लग गए थे।

पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि चौदहवीं सदी में पार्लामेण्ट क़ानून नहीं बनाती थी। लॉर्डों की स्वीकृति से राजा क़ानून बनाता था। हाउस ऑफ़ कॉमन्स के सदस्य केवल प्रार्थना-पत्र उपस्थित कर सकते थे तथा टैक्सों की स्वीकृति देते थे। पर धीरे-धीरे हाउस ऑफ़ कॉमन्स या साधारण सभा के अधिकार बढ़ने लगे और कुछ समय पश्चात् उसने यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि धन से सम्बन्ध रखने वाले तमाम प्रश्नों पर पहिले वही विचार किया करे। सन् १४०७ में राजा ने भी स्वीकार कर लिया कि पहिले साधारण सभा ही टैक्सों की स्वीकृति दे। तत्पश्चात् सरदार-सभा ( हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ) की स्वीकृति ली जावे। क़ानून बनाने में भी क्रमशः साधारण सभा के अधिकार बढ़ने लगे। चौदहवीं सदी में साधारण सभा की प्रार्थना पर बड़ी सभा की स्वीकृति से राजा क़ानून बनाता था। पन्द्रहवीं सदी में दोनों सभाओं की सलाह पर तथा दोनों सभाओं की सलाह से राजा क़ानून बनाता था। जिस समय इङ्गलैण्ड में गृह-युद्ध ( War of Roses ) हो रहा था, उस समय साधारण सभा के अधिकार बढ़ रहे थे। क्योंकि सरदार-सभा के सदस्य आपस में लड़ने में लगे थे तथा, 'बैरन' आदि युद्ध में नष्ट हो रहे थे।

फिर भी राजा सप्तम् हेनरी तथा रानी एलिज़बेथ के काल में हाउस ऑफ़ कॉमन्स के अधिकार हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स से कम ही थे। राजा हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स की ही अधिक परवाह करता था और यदि हाउस ऑफ़ कॉमन्स राजा की इच्छा के विपरीत चलने का प्रयत्न करता तो राजा उसे धमकियाँ दिया करता था। राजा अष्टम् हेनरी ने एक अवसर पर तो यहाँ तक कह डाला था कि यदि हाउस ऑफ़ कॉमन्स अमुक-अमुक बात नहीं करेगा, तो उसके सदस्यों को प्राणदण्ड दिया जावेगा। रानी एलिज़बेथ ने दो सदस्यों को क़ैद कर लिया था; क्योंकि वे एक ऐसे क़ानून बनाने पर ज़ोर दे रहे थे, जिसे वह पसन्द नहीं करती थी। राजा जब चाहता तब पार्लामेण्ट को बुलाता था और जब चाहता तब भङ्ग कर देता था।

स्टुअर्टों के काल में राजा और पार्लामेण्ट में तना-तनी होने लगी। रानी एलिज़बेथ के मरने पर प्रथम जेम्स सिंहासन पर बैठा। उसका दावा था कि वह ईश्वरीय अधिकार ( Divine Rights ) से इङ्गलैण्ड पर शासन करता है। वह अपने विशेष अधिकारों पर अधिक ज़ोर देता था। वह बिना पार्लामेण्ट की स्वीकृति के ही प्रजा पर कुछ नए कर लगाना चाहता था तथा बिना क़ानून का विचार किए ही न्याय करना चाहता था। पार्लामेण्ट ने उपर्युक्त दोनों दावों का विरोध किया। पर ख़ैरियत इतनी ही हुई कि प्रथम जेम्स ने अपने दावों पर अधिक ज़ोर नहीं दिया और झगड़ा होते-होते बच गया। इसके बाद जेम्स अपना काम ऑर्डिनेन्सों से निकाल लेता था। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी प्रथम चार्ल्स ने झगड़ा खड़ा ही कर लिया। सन् १६२८ में पार्लामेण्ट की दोनों सभाओं ने मिल कर प्रसिद्ध अधिकारों के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र ( Petition of Right ) राजा की सेवा में उपस्थित किया, जिसमें कहा गया था कि बिना पार्लामेण्ट की स्वीकृति के राजा किसी आदमी से टैक्स

और क़र्ज़ आदि नहीं ले सकता। राजा ने उस समय तो उसे मान लिया, पर शीघ्र ही मनमानी करने लगा। उसने पार्लामेण्ट से बिना स्वीकृति लिए ही जनता पर नए-नए टैक्स लगाए और क़र्ज़ देने के लिए भी विवश किया। जब पार्लामेण्ट ने इसका घोर विरोध किया तो उसने पार्लामेण्ट ही भङ्ग कर दी और ग्यारह वर्ष तक बना पार्लामेण्ट के ही देश पर शासन करता रहा। फलतः इङ्गलैण्ड में महान क्रान्ति हुई और बाध्य होकर चार्ल्स ने पुनः एक पार्लामेण्ट बुलाई। इस पार्लामेण्ट ने यह क़ानून पास किया कि प्रत्येक तीसरे वर्ष पार्लामेण्ट अवश्य बुलाई जाया करे। इस क़ानून को 'ट्रीनियल ऐक्ट' ( Triennial Act ) कहते हैं। इसी पार्लामेण्ट ने जनता के सामने अपना पक्ष ज़ोरों से रक्खा था। राजा और पार्लामेण्ट के मध्य जो युद्ध हुआ, उसमें पार्लामेण्ट की विजय हुई। राजा को प्राण-दण्ड दिया गया। कुछ समय के लिए इङ्गलैण्ड से राजतन्त्र उठ गया और हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स का भी अन्त हो गया। क्रॉमवेल ने नवीन ढङ्ग से देश पर शासन करना प्रारम्भ किया। सन् १६५८ में क्रॉमवेल की मृत्यु हुई। उसने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र रिचार्ड को चुना था, परन्तु रिचार्ड शीघ्र अपने पद से अलग हो गया और सन् १६६० में इङ्गलैण्ड में राजतन्त्र की पुनः स्थापना हुई।

इङ्गलैण्ड के नवीन राजा द्वितीय चार्ल्स ने २५ वर्ष तक देश पर शासन किया था। यद्यपि उसके शासन-काल में अनेक अवसरों पर पार्लामेण्ट से झगड़े उठे, पर उसने कभी भी झगड़े को बढ़ने नहीं दिया। उसके भाई द्वितीय जेम्स ने पार्लामेण्ट से झगड़ा कर लिया, जिसके परिणाम-स्वरूप उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा और १६८८ में, विलियम इङ्गलैण्ड के सिंहासन पर बैठाला गया।

राजा और पार्लामेण्ट के युद्ध के काल में राजा की कौन्सिल, जिसे अब प्रीवी-कौन्सिल कहते थे, बहुत मज़बूत हो गई। इसके सदस्यों की संख्या अब अधिक हो गई। यहाँ तक कि एक समय इसमें चालीस सदस्य थे। राजा अपने अनेक अधिकारों का प्रयोग इसी कौन्सिल द्वारा करता था। यह कौन्सिल व्यापार तथा न्याय-विभाग आदि का निरीक्षण करती थी तथा अर्थ पर भी अधिकार रखती थी। इसके सिवा सरकार के प्रत्येक विभाग पर कौन्सिल का कम या अधिक निरीक्षण रहता था।

राजा इसी कौन्सिल की सलाह पर चलता था। पर जब कौन्सिल के सदस्यों की संख्या अधिक हो गई, तो द्वितीय चार्ल्स ने इसके कुछ सदस्यों की एक अन्तरङ्ग कौन्सिल बनाई, जो उसे आवश्यकीय तथा गोपनीय मामलों पर सलाह दिया करती थी। इसी अन्तरङ्ग कौन्सिल को कैबिनट की नींव समझना चाहिए।

विलियम के सिंहासन पर बैठने के उपरान्त पार्लामेण्ट ने अपने अधिकारों की पुनः घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया था कि पार्लामेण्ट ही उच्चतम क़ानूनी संस्था है। बिना पार्लामेण्ट की स्वीकृति के टैक्स नहीं लगाया जा सकता और पार्लामेण्ट की बैठकें भी बराबर होनी चाहिए। इस घोषणा के अन्त में नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भी घोषणा की गई थी, जिसका अपहरण कभी भी नहीं किया जा सकता था।

सन् १६८९ के पश्चात् इङ्गलैण्ड के विधान में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। राजा के अधिकार बराबर घटते ही चले गए। प्रथम तथा द्वितीय जॉर्जों को इङ्गलैण्ड से अधिक दिलचस्पी न थी। वे अङ्गरेज़ी भाषा भी नहीं जानते थे, । अतएव वे मन्त्रिमण्डल की कौन्सिल में उपस्थित नहीं रहते थे। फलतः राजा के अधिकार घट गए और पार्लामेण्ट के बढ़ गए। कैबिनट ने बराबर उन्नति करके निश्चित रूप धारण कर लिया। सर रॉबर्ट वालपोल को प्रथम प्रधान मन्त्री समझना चाहिए। वह अपने पद पर पार्लामेण्ट के इच्छानुसार ही रहा। जब सन् ११४२ में हाउस ऑफ़ कॉमन्स ने उसके विरुद्ध वोट पास किया, तो उसने तुरन्त त्यागपत्र देकर सर्वदा के लिए आदर्श उपस्थित कर दिया। सन् १८३२ के सुधार-क़ानून ने अनेक सुधार करके हाउस ऑफ़ कॉमन्स को वास्तव में प्रतिनिधि संस्था बना दी। तत्पश्चात और अनेक सुधार हुए। अन्तिम सुधार सन् १९१८ का था। हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के अधिकार बराबर घटते चले गए। दोनों सभाओं में बहुधा मुठभेड़ हो जाती थी। बहुधा जब हाउस ऑफ़ कॉमन्स किसी बात को बहुमत से पास करता था, तब हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स उस बात को कार्यान्वित होने से रोक देता था। हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के इस ढङ्ग से ऊब कर उसके अधिकार को कम करने के लिए इङ्गलैण्ड में एक आन्दोलन चल पड़ा। सन् १९११ में हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने एक आर्थिक बिल को रद्द कर दिया, जिसे हाउस ऑफ़ कॉमन्स पास करने के लिए उत्सुक था। अतः हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के इस अधिकार को सर्वदा के लिए निर्मूल करने के लिए पार्लामेण्ट ऐक्ट पास किया गया। हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स को धमकी दी गई कि यदि वह इस ऐक्ट को पास न करेगा



तो नए लॉर्डों की नियुक्तियाँ करके ऐक्ट पास करा लिया जावेगा। धमकी काम कर गई और ऐक्ट दोनों सभाओं द्वारा पास कर दिया गया। उस समय से हाउस ऑफ़ कॉमन्स की तूती बोलने लगी।

इङ्गलैण्ड के विधान का यही इतिहास है। अब पाठकों को वर्तमान विधान की आवश्यकीय बातें समझ लेनी चाहिए।

इङ्गलैण्ड का राजा कभी नहीं मरता। इङ्गलैण्ड में एक कहावत है—"राजा मर गया; राजा चिरञ्जीवी हो।" जिसके माने हैं—"राजा मर गया; वह पद चिरञ्जीवी हो, जिसको एक राजा ने ख़ाली कर दिया है और दूसरे ने ग्रहण कर लिया है।" इङ्गलैण्ड में राजा का जो महत्व है, वह उसके पद का है, न कि उसके व्यक्तित्व का।

बड़ा लड़का राजा का उत्तराधिकारी होता है। पुरुष के रहते हुए स्त्री सिंहासन पर नहीं बैठती। यदि पुरुष और स्त्री कोई सिंहासन के लिए न मिले तो पार्लामेण्ट किसी अन्य को उत्तराधिकारी चुन लेती है। राजा के सब से बड़े लड़के को 'प्रिन्स ऑफ़ वेल्स' कहते हैं। पर पाठकों को यह न समझ लेना चाहिए कि उसका वेल्स से कुछ सरकारी सम्बन्ध नहीं रहता। यदि नवीन राजा १८ वर्ष से छोटा होता है, तो पार्लामेण्ट एक 'रिजेन्सी' की स्थापना करती है। जब कोई नवीन राजा सिंहासन पर बैठता है, तो उसके तथा उसके ख़ान्दान के लिए पार्लामेण्ट राष्ट्रीय कोष से कुछ वार्षिक धन नियत कर देती है। इसको 'सिविल लिस्ट' कहते हैं। इसका कुछ अंश तो विशेष बातों पर व्यय करने के लिए होता है और बाक़ी अंश राजा मनमाने ढङ्ग से व्यय कर सकता है। वर्तमान समय में राजा को बीस लाख से अधिक डालर मिलते हैं।

राजा जो कुछ करता है, जनता के एजण्ट के तौर पर करता है और पार्लामेण्ट का उस पर अधिकार रहता है। क़ानून बनाने में राजा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। न्याय का वह स्रोत होता है तथा वही क्षमा-याचनाएँ स्वीकार करता है। इस प्रकार शासन में, क़ानून बनाने में तथा कार्य करने में राजा का भाग रहता है। पार्लामेण्ट का कोई क़ानून राजा की स्वीकृति के बिना कार्यान्वित नहीं हो सकता। पर राजा यह स्वीकृति सदा ही दे देता है। राजा ही पार्लामेण्ट को बुलाता है, यद्यपि उसे यह नियम मानना पड़ता है कि वर्ष में एक दफ़ा पार्लामेण्ट अवश्य बुलाई जावे। यद्यपि पार्लामेण्ट को वर्ष में एक बार बुलाने के लिए कोई क़ानून नहीं है, पर यदि पार्लामेण्ट न बुलाई जावे, तो बहुत से काम रुक जावेंगे। क्योंकि सेना तथा आमदनी से सम्बन्ध रखने वाले क़ानून प्रत्येक वर्ष पास किए जाते हैं। राजा ही पार्लामेण्ट को स्थगित तथा भङ्ग करता है। जब नवीन पार्लामेण्ट की प्रथम बैठक होती है, तो सिंहासन से व्याख्यान देकर राजा उसका स्वागत करता है। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि ये सब बातें राजा के हाथों ही होती हैं, पर वास्तव में सब कुछ मन्त्रिमण्डल ही करता है। मन्त्रिमण्डल ही निश्चय करता है कि पार्लामेण्ट कब बुलाई जावे, कब स्थगित की जावे तथा कब भङ्ग की जावे। राजा के सिंहासन वाले व्याख्यान को प्रधान मन्त्री ही लिखता है और राजा को पढ़ने को देता है। व्याख्यान में कैबिनट की राय ही पाई जाती है। व्याख्यान देकर राजा चला जाता है और फिर पार्लामेण्ट में उसके दर्शन नहीं होते, जब तक कि पार्लामेण्ट को स्थगित या भङ्ग न करना हो।

पार्लामेण्ट द्वारा पास किए हुए क़ानूनों पर राजा स्वयं स्वीकृति दे सकता है या एक कमीशन द्वारा दे सकता है, जिसमें हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के सदस्य रहते हैं। आजकल कमीशन द्वारा ही राजा अपनी स्वीकृति देता है।

देश का शासन राजा ही के नाम पर होता है। यह देखना कि लोग क़ानून को मानते हैं, राजा ही का काम है। देश के अधिकतर अफ़सर राजा ही के नाम पर नियुक्त होते हैं। ये अफ़सर राजा ही के नाम पर मुअत्तल या बरख़ास्त किए जाते हैं। स्थल-सेना, जल-सेना तथा वायु-सेना पर राजा ही का अधिकार रहता है। बिना पार्लामेण्ट की सलाह लिए ही राजा युद्ध घोषित कर सकता है और सन्धि कर सकता है। पर युद्ध लड़ने के लिए धन पार्लामेण्ट से ही मिलता है। वैदेशिक सम्बन्ध राजा ही के नाम पर होते हैं। राजदूतों को राजा ही के नाम पर आदेश दिए जाते हैं। पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए की उपर्युक्त बातें होती हैं राजा के नाम पर और उन्हें करते हैं प्रधान मन्त्री तथा उनकी कैबिनट। सन् १९१४ के महायुद्ध में कैबिनट ने ही अपनी ज़िम्मेदारी पर इङ्गलैण्ड को शामिल किया था। कैबिनट का राजा पर पूरा अधिकार रहता है। एक प्राइवेट सेक्रेटरी को छोड़ कर शेष राजा के तमाम नौकरों को कैबिनट ही नियुक्त करता है।

( अगले अङ्क में समाप्त )

❀ ❀ ❀

# 'धर्म और भगवान मृत्यु-शय्या पर'*

[ श्री० कुमार सुरेशसिंह जी, कालाकाँकर ]

मेरे "धर्म और भगवान मृत्यु-शय्या पर" शीर्षक लेख के प्रकाशित होने पर 'भविष्य' में दो सज्जनों ने उसका खण्डन किया है। पहले सज्जन हैं श्री० विनोद जी, दूसरे हैं श्री० रायज़ादा जी।

पहले सज्जन का लेख तो धार्मिक हठधर्मी से पूर्ण, हृदय के विक्षुब्ध उद्गार के सिवा और कुछ नहीं है। अदूरदर्शिता की प्रबलता अवश्य है, पर तथ्य उसमें कुछ भी नहीं है। परन्तु दूसरा लेख तर्कपूर्ण न होने पर भी मज़ेदार है। यहाँ पाठकों को लेखक महोदय के मस्तिष्क की अस्त-व्यस्तता दिखाने के लिए उसके तनिक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी।

मैंने अपने पहले लेख में लिखा था—"जब मनुष्य पशुओं की अवस्था में थे और जब वे वाक्शक्ति और बुद्धि से रहित थे, तो उन्हें "ईश्वर का भूत" नहीं सताता था। तब वे पशुओं के समान प्रकृति के उपादानों के अधीन रह कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें अपनी उदर-पूर्ति के अतिरिक्त कोई चिन्ता न थी। उस समय उनमें दैवी शक्ति का कभी आभास भी नहीं होता था।"

इस उपर्युक्त कथन को पढ़ कर श्री० रायज़ादा जी मुझे अपने ही शब्दों में गिरफ़्तार होने के सुख का अनुभव करके कहते हैं—"ठीक, कहना उनका सर्वथा सत्य है, अब उनको धर्म और भगवान को बोध कराने के लिए किसी विशेष तर्क की आवश्यकता नहीं है, उनकी क़लम स्वयं उनको प्रमाणित कर रही है। वास्तव में सत्य अनिवार्य है और अन्त में उसी की विजय होती है। चन्द्रमा बदली की कालिमा में अल्प समय के लिए ढँक जावे, परन्तु वे बादल उसको सदा के लिए नष्ट नहीं कर सकते × × × अनजान में श्री० कालाकाँकर जी इस बात को मानते हैं कि मनुष्यों को पशुओं की अवस्था में, जब कि वे वाक्शक्ति और बुद्धि से रहित थे, ईश्वर और धर्म का ज्ञान नहीं होता था × × × दूसरे मानी में इस पशुता के निकालने के लिए मनुष्य के लिए यह परमावश्यक है कि वह ईश्वर और धर्म को अपनावे। जो मनुष्य इनको अपमान और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं वे पशु हैं। मनुष्यों और पशुओं का भेद इन्हीं दो वस्तुओं अर्थात् धर्म और भगवान पर निर्भर है।"

श्री० बी० ए० जी ने मेरे उपर्युक्त कथन का कैसा सुन्दर अर्थ समझा है कि साधुवाद देने को शब्द नहीं मिलते। "जब मनुष्य पशुओं की अवस्था में थे और जब वे वाक्शक्ति और बुद्धि से रहित थे, तो उन्हें ईश्वर का भूत नहीं सताता था।" मेरे इस वाक्य का "इस पशुता को निकालने के लिए मनुष्य के लिए यह परमावश्यक है कि वह ईश्वर और धर्म को अपनावे।" यह दूसरा मानी लगाने में तो आपने कमाल ही कर दिखाया है। क्या आर्य-समाजी तर्क है ! पर उनकी यह प्रसन्नता उनकी बुद्धि को ही धोखा देती है।

श्री० रायज़ादा जी एक अर्द्ध बन्दर से तुरन्त एक भ्रमात्मक ईश्वर आदि से परेशान मनुष्य की सृष्टि चाहते हैं और केवल मुझसे ही मनुष्यता और पशुता का भेद बतलाते हैं। उनकी राय में ये भ्रमात्मक बातें ही मनुष्यता की द्योतक हैं, पर वास्तविकता के सामने ये भ्रमात्मक बातें कितनी देर तक ठहर सकती हैं। ये तो लम्बी-चौड़ी आध्यात्मिक बातों के ओट में ही छिप कर पल सकती हैं। ईश्वरवाद के समान एक नहीं, अनेकों नाज़ुक सिद्धान्त आज उत्पन्न हो गए हैं और ईश्वर, जोकि एक समय मनुष्य के रूप में रह कर चमत्कार दिखाया करता था, आज केवल विलीन सा होता हुआ ख़्याली वस्तु सा रह गया है। सुयोग्य लेखक महोदय तो सामाजिक प्रवाह के सिद्धान्त का ही गला घोंट देते हैं। उन्हें यह बात नहीं सूझती कि ईश्वर के विषय में आज जो उनके थोड़े-बहुत पृथक और तर्कयुक्त सिद्धान्त पैदा हुए हैं, वे इसी सामाजिक प्रवाह की ही बदौलत।

ईश्वरवाद के जाल को छिन्न-भिन्न कर देने में हमें उतना ही आनन्द आता है, जितना कि लेखक महोदय के पूर्वकाल के पथ-प्रदर्शकों को अन्य ख़ुराफ़ातों और अन्धविश्वासों को दूर करने में आया था। जिस प्रकार मनुष्य रूपधारी ईश्वर तथा भूत-प्रेतादि के विरोध में हमारे पूर्व के पथ-प्रदर्शकों पर अन्धविश्वासियों द्वारा आक्रमण किया गया था, उसी प्रकार आज निराकार ईश्वर का विरोध करने के कारण अन्धविश्वासी फ़िरक़ा हम लोगों का भी खण्डन करेगा ही। इसलिए श्री० रायज़ादा जी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। यह तो स्वाभाविक ही है। पर हाँ, श्री० विनोद जी के विषय में ताज्जुब ज़रूर होता है कि कहाँ तो वे लखनऊ में नास्तिकों की कॉन्फ़्रेन्स करने की तैयारी कर रहे थे और कहाँ काशी ने इतनी शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखाया कि अब बिना ईश्वर के उनका काम चलना मुश्किल हो रहा है। ख़ैर, विचारों में तो परिवर्तन हुआ ही करता है। कौन कह सकता है कि मेरा यह लेख छपते-छपते वे फिर नास्तिक कॉन्फ़्रेन्स की तैयारी में न लगे होंगे ? अस्तु।

श्री० रायज़ादा जी के लिए यह भी मुमकिन हो सकता है कि हमारी दलीलों को खींच-खाँच कर वे मनुष्यता और पशुता का भेद ईश्वर-ज्ञान द्वारा निकालते हों। हालाँकि श्री० ताटके जी को उत्तर देते समय मैंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि "मनुष्य और पशु में केवल यही भेद है कि पशु प्राकृतिक शक्तियों ( Forces ) के अधीन रहता है और मनुष्य प्राकृतिक Forces को अपने अधीन कर लेता है।" पर किसी के वास्तविक अर्थ को तोड़-मरोड़ कर अपने मतलब का अर्थ लगाने की कुछ लोगों की आदत सी होती है।

"मनुष्य का विकास किसी प्रारम्भिक पशु की अवस्था से हुआ है और इस पशुता की अवस्था में मनुष्यों के पुरखों को ईश्वर का ज्ञान नहीं था।" इस उपरोक्त कथन पर श्री० रायज़ादा जी को विश्वास ही नहीं आता। इस सिद्धान्त के अनुसार यह भली-भाँति साबित किया जा सकता है कि मनुष्य की आजकल की सभ्यता के अङ्कुर उसकी प्रारम्भिक अवस्था में विद्यमान थे। सभी वस्तुओं का मूल भूतकाल में धँसा हुआ है। मानवीय सभ्यता केवल पाशविक आवश्यकताओं की ही उन्नत और विकसित अवस्था है। क्या लेखक महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि किस पाशविक चेतना तथा विचार की उपज ईश्वर है ? कारण से कार्य का सिद्धान्त तो श्री० रायज़ादा जी मानते ही होंगे। आशा है, वे यहाँ भी इस सिद्धान्त की हत्या न करके सामान्य बुद्धि से काम लेंगे।

इसके बाद ईश्वर के अनन्य पुजारी श्री० रायज़ादा जी कहते हैं—"ईश्वर है या नहीं ? इसका बड़ी सुगमता से पता चल सकता है। इस बात को मानने में किसी को हिचकिचाहट न होगी कि हर वस्तु का बनाने वाला कोई न कोई होना चाहिए। इसी के आधार पर हम संसार में मनुष्यों की वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। अब यह सोचना स्वाभाविक और आवश्यक है कि उन उपादानों का, जिनसे मनुष्य ने अपने हाथ से भिन्न-भिन्न पदार्थ बनाए हैं अथवा इस समस्त सृष्टि का रचयिता कौन है ? क्योंकि रचयिता होना चाहिए अवश्य।"

अब अगर ईश्वर को प्रमाणित करने का यही तर्क है कि समस्त मौजूदा चीज़ों का कोई न कोई रचयिता अवश्य होना चाहिए, तो मैं इसी सिद्धान्त के अनुसार श्री० रायज़ादा महोदय से पूछूँगा कि वे यही तर्क अपने भगवान के साथ लगा कर बतावें कि उनका किसने निर्माण किया है ? यदि हम शाश्वत ( Eternity ) को अपने ज्ञान की सीमा के बाहर पाते हैं, तो हम इस सत्य के मानने में लज्जित क्यों होते हैं ? किसी ज्ञान-सीमा के बाहर की वस्तु का अटकल-पच्चू अर्थ लगाना तो सत्य को धोखा देना है। 'हम ऐसे संसार में रह रहे हैं, जो हमारे सम्मुख है। हमारी सत्ता ही हमारे ज्ञान का केन्द्र है और वर्तमान संसार ही हमारा संसार है। उसी केन्द्र से हम अपनी बुद्धि की सहायता से भूत और भविष्य की बातों को समझने का उद्योग करते हैं और जिसका बोध हमें केवल हमारी इन्द्रियों द्वारा ही हो सकता है। जब हम ज्ञान की एक ऐसी सीमा पर पहुँच जाते हैं कि उसके आगे जानना असम्भव हो जाता है, तो बजाय किसी अटकल-पच्चू बात भिड़ाने के हम वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रतीक्षा करते हैं, जिससे हम वास्तविक बातों को और भी जान सकें। जो वस्तुएँ हमारी इन्द्रियों की सीमा के बाहर होती हैं, वे हमारे लिए निरर्थक हैं। इन्द्रियाँ ही समस्त वस्तुओं के अनुभव कराने की मध्यस्थ हैं। इसलिए एक ऐसी वस्तु के लिए, जो जानी ही नहीं जा सकती, उद्योग करना बिल्कुल व्यर्थ है।

आगे श्री० रायज़ादा जी इस जन्म तथा दूसरे जन्म की कल्पना में कुछ लिख जाते हैं। आप फ़र्माते हैं—"हमें अपने कर्मों का उत्तरदायी न होना पड़ेगा तो फिर क्यों न हम ख़ूब मज़े उड़ावें और मनमाना अत्याचार करें ? क्या हमें जीवन के बाद समूलोच्छेदन होना पड़ेगा ? आज ही लोगों को ऐसा विश्वास हो जावे तो फिर देखिए संसार में अनाचारों व दुष्कर्मों का रङ्ग।"

इसके विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि विज्ञान ऐसे पौराणिक ( Legendary ) विचारों का समर्थन नहीं करता और उनके विचारों को यह जान कर कुछ धक्का अवश्य पहुँचेगा कि जीवात्मा कोई वस्तु नहीं है, अतः पुनर्जन्म के लचर सिद्धान्त के विषय में सवाल ही नहीं उठता। मैं यहाँ जीवात्मा के विरुद्ध कोई दलील इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि चिकित्सा-विज्ञान से यह भली-भाँति जाना जा सकता है कि मनुष्य एक सुन्दर मैशीन है, जिसमें जीवात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं है। जीवात्मा की उपज प्रारम्भिक भाव ( Spirit ) द्वारा और स्वप्नादि द्वारा हुई है। हम लोग तो बुदबुद के समान हैं, जो समय पाकर एक दिन फूट जावेंगे और दूसरे नए उत्पन्न हो जावेंगे।

श्री० रायज़ादा जी शायद यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि धार्मिक श्रृङ्खलाएँ ही मनुष्य को

---

* देखिए 'भविष्य', ता० २० जुलाई, १४ सितम्बर और १९ अक्टूबर सन् १९३१।

दुष्कर्मों से बचाने में सहायक होती हैं। पर वास्तव में धर्म अनाचारादि रोकने में कुछ विशेष लाभप्रद नहीं होता। ईश्वर के मानने वालों की इतनी संख्या होते हुए भी चोरी आदि दुष्कर्म नहीं रुकते। न यही ज़रूरी है कि ईश्वरवादी लोग चोरी आदि से दूर ही रहते हैं और न यही आवश्यक है कि नास्तिक लोग ख़ामख़ाह दुष्कर्मों को गले लगाते हैं। चोरी आदि सभी बातों के कुछ न कुछ कारण होते ही हैं, जो यहाँ विषयान्तर होने से नहीं कहे जा सकते। धर्म से लाभ तो नहीं, हाँ समय-समय पर सदा हानि ही होती रहती है। अभी कल ही की घटना को ले लीजिए। जो 'धर्म' कानपूर जैसा भीषण हत्याकाण्ड करा सकता है, जिस धर्म की ओट में सैकड़ों स्त्री-बच्चों के ख़ून से प्यास बुझाई जा सकती है, उससे यह आशा करना कि वह दुष्कर्मों को रोक सकेगा, नितान्त झूठ है।

धर्म तो सदा Negative force रहा है। वह तो वास्तव में Ruling classes की आवश्यकतानुसार नैतिक नियम (Moral concepts) गढ़ा करता है। वह शासकवर्ग की लूट को लूट नहीं बतलाता, बल्कि पूँजीपतियों के प्रति श्रमजीवियों के भावों को दासतापूर्ण (Slavish) बना कर स्वामि-भक्ति आदि के ढोंग की शिक्षा देता है। पर ग़रीबों द्वारा की गई चोरी को फ़ौरन चोरी कह देता है। इस प्रकार धर्म ने सदा शासकों का, जिसकी छत्र-छाया में उसका विकास हुआ है, पक्ष ग्रहण करके उनकी लूट पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। इसलिए समाज को हानि पहुँचाने वाली बातें सामाजिक सुधार से ही हटाई जा सकती हैं, धार्मिक अन्ध-परम्परा में जकड़ने से नहीं।

सभी धर्मबुद्धि की अपरिपक्व अवस्था से पैदा हुए, ग़लत विचारों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं, जो भौतिक संसार की उन्नति से प्रभावित होकर अपनी शक्ल बदला करते हैं, परन्तु उनका असर सदा Negative (अकर्मण्य) रहता है और वे अक्रान्तिकारी Force होते हुए भौतिक समाज की उन्नति में बाधक ही होते हैं। पर सामाजिक आवश्यकताओं का सामना करने में कोई समर्थ नहीं होता, इससे इसका विचार रखते हुए भी उन्हें उनको अपने में समाविष्ट (Accommodate) करना होता है। लेकिन जब समाज एक ऐसी अवस्था को पहुँच जाता है कि उसकी आवश्यकताओं के और धर्म के बीच मैत्री होना असम्भव हो जाता है तो (विज्ञान की उन्नति के कारण क्योंकि धर्म अविज्ञान है) कमज़ोर और बेकार शक्ति धर्म का अन्त होना अनिवार्य सा हो जाता है।

आर्यों के आगमन के पश्चात् समाज सैकड़ों प्रकार की शक्ल बदल चुका है। प्रारम्भिक छोटी-छोटी रियासतों ने बड़े-बड़े साम्राज्यों का रूप ग्रहण कर लिया। बड़े-बड़े तानाशाहों द्वारा नाना प्रकार के नियम और रीति-रिवाज गढ़े गए, पर हिन्दू-धर्म गिरगिट की तरह रङ्ग बदल-बदल कर, उन अत्याचारी शासकों की इच्छापूर्ति के लिए, बड़े-बड़े पोथे लिख-लिख कर, उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाने लगा। ठीक इसी प्रकार हिन्दुओं के देवतागण और ईश्वर तक, इसी सामाजिक प्रवाह के चित्र हैं, जिससे प्रवाहित होकर धर्म को अपने में तरह-तरह की तब्दीलियाँ करनी पड़ी हैं। उसने ईश्वर को कभी साधु पुरुष, कभी स्त्री, कभी राजनीतिज्ञ, कभी विश्वासघाती, कभी न्यायकारी, कभी व्यवसायी, कभी वीर, कभी दीन, कभी प्रेमी, कभी छैला, कभी चञ्चल-हृदय और कभी आधा सिंह आदि किस रूप में नहीं घुमाया है? अन्त में समाज की यथेष्ठ उन्नति हो जाने पर वह निराकार होकर "कुछ" क़रार दे दिया गया है। इसीसे ही सब देख सकते हैं कि ईश्वरवाद के विचार का कैसा क्रम रहा है और अब उसका किस प्रकार धीरे-धीरे अन्त होने जा रहा है। संसार से ईश्वर के पैर उखड़ रहे हैं और वह मृत्यु-शय्या पर पड़ा है। अब फिर स्वस्थ होकर चमत्कार दिखावेगा—ऐसी आशा तो नहीं है और न इस बार धर्म को ही पुनः उसकी क़ब्र पर बैठ कर आँसू बहाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस बार तो उसका नाश होना अनिवार्य है।

हाँ, 'चमत्कार' शब्द के आ जाने से एक मित्र की याद आ गई। आप यूनिवर्सिटी के छात्र होते हुए भी चमत्कार में बहुत अन्धविश्वास रखते हैं। आपके पूर्वज बड़े चमत्कारी थे, ऐसा ही सुनने में आता है। आप बतलाते हैं कि "एक बार आपके किसी बुज़ुर्गवार की छतरी बन रही थी। जब गुम्बज़ बनने लगा तो एक दिन लोगों ने देखा कि उस गुम्बज़ के प्लास्टर पर छोटे-छोटे पैरों के चिह्न बने हैं। बस सब लोग समझ गए कि वही स्वर्गीय "चिमित्कारी" महाशय रात को अपनी छतरी देखने आए थे। जहाँ-जहाँ पद-चिह्न बने थे, वहाँ-वहाँ का प्लास्टर बर्फ़ीनुमा काट कर रख लिया गया है, उसकी बड़े ज़ोरों से पूजा होती है।" हमारे मित्र जी यह जानते हुए भी कि वहाँ बन्दरों की संख्या काफ़ी है, यही विश्वास करते हैं कि वास्तव में वे पद-चिह्न बन्दरों के नहीं, बल्कि उन्हीं स्वर्गीय पूर्वज के हैं।

एक दूसरे साहब का विश्वास है कि तिब्बत में क़रीब १०-१० हज़ार वर्ष के साधू रहते हैं और नित्य सायं को वहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध इत्यादि की आत्माएँ लैम्प की तरह आकाश से उतरती हैं और अपने भक्तों से मौनालाप करती हैं। आप भी बी०ए० पास करके 'महावीर स्वामी' को गुरधनियाँ चढ़ाने वालों की श्रेणी के हैं। इस 'समाज के कोढ़' धर्म के ऐसे असंख्य अन्ध-विश्वासी मिल जावेंगे।

श्री० रायज़ादा जी लिखते हैं—"× × बेचारे यह नहीं जानते कि वहाँ तक (ईश्वर तक) पहुँचने के लिए असीम योगबल की आवश्यकता है। भला, जिसने सारे संसार की रचना की है और जो इतना महा शक्तिशाली है, वह विज्ञान-कला के द्वारा कैसे दृष्टिगोचर हो सकता है! वह एक छोटी-मोटी वस्तु अथवा कोई स्थूल पदार्थ नहीं है। वह एक सर्वव्यापी असीम शक्ति है। सत्यवादी, पुरुषार्थी तथा धर्म के अनुयायी ही उस तक पहुँचने में समर्थ हो सकते हैं।" मनुष्य की बुद्धि पूर्ण नहीं है, वह इन्द्रियों के साहाय्याधीन है। उसकी बुद्धि ही उसके ज्ञान का ज़रिया हो सकती है। हम संसार में अपनी सत्ता को मान कर विज्ञान द्वारा, इस संसार की भूत, भविष्य और वर्तमान वस्तुओं के जानने की कोशिश कर रहे हैं और दिन-प्रतिदिन अधिक जानते ही जा रहे हैं। पर धार्मिक लोगों की जिज्ञासा का केन्द्र संसार की वर्तमान अवस्था से नहीं शुरू होता। वे तो आदि (जो नहीं जाना गया है) से अपना ज्ञान शुरू करते हैं और श्रीगणेश ही ग़लत होने के कारण उनका नतीजा अन्त तक ग़लत ही होता है। इसी से हमारा ज्ञान कम होते हुए भी वास्तविक (Realistic) है और धार्मिक लोगों का दिखावे के लिए ज़्यादा होते हुए भी भ्रमात्मक है।

श्री० रायज़ादा जी फिर लिखते हैं कि—"ख़ैर, अगर उपर्युक्त महानुभाव केवल ईश्वर पर ही आक्षेप करते तो कोई आश्चर्य न था। परन्तु जहाँ तक मेरा अनुमान है, वैज्ञानिकों में आप पहले सज्जन हैं, जिन्होंने ईश्वर के साथ ही धर्म का भी बहिष्कार किया है।" इसके विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री० रायज़ादा जी का उपरोक्त अनुमान सही नहीं है। मैं पहला मनुष्य नहीं हूँ, जिसने धर्म पर ऐसे विचार प्रकट किए हैं। बहुत से सज्जन इस विचार का प्रतिपादन कर चुके हैं। वास्तव में विज्ञान का निष्कर्ष ही धर्म पर आक्रमण है। पर यदि मैं पहला मनुष्य भी होता तो इसमें अपना गौरव ही समझता।

श्री० रायज़ादा जी ने मेरे लेख के वास्तविक अर्थ को न समझ कर लिखा है "—मैं श्री० कुमार जी से यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वयं अपने लेख के समर्थन में कौन से प्रमाण दिए हैं? वह किन कारणों से धर्म और भगवान को त्याग देने का उपदेश देते हैं?" यही शिकायत श्री० विनोद जी की थी। यहीं के श्री० गौड़ जी महोदय भी यही शिकायत कर रहे थे। पर मेरे लेख का विषय यदि कोई साहब ठीक से पढ़ेंगे तो उन पर प्रकट हो जावेगा कि मैंने केवल वहाँ यह दिखलाया था कि संसार में ईश्वर की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। मैंने इसी मत की पुष्टि के लिए प्रमाण भी दिए थे। ऐसा करने से मेरा यही विचार था कि लोग ईश्वर की ग़लत उत्पत्ति को देख कर यह निष्कर्ष निकाल लें कि जिस वस्तु की उत्पत्ति इस तरीक़े से हुई हो, उसके विषय में ऐसे विचार गढ़ लेने में कितना तथ्य है। पर यहाँ तो लोग सुनी-सुनाई बातों को लेकर ही प्रश्न करने पर अड़ जाते हैं। मेरा अभिप्राय तो साफ़-साफ़ यही था कि ईश्वर की उत्पत्ति इस ग़लत तरीक़े से हुई है, इस वास्ते उसकी सत्ता भी ग़लत है। और वह एक भ्रमपूर्ण मनोभाव (Mentality) की भ्रमपूर्ण उपज तथा विकास है।

फिर श्री० रायज़ादा जी प्राचीन भारत की सभ्यता के गीत गाते हुए कहते हैं—"उस समय भारतवर्ष उन्नति के शिखर पर था। सभी देशों की सभ्यता पर उसकी सभ्यता की छाप थी। मैसोपोटामिया, ग्रीस और रोम इत्यादि भी इसके सामने पानी भरते थे। × × विज्ञान द्वारा उन्होंने ऐसे आश्चर्यजनक काम कर दिए थे, जिन तक आजकल के विज्ञान का पहुँचना तो दूर रहा, उसे समझने में भी वह असमर्थ है।" उपरोक्त आत्म-प्रशंसा का क्या उत्तर हो सकता है? मैं यह मानता हूँ कि उस बर्बर-युग (Barberous age) में भारतवर्ष समुन्नत देशों (Advance countries) के दायरे में था, पर ग्रीस से पानी भराने की कथा तो घोर आत्मश्लाघा है। इतिहास को वैज्ञानिक योग्यता इसे प्रमाणित कर देगी कि सभ्यता (Civilisation) और बर्बरता (Barberism) की अवस्था में अन्तर होता है।

अन्त में श्री० रायज़ादा महोदय लिखते हैं—"विज्ञान ने अपने स्थान पर जो लाभ संसार को पहुँचाया है, उसको मैं हृदय से मानने के लिए तैयार हूँ। परन्तु जब यह दूसरों के कार्यक्षेत्र में भी पैर पसारने का प्रयत्न करता है, जैसा कि उक्त महोदय ने कहा है, तो यह घोर प्रतिपादन के योग्य है। ऐसे मनुष्यों को मैं विज्ञान के अन्ध-हिमायती ही कहूँगा।"

सुयोग्य लेखक महोदय चाहते हैं कि विज्ञान रेल, तार, घड़ी, बिजली की रोशनी इत्यादि वैज्ञानिक आविष्कारों तक ही सीमित रहे, तब तो उसे हृदय से मानने को तैयार हैं। पर जब वह सत्य का पक्ष ग्रहण करके सभी वस्तुओं पर अपनी उचित राय देता है तो श्री० रायज़ादा जी तथा अन्य ईश्वरवादी बिना सोचे-विचारे उसके घोर प्रतिपादन के लिए कमर कस कर तैयार हो जाते हैं।

शायद लेखक महोदय को यह नहीं मालूम है कि विज्ञान क्या है, वे केवल फ़िज़िक्स और केमेस्ट्री को ही विज्ञान समझते हैं, पर मैं उनसे नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि विज्ञान, फ़िज़िक्स और केमेस्ट्री तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वह तो मानवीय ज्ञान के सभी पहलुओं से सम्बन्धित रहता है। इसीलिए यदि धर्म, 'अक़्ल में दख़ल नहीं' के सिद्धान्त से पोषित करके विज्ञान के केन्द्र से अलग माना जावेगा, तो वह सदा "अविज्ञान" ही रहेगा।

❀ ❀ ❀

# आयर्लैण्ड के 'ब्लैक एण्ड टैन'

[ श्री० डॉक्टर 'चतुष्पाद' ]

राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स की पिछली बैठक में महामना मालवीय जी ने अपनी वक्तृता में कहा था—सरकार ने एक नवीन अधिकारी की भारत में नियुक्ति की है, जिससे इस बात का आभास मिलता है कि सरकार भारत में किस नीति का व्यवहार करने वाली है।

इस पर भारत-मन्त्री सर सैमुअल होर ने मालवीय जी को टोक कर पूछा—आप साफ़-साफ़ कहिए, आपका क्या मतलब है ?

मालवीय जी ने जवाब दिया—मैं साफ़ ही साफ़ कहूँगा। भारत में एक ऐसे सज्जन की नियुक्ति की घोषणा की गई है, जो आयर्लैण्ड में थे और जिनका सम्बन्ध वहाँ के 'ब्लैक एण्ड टैन' शासन से था।

हिन्दी-पाठकों में बहुतों को यह ज्ञात न होगा कि 'ब्लैक एण्ड टैन' क्या होता है और ब्लैक एण्ड टैन शासन से क्या अभिप्राय है। यहाँ ब्लैक एण्ड टैन का कुछ इतिहास दिया जाता है। यह इतिहास एक उच्च-कोटि के ब्रिटिश फ़ौजी अधिकारी का कहा हुआ है, जो स्वयं 'ब्लैक एण्ड टैन' शासन में सम्मिलित थे और जिन्हें उसकी सारी भीतरी बातें ज्ञात हैं।

'ब्लैक एण्ड टैन' शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'काला और ख़ाकी'। मामूली तौर पर 'ब्लैक एण्ड टैन' 'ताज़ी' जाति के ( हाउण्ड ) काले और खैरे—चितकबरे—कुत्तों को कहते हैं। कहा जाता है कि ये कुत्ते मालिक के ललकारने पर जो चीज़ सामने पड़ती है, उसी को नोच-खसोट डालते हैं। उनके इस स्वभाव के कारण यह शब्द अक्सर उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इशारा पाकर बिना पसोपेश के प्रत्येक चीज़ को ढूँढ़-खोज कर उसका ख़ात्मा कर दें।

आयर्लैण्ड में होमरूल का आन्दोलन बहुत दिनों से चल रहा था। सन् १९१९ में, लड़ाई की समाप्ति पर, उस आन्दोलन ने बड़ा ज़ोर पकड़ा। आयर्लैण्ड के इस राष्ट्रीय आन्दोलन ने 'सिन-फ़िन' के रूप में उग्र रूप धारण किया। 'सिन-फ़िन' नेताओं ने यह देख कर कि पिछले चालीस वर्षों के वैध आन्दोलन का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, पिस्तौल की शरण ली। इङ्गलैण्ड ने पिस्तौल का जवाब पिस्तल से दिया। आयर्लैण्ड को प्रायः ख़ून की नदी से होकर पार होना पड़ा।

आयर्लैण्ड में एक प्रकार का स्पष्ट विद्रोह उठ खड़ा हुआ। उस समय इङ्गलैण्ड में मि० लॉयड जॉर्ज की गङ्गा-जमुनी सरकार महायुद्ध की विजय के गर्व से मस्त होकर शासन कर रही थी। उसने आयर्लैण्ड के आन्दोलन को उचित-अनुचित, सब उपायों से कुचल डालने की चेष्टा की।

आयर्लैण्ड की पुलिस "रॉयल आइरिश कॉन्स्टैबुलरी" एक सौ वर्ष पुराना पुलिस-दल था। सिन-फ़िनरों के उत्पात और प्रचार ने इस दल में भी खलबली मचा दी। रॉयल-आइरिश कॉन्स्टैबुलरी में नौकरी करना देश-द्रोह समझा जाने लगा। बेचारे पुलिस वाले बड़ी मुसीबत में पड़े। आयर्लैण्ड के किसी भी राजनैतिक दल से उन्हें सहानुभूति न मिलती थी, दूसरी ओर सरकार भी उनकी पूरी सहायता या उन पर पूरा विश्वास न करती थी। बहुत से पुलिसमैनों ने इस्तीफ़े दे दिए और कुछ सिन-फ़िनरों की गोलियों के निशाने बने। शासन में कठिनाई पड़ने लगी। इस पर गवर्नमेण्ट ने इङ्गलैण्ड से बहुत से आदमियों को कॉन्स्टैबुलरी में भरती किया। महायुद्ध समाप्त होने के बाद फ़ौज से निकाले हुए सहस्रों बेकार सैनिक आवारागर्दी में घूमते थे। ये सब आइरिश कॉन्स्टैबुलरी में भर्ती हो गए। जर्मन-युद्ध का ख़ून-ख़च्चर अभी तक इन लोगों की आँखों के सामने नाच रहा था। यही अङ्गरेज़ पुलीसमैन 'ब्लैक एण्ड टैन' के नाम से मशहूर थे। इन लोगों की टोपियाँ गहरे हरे रङ्ग की थीं और पोशाकें ख़ाकी थीं, फिर उनके कृत्य ऐसे जघन्य थे कि जिनसे उनके लिए 'ब्लैक एण्ड टैन' का नाम एकदम चस्पाँ होता था।

इन ब्लैक एण्ड टैन्स ने अनगिनती हत्याएँ और जघन्य से जघन्य कार्य किए। सिन-फ़िनरों ने भी कुछ कम हिन्साएँ नहीं कीं। मगर फ़र्क़ यह है कि सिन-फ़िन जो कुछ करते थे, उसे वे खुल्लमखुल्ला स्वीकार करते थे, मगर 'ब्लैक एण्ड टैन' के अफ़सर हत्याएँ करके संसार को धोखा देने के लिए उन्हें सिन-फ़िनरों के मत्थे मढ़ने की असत्यपूर्ण चेष्टा करते थे। मगर कोई भी प्रत्येक बार प्रत्येक व्यक्ति को उल्लू नहीं बना सकता। इसलिए मि० लॉयड जॉर्ज की सरकार के बार-बार झूठे इन्कार करने पर भी ब्लैक एण्ड टैन्स की करतूतें दुनिया से छिपी न रह सकीं।

पुलीस को अन्धाधुन्ध हत्या करने का फ़तवा देने वाला व्यक्ति रॉयल आइरिश कॉन्स्टैबुलरी का डिवीज़नल कमिश्नर लेफ़्टिनेन्ट कर्नल स्माइथ था। सन् १९२० में स्माइथ ने लिस्टोवेल नामक स्थान में पुरानी कॉन्स्टैबुलरी के एक दल के सामने यह उपदेश दिया कि वे लोग कमिश्नर के हुक्म पर बिना पसोपेश के अन्धाधुन्ध हत्याएँ किया करें। उसने यह भी कहा कि वह यह स्कीम अपनी ओर से नहीं, बल्कि सरकार की ओर से पेश कर रहा है। उसकी स्पीच से पुलीस में बड़ी सनसनी फैली और पुलीस-बैरक में उसी समय ही झगड़ा हो गया। पुलीस में आइरिश सिपाही भी थे। बाद में सिन-फ़िनरों के चरों ने स्माइथ को कार्क नगर के एक क्लब से बाहर घसीट कर रिवॉल्वर से ठण्डा कर दिया। उसकी हत्या की स्कीम उसी के ख़िलाफ़ काम में लाई गई। 'मियाँ की जूती मियाँ का सर' वाली मसल पूरी हो गई !

इस हत्या से सरकारी अधिकारियों में बड़ी खलबली मची। सरकार ने पुलिस के एक आक्ज़िलरी (सहायक) डिवीज़न का सङ्गठन किया। एक अङ्गरेज़ ब्रिगेडियर जनरल, जो उस समय फ़ौज के साथ आयर्लैण्ड में तैनात था—का कहना है, कि इस डिवीज़न के सङ्गठन करने का निश्चित उद्देश्य हत्याएँ करना था। स्माइथ की हत्या ने दो बातें प्रत्यक्ष कर दीं। एक तो यह कि पुलिस में भी सिन-फ़िनरों के गुप्तचर मौजूद थे, और दूसरे यह कि आइरिश सिपाहियों को ही आइरिशों की हत्याएँ करने का खुल्लमखुल्ला उपदेश देना ख़तरे से ख़ाली नहीं था। इसलिए यह बेहतर समझा गया कि इस गन्दे काम के लिए इङ्गलैण्ड से अङ्गरेज़ बुलाए जायँ। इसीलिए पुलिस के सहायक डिवीज़न का सङ्गठन किया गया था। इन अङ्गरेज़ पुलिसमैनों ( ब्लैक एण्ड टैन्स ) ने कैसी-कैसी करतूतें की थीं, इसकी बानगी सुनिए।

आइरिश फ़्री स्टेट के प्रथम गवर्नर-जनरल मि० टिम हीली ने अपनी 'Letters and Leaders of My Day' नामक पुस्तक में लिखा है :—

"कैप्टेन प्रेनडरगास्ट एक आइरिश था। महायुद्ध के समय उसने अङ्गरेज़ी फ़ौज के लिए रङ्गरूट भर्ती करने का बहुत काम किया था। बाद में वह स्वयं फ़ौज में भर्ती होकर लड़ा और फ़्रान्स में घायल हुआ। अच्छा होने पर वह कैप्टन बनाया गया और इटेलियन रण-क्षेत्र में फिर ऐसा घायल हुआ कि फ़ौज के योग्य न रहा। वह रिटॉयर होकर फ़रमाय नामक स्थान में रहने लगा। वहाँ उसकी स्त्री एक भोजनालय ( रेस्तराँ ) चलाती थी। एक दिन वह कुछ फ़ौजी अफ़सरों से बात कर रहा था, इतने में ब्लैक एण्ड टैन्स से भरी हुई कई लॉरियाँ आईं। इन लोगों ने रॉयल होटल में शराब पी। आपस में महायुद्ध और सिपाहियों की वीरता की बातें छिड़ गईं। ब्रिटिश और आइरिश रेजिमेण्टों की बहादुरी की बातें होने लगीं। दोनों दलों ने अपने-अपने पक्ष का समर्थन किया। जब प्रेनडरगास्ट वहाँ से चलने लगा तो ब्लैक एण्ड टैन्स ने उसे गिरा दिया और उसका पैर पकड़ कर घसीटते हुए छज्जे तक ले गए, जहाँ से उसे होटल के पीछे बहती हुई ब्लैक वाटर नदी में फेंक दिया। नदी में बाढ़ आई हुई थी। प्रेनडरगास्ट की लाश एक महीने बाद फ़रमाय से तीन मील दूर नदी में मिली।

ख़ूनी लोग फिर लौट कर होटल में आए और शराब पीने के लिए हल्ला मचाने लगे। शराब बेचने वाली को उपर्युक्त दुर्घटना का पता नहीं था। उसने उनसे कहा—'धीरे बोलो, नहीं तो मि० डूले सुनेंगे तो पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे।'

ब्लैक एण्ड टैन्स ने पूछा—'डूले कौन है ?' उन्हें बताया गया कि वह एक ज़ीन बेचने वाला है और बग़ल के मकान में रहता है। इस पर वे बग़ल के मकान पर दौड़ पड़े, दरवाज़ा तोड़ डाला और भीतर घुस गए। मि० डूले और उनकी पत्नी सो रही थीं। उन्होंने डूले को घसीट कर बिस्तरे से उठाया और उन्हें भी नदी में फेंक दिया। मगर उनकी क़िस्मत अच्छी थी। वे नदी के किनारे बाँध पर गिरे और वहाँ से भाग कर उन्होंने अपनी जान बचाई।

फिर बदमाशों ने डूले के मकान में आग लगा दी। फ़रमाय की ब्रिटिश फ़ौज आग बुझाने के लिए आई तो ब्लैक एण्ड टैन्स ने पानी के 'हौज़' ( नल ) काट डाले और लॉरियों पर चढ़ कर भाग गए। उसके लिए न कोई पकड़ा गया और न किसी को सज़ा मिली। विलायत के 'मॉर्निङ्ग पोस्ट' ने प्रेनडरगास्ट की हत्या को ही झूठ बताया और जब प्रेनडरगास्ट की विधवा के वकील ने इस मामले में अदालत के सामने दिए हुए बयानों की नक़ल लेकर भेजी तो 'मॉर्निङ्ग पोस्ट' ने उसका पत्र छापने से इन्कार कर दिया।"

ब्लैक एण्ड टैन्स का यह बर्ताव उस शख़्स के साथ था, जिसने इङ्गलैण्ड के लिए अपना ख़ून बहाया था ! इससे 'मॉर्निङ्ग पोस्ट' की ईमानदारी पर भी प्रकाश पड़ता है। यह पत्र आए-दिन हिन्दोस्तान के विरुद्ध ख़ूब विष उगला करता है।

कार्क में कैनन मैगनर नाम का एक रोमन कैथोलिक पादरी था। एक दिन सरकारी मैजिस्ट्रेट आर० एम० ब्रैडी अपनी मोटर पर जा रहे थे। अचानक मोटर बिगड़ गई। उसी वक़्त सड़क से कैनन मैगनर भी जा रहे थे। मैजिस्ट्रेट ने अपनी मोटर ढकेलने के लिए मैगनर से एक

लड़के को बुलाने को कहा, जो साइकिल पर जा रहा था। मैगनर ने लड़के को बुला लिया। लड़के ने मोटर ढकेलना शुरू ही किया था कि इतने में ब्लैक एण्ड टैन्स से भरी हुई एक लॉरी आकर रुकी। उसमें से ब्लैक एण्ड टैन्स कूद पड़े। उन्होंने मैगनर को घुटने के बल झुकने के लिए कहा और उसे गोली मार दी। फिर उन्होंने लड़के को गोली मार कर ढेर कर दिया। बेचारा मैजिस्ट्रेट जान लेकर भागा और एक झोपड़ी में जाकर छिपा। ब्लैक एण्ड टैन्स ने उसका पीछा किया, मगर न मिलने पर वे लौट आए और दोनों लाशों को सड़क के किनारे लगे हुए जङ्गल की दूसरी ओर फेंक कर लॉरी पर बैठ कर चलते बने। अपने होटल को लौट कर इस पादरी की हत्या की ख़ुशी में वे बहुत देर तक गीत गाते रहे!

विलायत में कैबिनट इस हत्या से विचलित हुई। स्व० बोनर ला ने इस पर बहुत कहा-सुना। कार्क में अपराधियों का कोर्ट-मार्शल हुआ। अदालत का तमाशा करके अपराधी पागल कह कर छोड़ दिया गया। अल्ला-अल्ला, ख़ैर-सल्ला।

पुलिस को केवल सन्देह मात्र पर लोगों को पकड़ने का अधिकार था। ये सन्देह के क़ैदी पुलिस-बैरक में बन्द रक्खे जाते थे। सिन-फ़िनरों के अपराधों का बदला लेने के लिए ब्लैक एण्ड टैन्स रात में इन क़ैदियों को पुलिस-बैरकों से बाहर निकालते थे और उन्हें सङ्गीने भोंक-भोंक कर मार डालते थे! आयर्लैण्ड में सरकारी पुलिस यह क्रूरताएँ कर रही थी और इङ्गलैण्ड में लॉयड जॉर्ज और चर्चिल की सरकार पुलिस के काले कारनामों पर पर्दा डालने और उसके औचित्य को सिद्ध करने में लगी थी।

बोवेन जर्मन-युद्ध में एक हवाई अफ़सर था। उसने लड़ाई में नामवरी भी पाई थी। वह लड़ाई के बाद आयर्लैण्ड में ख़ुफ़िया-पुलिस में भर्ती हो गया। उसे यह हुक्म दिया गया कि वह एक लेडी से जान-पहचान बढ़ावे और यदि सम्भव हो तो उससे अनुचित सम्बन्ध स्थापित करे (!), जिससे उस लेडी से सिन-फ़िनों की ख़बरें मिल सकें। बोवेन ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस लेडी का पति विदेश में फ़ौजी नौकरी पर है और वह एक अन्य सरकारी अफ़सर के साथ रहती है। बोवेन ने इस बात की अपने उच्च अफ़सर को रिपोर्ट दी। अफ़सर ने कहा कि उस औरत के पास सिन-फ़िनों के सम्बन्ध की बड़ी महत्वपूर्ण ख़बरें हैं, 'तुम उस दूसरे अफ़सर को ख़त्म करके रास्ता साफ़ कर लो' ( Put the other fellow out of the way )? बोवेन ने इस प्रकार एक निरपराध सरकारी अफ़सर का ख़ून करने से इन्कार किया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने मूर्खता से अपने अफ़सर से यह भी कह डाला कि वह इङ्गलैण्ड जाकर इस प्रकार हत्याएँ कराने की बात मि० लॉयड जॉर्ज के प्राइवेट सेक्रेटरी मि० डेविड डेवीज़ से कह देगा। इस पर अफ़सर ने उससे कहा—"अगर तुम इस विषय में अपना मुँह न बन्द रक्खोगे, तो स्वयं तुम्हारा ही ख़ात्मा कर दिया जायगा।" अब बोवेन के ख़िलाफ़ विश्वासघात के दोष भी लगाए जाने लगे। कुछ ही दिन बाद मैरियन स्क्वायर के पास उसकी लाश पड़ी मिली। तहक़ीक़ात में यह फ़ैसला दिया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या की। मगर यह बात कभी भी प्रकट न हो पाई कि यह अभागा व्यक्ति सरकार की ख़ुफ़िया पुलिस में था।

आइरिश लोग स्वभावतः स्वयं चक्कर में थे कि "आख़िर यह बोवेन था कौन?" सरकार की ओर से इस प्रश्न का यही उत्तर मिलता था—"हाँ, वास्तव में यह बोवेन कौन था!" बोवेन की हत्या का कारण सर्व-साधारण को प्रकट नहीं हुआ। दस-पाँच दिन बाद ही वह अफ़सर, जो उस लेडी के साथ रहता था, सिन-फ़िनरों के द्वारा मार डाला गया।

सन् १९२० के दिसम्बर मास में कार्क के पास सिन-फ़िनरों ने एक स्थान पर छिप कर ब्लैक एण्ड टैन्स पर हमला कर दिया, जिसमें ब्लैक एण्ड टैन्स की बड़ी हानि हुई। इन ब्लैक एण्ड टैन्स में वे लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने फ़रमाय में कैप्टन प्रेनडरगास्ट को पानी में डुबोया था। इस आक्रमण की चोट से क्रोधित होकर बादशाह की वर्दी पहनने वालों ने पेटरोल लाकर उससे कार्क नगर के अनेकों मकानों को तर करके उनमें आग लगा दी! इन बदमाशों ने यह चालाकी भी की कि न केवल प्राइवेट लोगों के मकान ही जलाए, बल्कि सरकारी इमारतें भी जला डालीं, जिससे इस अग्नि-काण्ड का सारा दोष सिन-फ़िनरों के मत्थे मढ़ दिया जाय। उनकी इस चालाकी ने काम भी दिया और इङ्गलैण्ड उल्लू बन गया। सरकार ने कार्क की लूट और अग्नि-लीला की उपेक्षा की। बड़ी हाय-तोबा के बाद एक गुप्त फ़ौजी जाँच-कमिटी बनी, मगर उसमें ऐसे लोग थे, स्वयं जिनके आचरण की जाँच होनी चाहिए थी। इसलिए आइरिशों ने उसका बहिष्कार किया।

अन्त में इस जाँच-कमिटी ने कुछ को दोषी और कुछ को निर्दोष बताया। मगर इसकी रिपोर्ट से किसी को भी सन्तोष न हुआ। लॉयड जॉर्ज की सरकार ने वादा किया था कि वह इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर देगी। मगर रिपोर्ट देख कर सरकार ने अपना वादा तोड़ दिया और वह आज तक प्रकाशित न हुई!

फिर भी कुछ न कुछ करना ज़रूरी था, इसलिए सरकार ने एक निर्दोष अफ़सर को मुअत्तल कर दिया। कुछ पुलिस वालों को कार्क शहर से कोसों दूर पर चोरी करने के अपराध में सज़ा हुई थी। हाउस ऑफ़ कॉमन्स में 'लॉयड जॉर्ज और चर्चिल की सत्यवक्ता (!) सरकार ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मेम्बरों से यह कहा कि उन सिपाहियों को कार्क शहर में आग लगाने के अपराध में सज़ा हुई है! ईमानदारी का क्या बढ़िया नमूना है!

मिस्टर मैकडॉनल्ड बाडकिन चौदह वर्ष से काउन्टी क्लेयर के ज़िला-जज थे। उनके सामने ब्लैक एण्ड टैन्स के ज़ुल्मों के ख़िलाफ़ जो दीवानी मुक़द्दमे फ़ैसल हुए थे, उनको उन्होंने आयर्लैण्ड के चीफ़ सेक्रेटरी को एक लम्बी रिपोर्ट दी थी, उसका कुछ अंश सुनिए :—

"मेरे सामने हिलारी सेशन्स में क्षति-पूर्ति और हर्जाने के ३५६ मुक़द्दमे पेश हुए, जिनके हर्जाने की रक़म ४,६६,००० पौण्ड से ऊपर है। इन मुक़द्दमों में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जिनमें यह कहा गया है कि सरकार के सशस्त्र सिपाहियों ने जुर्म किए और नुक़सान पहुँचाए हैं। मैंने सरकार को तार देकर फ़ौज और पुलिस की ओर के वकील को उपस्थित करने का मौक़ा भी दिया है।

"मेरे सामने खुली अदालत में यह सिद्ध किया गया कि २२ सितम्बर की रात को सरकार के सशस्त्र सिपाहियों ने लाहिञ्च क़स्बे पर हमला किया। उन्होंने सड़कों पर रायफ़लों से बिना देखे-सुने गोलियाँ चलाईं, दूकानों और मकानों को तोड़ कर उनका माल-असबाब लूट लिया या नष्ट कर दिया। नगरवासियों को, जिनमें मर्द, स्त्रियाँ, बच्चे, सभी थे, मौत का डर दिखा कर पीछे के दरवाज़ों से भागने के लिए मजबूर किया गया। उन लोगों ने, रात की पोशाक पहने हुए ही, समीप की पहाड़ी पर भाग कर जान बचाई, और जब वे सवेरे लौट कर वापस आए, तो देखा कि उनकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई है। इस हमले में जोज़फ़ सैमन नामक एक व्यक्ति को गोली मार दी गई।

"मेरे सामने इस जुर्म के सम्बन्ध में ३८ दावे पेश हुए, जिन पर पूरी तौर से विचार करने के बाद मैंने ६६,००० पौण्ड के हर्जाने की डिक्रियाँ दीं।

"उसी रात को सरकारी सिपाहियों ने ठीक उसी प्रकार इन्नीस्टीमॉन नगर पर आक्रमण किया। सड़कों पर गोलियाँ चलाईं, लोगों को जान लेकर भागने को मजबूर किया, मकानों और टाउन हॉल को तोड़ कर उनमें घुस गए, उनका सामान नष्ट कर दिया और उनमें आग लगा दी। सड़क पर एक अफ़सर की मातहती में सिपाहियों ने एक नौजवान विवाहित पुरुष कोनोल को पकड़ा। उसकी स्त्री ने, जो उसके साथ थी, घुटनों पर गिर कर अपने पति की प्राण-भिक्षा माँगी, परन्तु सिपाहियों ने उसे कुछ दूर ले जाकर गोली मार दी। दूसरे दिन उसकी झुलसी हुई लाश मिली। लिन्नेन नामक एक और नौजवान ने आग बुझाने की चेष्टा की, उसे भी गोली मार दी गई। मेरे सामने १३ दावे पेश हुए, जिनमें मैंने ३१,००० पौण्ड हर्जाना दिलाया।

"उसी रात को मिलटाउन-माल्बे पर उसी तरह सशस्त्र सिपाहियों ने हमला किया। बहुत से मकान और दूकान तोड़ी, लूटी और जलाई गईं। मकान वाले मुश्किल से जान बचा सके। मिसेज़ किञ्च नाम की एक बुढ़िया ने सिद्ध किया कि वह और उसका पति, जो ७५ वर्ष का बुड्ढा था, अपने दरवाज़े पर खड़े हुए थे, कि एक सिपाही ने उसके बुड्ढे पति को गोली मार दी। × × × इत्यादि-इत्यादि"

ब्लैक एण्ड टैन्स के कारनामों के ये कुछ थोड़े से उदाहरण हैं। इस तरह के उदाहरण सकड़ों, हज़ारों की संख्या में दिए जा सकते हैं।

सिन-फ़िनरों का भेष बनाए हुए पुलिसमैनों ने रात के समय लिमेरिक के मेयर और भूतपूर्व मेयर को उनकी स्त्रियों के सामने मार डाला। कुछ अफ़सरों को—जो उस समय इस ख़ूनी दृश्य के स्थान से बहुत दूर थे—पहले ही से इन हत्याओं के होने का पता था। उन्हीं ने इन हत्याओं की योजना बनाई थी! इस घटना में जो सबसे बड़ा बदमाश, सब से बड़ा शैतान था, वह भारतवर्ष का लौटा हुआ एक अफ़सर था! ब्लैक एण्ड टैन्स में भारत से लौटे हुए और भी अनेक अफ़सर थे।

हाउस ऑफ़ कॉमन्स में इस 'ब्लैक एण्ड टैन शासन' के समर्थन में मेम्बरों को जुटाने का काम 'कोलीशन' पार्टी के 'चीफ़ ह्विप' सर लैसली विल्सन का था। इसी सेवा के इनाम में, कहा जाता है, सर लैसली विल्सन बम्बई प्रान्त के गवर्नर बनाए गए थे।

मगर इस ख़ून-ख़राबी और हिंसावाद की नीति हर हालत में दूषित है, चाहे वह सिन-फ़िनरों की हो या ब्लैक एण्ड टैन्स की। वह दोनों ओर से ही असफल हुई। एक ओर लॉयड जॉर्ज की सरकार को झख़मार कर सिन-फ़िनरों से समझौता करना पड़ा, और दूसरी ओर सिन-फ़िनरों को बेहिसाब नुक़सान उठाने के अलावा अफ़सर से हाथ धोना पड़ा। एक प्रसिद्ध सिन-फ़िन ने लिखा है :—

"बिना एक भी गोली चलाए, हम इङ्गलैण्ड को दबा कर वह सब प्राप्त कर सकते थे, जो हमने बन्दूक़ की सहायता से प्राप्त किया है—बल्कि उससे भी अधिक। उस हालत में हम आयर्लैण्ड की एकता क़ायम रख सकते थे और विच्छेद से बच सकते थे.........।"

सरकार की ओर से हत्या का फ़तवा देने वाला स्माइथ स्वयं ही अपने उपाय का शिकार हुआ, दूसरी ओर सिन-फ़िनरों के नेता माइकेल कॉलिन्स को भी एक आइरिश ही के हाथ से गोली का शिकार होना पड़ा।

❀ ❀ ❀

# 'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

झेलम के तट पर अवस्थित महाराजा काशमीर का सुविशाल महल

श्रीनगर ( काशमीर ) के बड़े बाज़ार का दृश्य

जापानी जल-सेना के उच्च पदाधिकारियों का ग्रूप। बैठे हुए ( दाहिनी ओर से )—( १ ) सुफ़ोक ( Suffolk ) नामक प्रसिद्ध जहाज़ के कप्तान ( २ ) सुफ़ोक बैटेल-शिप के कमाण्डर-इन-चीफ़ एडमिरल ओसूमी ( ३ ) जापान के युद्ध-मन्त्री एडमिरल एम्पो ( ४ ) जापान में रहने वाले ब्रिटिश राजदूत ( ५ ) एडमिरल टानी गुची और ( ६ ) समुद्री-सेना के प्रधान।

हाल ही में कानपुर में होने वाले सङ्गीत कॉन्फ़्रेन्स में सम्मिलित सुप्रसिद्ध सङ्गीतज्ञों ( जो भारत के विभिन्न स्थानों से इस अवसर पर पधारे थे ) तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का ग्रूप। बैठे हुओं में पाठक प्रिन्सिपल शेषादरी, प्रोफ़ेसर मम्मनख़ाँ ( पटियाला ), प्रो० पर्वतसिंह पखावजी ( ग्वालियर ) तथा प्रो० नारायणराव व्यास ( बम्बई ) को भी देखेंगे।

# यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?

बम्बई के नव-निर्मित सेवा-दल की कुछ सदस्याएँ जो एक विशेषज्ञ से लाठी चलाने की शिक्षा पा रही हैं

पटा भाँजने का अभ्यास करते हुए सेवा-दल की महिलाएँ

लाठी चलाने का अभ्यास करते हुए सेवा-दल की वीर रमणियाँ

अभ्यासार्थ लाठी से लड़ने के लिए तैयार खड़ी हुईं सेवा-दल की वीराङ्गनाएँ

वह नज़र उट्ठी, वह मैंने आह पुर-तासीर की, यह समझ कर तीर ही से रोक होगी तीर की।

अपने-अपने लख़्ते-दिल हाज़िर करेंगे अहले-दिल, आज सुनता हूँ कि दावत है तुम्हारे तीर की॥

पूछते क्या हो हक़ीक़त आशिक़े दिलगीर की,
हैरत आईने की देखो, ख़ामुशी तस्वीर की।
बहरे[1] आराईश[2] तो घर में सब जगह देने लगे,
और फिर अब क्या परस्तिश[3] हो तेरी तस्वीर की।
चाहिए कुछ तो मेरी मय्यत[4] का तुमको एहतराम[5],
खींच लो तस्वीर इस मिटती हुई तस्वीर की।
जिस मेरे दिल को कभी आहो-फ़ुग़ाँ[6] से काम था,
अब वह एक तस्वीर है, ख़ामोशिए तस्वीर की।
सैकड़ों बुतख़ाने हैं एक-एक सब में चाहिए,
इस सबब से बढ़ गई क़ीमत तेरी तस्वीर की।

—"नूह" नारवी

ख़ुद-बख़ुद उसकी तरफ़ सब अहलेदिल खिंचने लगे,
दिलकशी[7] ज़रबुलमसल[8] ठहरी तेरी तस्वीर की।
ऐ "ज़या" तारीकिए[9] मरक़द[10] का मुझको ग़म नहीं,
मेरे दिल में है ज़या[11] एक चाँद सी तस्वीर की।

—"ज़या" देवानन्दपुरी

लोग तेरे वास्ते पढ़ते हैं काबे में नमाज़,
बुत्कदे में भी परस्तिश है तेरी तस्वीर की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

मुझसे उसने बात कब की मुझसे कब तक़रीर[12] की,
महवे हैरत कर गई, हैरत तेरी तस्वीर की।
कब कोई आता है इसके देखने को ख़ुद-बख़ुद,
खींच लाती है कशिश सब को तेरी तस्वीर की।
बात वह करती नहीं, कहती नहीं, सुनती नहीं,
बढ़ गई है बेरुख़ी इतनी तेरी तस्वीर की।

—"शातिर" इलाहाबादी

एक दुनियाए मुहब्बत इस तरह तसख़ीर[13] की,
आपसे बढ़ कर है शुहरत आपके तस्वीर की।
दिल बहलने के लिए अच्छा यह सामाँ हो गया,
नक़्श दिल पर हो गई सूरत तेरी तस्वीर की।

—"परवाना" सीतापुरी

रूह आँखों में खिंच आई आशिक़े दिलगीर की,
किस क़दर दिलकश अदाएँ थीं तेरी तस्वीर की।
गुलशने[14] आलम ने मुझको महवे हैरत कर दिया,
पत्ती-पत्ती में झलक देखी तेरी तस्वीर की।
नज़्आ[15] में निकले मेरा अरमान ख़ामोशी के साथ,
मरते दम ले लूँ बलाएँ मैं तेरी तस्वीर की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

१—वास्ते, २—सँवारना, ३—पूजा, ४—लाश, ५—आदर, ६—कराहना, ७—दिल खींचना, ८—कहावत, ९—अँधेरा, १०—क़ब्र, ११—रोशनी, १२—बातचीत, १३—अपना कर लेना, १४—बाग़, १५—आख़िरी समय,

वह नज़र उट्ठी, वह मैंने आह पुर-तासीर की,
यह समझ कर तीर ही से रोक होगी तीर की।
वह न निकले तो न निकले दिलसे यह निकलें ज़रूर,
हसरतें करती क्यों हैं तक़लीद[16] नोके तीर की।
रफ़्ता-रफ़्ता आ गया दिल उस निगाहे शोख़ पर,
आते-जाते चोट खाई चलते-फिरते तीर की।

—"नूह" नारवी

ख़ारे हसरत बन गई है वह खटकने के लिए,
नोक दिल में रह गई है जो तुम्हारे तीर की।

—"शातिर" इलाहाबादी

है अभी दिल की रगों में कुछ न कुछ बाक़ी लहू,
क्यों न हो मञ्ज़ूर ख़ातिर फिर किसी के तीर की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

क़द्र करनी चाहिए तुमको दिले नख़चीर[17] की,
उसके दम से इतनी शुहरत है तुम्हारे तीर की।
उसकी सूरत हो गई, मजरूह[18] की नख़चीर की,
पड़ गई परछाईं जिस दिल पर तुम्हारे तीर की।
अपने-अपने लख़्ते[19] दिल हाज़िर करेंगे अहले दिल,
आज सुनता हूँ कि दावत है तुम्हारे तीर की।
मेरे दिल से पूछिए, मेरे जिगर से पूछिए,
दमख़म[20] अपनी तेग़[21] का चल फिर नज़र के तीर को

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

अब उमीदे ऐशोराहत[22] मैं करूँ तो क्या करूँ,
हो गई तदबीर भी साथी मेरी तक़दीर की।

—"नूह" नारवी

वह दिखा कर पेचोख़म[23] ज़ुल्फ़ों का फ़रमाने लगे,
अब कहानी तुम सुनाओ गर्दिशे तक़दीर की।

—"ज़या" देवानन्दपुरी

शर्त रख दो बे-तरह तक़दीर पर तदबीर की,
यह ज़राफ़त[24] भी ग़ज़ब है कातिबे तक़दीर[25] की।
मेरी क़िस्मत में जो लिख देता निशानेलुत्फ़ोऐश[26],
उँगलियाँ मैं चूम लेता कातिबे तक़दीर की।

—"शातिर" इलाहाबादी

मैं हूँ "परवाना" मुझे जलने से हर दम काम है,
दीद के क़ाबिल है यह ख़ूबी मेरी तक़दीर की।

—"परवाना" सीतापुरी

जिस पे मैं क़ुर्बान हूँ, वह ग़ैर पर क़ुर्बान है,
मुख़्तसिर[27] सी है कहानी यह मेरी तक़दीर की।
पेश चलती ही नहीं, उल्फ़त में कुछ तदबीर की,
मैं करूँ किससे शिकायत गर्दिशे तक़दीर की।

—"कामिल" इलाहाबादी

१६—नक़ल करना, १७—घायल, १८—ज़ख़्मी, १९—टुकड़े, २०—चल फिर, २१—तलवार, २२—आराम, २३—टेढ़ापन, २४—दिल्लगी, २५—भाग्य-लेखक, २६—आनन्द, २७—संक्षेप,

यह मिटाए से किसी सूरत कभी मिटती नहीं,
क्या क़यामत है लिखावट कातिबे-तक़दीर की?
उम्र भर नाकामियों[28] का सामना करना पड़ा,
शर्त पूरी हो गई "ग़ाफ़िल" मेरी तक़दीर की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

दश्त पैमाई[29] से अब रहता है दुश्मन को भी काम,
उसकी क़िस्मत को मिली, गर्दिश मेरी तक़दीर की।
मैं क़फ़स[30] में हूँ, मगर है बर्क़[31] को अब भी तलाश,
आग भड़काने लगी, गर्दिश मेरी तक़दीर की।
दोस्त दुश्मन हो गए, अपने पराए हो गए,
यह भी एक गर्दिश थी ऐ 'बिस्मिल' मेरी तक़दीर की!

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

हिचकियाँ लीं तो गले से तौक़े[32] ज़िन्दाँ गिर पड़ा,
एड़ियाँ रगड़ीं तो कड़ियाँ खुल गईं ज़ञ्जीर क

—"नूह" नारवी

सबकी क़िस्मत में लिखी है जलवए आलम[33] की सैर,
मुझको पाबन्दी लिखी है ख़ानए ज़ञ्जीर की।
हो गया आज़ाद मर कर, क़ैदिए ज़िन्दाने ग़म[34],
अब सदा[35] आती नहीं है नालए ज़ञ्जीर की।

—"ज़या" देवानन्दपुरी

काँप उठीं दीवारे ज़िन्दाँ, अहले ज़िन्दाँ हिल गए,
ज़लज़ला-अङ्गेज़[36] जुम्बिश थी मेरी ज़ञ्जीर की।
जाते ही अहदे ख़िज़ाँ[37] के, बढ़ गया जोशे जुनूँ,
फ़स्ले-गुल आते ही कड़ियाँ खुल गईं ज़ञ्जीर की

—"शातिर" इलाहाबादी

आजकल दीवानए गेसू[38] का आलम ग़ैर है,
साफ़ कहती है यह खुल कर हर कड़ी ज़ञ्जीर की।

—"परवाना" सीतापुरी

नाज़ करता है इसी पर क़ैदिए ज़िन्दाने ग़म,
किस क़दर मज़बूत हैं कड़ियाँ मेरी ज़ञ्जीर की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

उनके दीवाने का ज़िन्दाँ में यही बस शग़्ल है,
रात-दिन गिनता है कड़ियाँ क़ैद में ज़ञ्जीर की।
बाँध कर आप उसको रख सकते हैं अपनी ज़ुल्फ़ में,
ऐसे मजनूँ के लिए क्या क़ैद है ज़ञ्जीर की।

—"कामिल" इलाहाबादी

इनसे हो जाती है ताज़ा उनके दीवाने की याद,
चन्द कड़ियाँ क़ैदख़ाने में जो हैं ज़ञ्जीर की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२८—निष्फलता, २९—जङ्गल में फिरना ३०—पिंजड़ा, ३१—बिजली, ३२—हँसुली, ३३—संसार का तमाशा, ३४—क़ैदख़ाने का दुखी, ३५—आवाज़, ३६—कँपकँपी पैदा करने वाली, ३७—पतझड़ का ज़माना, ३८—केश के प्रेमी।

* * *

[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ]

## विलायत में बड़ा दिन

र एक देश में कोई न कोई ऐसा त्यौहार अवश्य मनाया जाता है, जिसमें बच्चे, वृद्ध तथा युवा अपने-अपने कष्टों को भूल कर हर्ष मनाते हैं। हिन्दुओं में ये त्यौहार होली-दिवाली हैं, मुसलमानों में ईद, तथा ईसाइयों में बड़ा दिन अथवा क्रिसमस।

दिसम्बर का अन्तिम सप्ताह ईसाइयों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यूरोप तथा अमेरिका में यह सप्ताह बड़ी शान-शौकत से मनाया जाता है। ता० २५ दिसम्बर को क्रिसमस डे (बड़ा दिन) तथा ता० ३१ दिसम्बर की रात्रि को नव-वर्षारम्भ के उत्सव मनाए जाते हैं। ग्रेट-ब्रिटेन में तो यह सप्ताह राष्ट्रीय सप्ताह समझा जाता है। वर्ष भर में कोई और उत्सव अथवा त्यौहार इतनी महत्ता नहीं रखता, जितनी कि क्रिसमस-सप्ताह रखता है। अपनी सांसारिक चिन्ताओं को भूल कर नर-नारी, बाल-वृद्ध जी खोल कर इतना हर्ष कभी नहीं मनाते, जितना कि इस सप्ताह में। महीनों पूर्व से तैयारियाँ होने लगती हैं। दिसम्बर मास के प्रारम्भ होते ही लोग बड़ी उत्कण्ठा से इस सप्ताह की प्रतीक्षा करते हैं।

इस उत्सव का इतिहास बड़ा रहस्यपूर्ण है। जिस प्रकार हमारे यहाँ होली की उत्पत्ति के विषय में अनेक दन्तकथाएँ हैं, उसी प्रकार क्रिसमस के विषय में भी अनेक दन्तकथाएँ हैं, बड़े-बड़े लेखकों में इस विषय पर काफ़ी मतभेद पाया जाता है। इतना तो सभी मानते हैं कि क्रिसमस का सम्बन्ध ईसा के जन्म से है, परन्तु वास्तव में ईसा का जन्म-दिवस ता० २५ दिसम्बर नहीं है। ईसा के जन्म-दिन का ठीक पता किसी को नहीं। यही कारण है कि शुरू में कहीं यह जनवरी में मनाया जाता था, कहीं एप्रिल में तथा कहीं मई में।

आर्मीनियाँ में अब भी यह उत्सव ता० ६ जनवरी को मनाया जाता है। ता० २५ दिसम्बर को तो यह पाँचवीं शताब्दी से मनाया जाने लगा है। इसका कारण यह है कि जर्मनी, इङ्गलैण्ड तथा फ़्रान्स के निवासी ईसाई होने से पूर्व ता० २५ दिसम्बर को अपना शरद-उत्सव मनाया करते थे। जब वे ईसाई हो गए, तो उन्होंने यही तारीख़ ईसा का जन्मोत्सव मनाने के लिए निश्चित कर ली।

क्रिसमस की रात्रि भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से मनाई जाती है। इङ्गलैण्ड तथा अमेरिका में बच्चों में यह बात प्रसिद्ध है कि रात को जब सब सो जाते हैं, तो सान्ताक्लौस ( Santaclaus ) एक बारहसिङ्घा के ऊपर सवार होकर चिमनी के रास्ते से कमरे में आता है और जो बच्चे अपने-अपने मोज़े चिमनी के पास टाँग देते हैं, उनके लिए उनमें वह खिलौने भर जाता है। लेकिन जो बच्चे रात को जग कर देखने का उद्योग करते हैं, उनके कमरे से सान्ताक्लौस लौट जाता है और उन्हें खिलौने नहीं मिलते। इसीलिए प्रत्येक घर के बच्चे अपने-अपने मोज़े रात को टाँग कर तब सोते हैं। सान्ताक्लौस तो आता-जाता नहीं, हाँ माँ-बाप ही सान्ताक्लौस बन कर उन मोज़ों में खिलौने भर देते हैं और प्रातःकाल जब बच्चे जागते हैं तो वे यही समझते हैं कि सान्ताक्लौस ही आकर उन खिलौनों को रख गया था।

इस प्रथा का अर्थ यह है कि इस प्रकार माता-पिता अपने-अपने बच्चों को कुछ न कुछ उपहार दे देते हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि बालक ईसा के जन्म-दिन पर इधर-उधर से मनुष्य भाँति-भाँति के उपहार लाए थे, अतः वही रीति अब तक चली जाती है। परन्तु इसमें यह सान्ताक्लौस कहाँ से आ टपके, यह बात निर्विवाद नहीं है। किम्बदन्ती यह है कि दूसरी शताब्दी (ईसवी) में सन्त निकोलस नाम का एक पादरी एशिया माइनर में रहता था। वह बड़ा दयालु तथा दानी था। एक बार उस नगर में एक सम्भ्रान्त व्यक्ति का दिवाला निकल गया और दरिद्रता के कारण उसे अपनी पुत्रियों को दासी की भाँति बेचने पर विवश होना पड़ा। जब सन्त निकोलस ने यह बात सुनी, तो वह रात्रि को चुपचाप चिमनी (धुँआ निकलने का मार्ग) द्वारा बड़ी लड़की के कमरे में स्वर्ण की एक पोटली डाल आया। इसी प्रकार उसने कई अन्य व्यक्तियों की सहायता की थी। अन्त में उसका सारा रहस्य खुल गया और लोग उसे सन्त निकोलस के बजाय प्रेम से 'सान्ताक्लौस' पुकारने लगे।

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, यह उत्सव बालकों के लिए बड़े हर्ष का होता है। चारों ओर से उन्हें सुन्दर-सुन्दर उपहार मिलते हैं। धनिक व्यक्ति ग़रीबों के बालकों को उपहार देते हैं, कहीं-कहीं उन्हें दावतें दी जाती हैं, कहीं उन्हें मुफ़्त ही सिनेमा या थिएटर दिखाया जाता है। यहाँ तक कि अस्पताल के रोगी बच्चों के लिए भी इस उत्सव को मनाने की विशेष सुविधा कर दी जाती है। सारे वार्ड सजा दिए जाते हैं। बच्चों की चारपाइयाँ उपहार के खिलौनों से भर जाती हैं। उनकी दावत होती है, सङ्गीत सुनाया जाता है तथा रात्रि को अस्पताल का बड़ा डॉक्टर स्वयं सान्ताक्लौस का वेष धारण करके उन्हें उपहार देता है।

जर्मनी में सान्ताक्लौस नहीं आता। वहाँ पर यह विश्वास है कि बालक ईसा ( Kris Kringle ) ही स्वयं रात को आकर इधर-उधर खिलौने छिपा जाता है। प्रातःकाल उठ कर बच्चे सारे घर को खिलौनों के लिए खोजते-फिरते हैं।

फ़्रान्स में मोज़े नहीं रक्खे जाते, बल्कि लकड़ी के जूते बनवा कर कमरे में रख दिए जाते हैं और रात को पिता ईसा ( Bonhomme Noel ) उनमें उपहार रख जाता है।

नॉर्वे में उपहार ऐसे स्थान में रक्खे जाते हैं, जहाँ किसी बच्चे को भी उनके पाने की आशा नहीं होती। प्रातःकाल जब बच्चे खिलौनों के लिए घर की सारी वस्तुएँ इधर-उधर फेंकने लगते हैं तथा खिलौने न पाने पर रोते हैं, तो घर के आदमियों को ख़ूब हँसने को मिलता है। अन्त में माता-पिता खिलौने निकाल कर उन्हें दे देते हैं।

इटली में सबसे निराली रीति प्रचलित है। वहाँ खिलौने डब्बों में बन्द किए जाते हैं और साथ ही कुछ डब्बे ख़ाली छोड़ दिए जाते हैं। यह सब डब्बे एक साथ रख दिए जाते हैं। फिर सब बालक बुलाए जाते हैं और उनमें से प्रत्येक एक डब्बा उठा लेता है। जिनको ख़ाली डब्बा मिलता है, उन्हें बड़ी निराशा होती है और दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं। परन्तु पीछे से उन्हें भी खिलौने मिल जाते हैं। इस रीति को 'Urn of Fate' (भाग्य का खेल) कहते हैं।

प्रायः सभी देशों में रात को पुराने सामान की होली जलाते हैं तथा पटाख़े व आतिशबाज़ी छुड़ाते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल जब लोग रास्ते में एक-दूसरे को मिलते हैं, तो Merry Christmas एक दूसरे को कहते हैं। हमारे यहाँ की होली के बाद मित्रों के मिलाप से यह रीति बहुत मिलती-जुलती है।

कहीं-कहीं पर क्रिसमस-वृक्ष ( Christmas trees ) बनाए जाते हैं, जिन पर मोमबत्तियाँ आदि जलाई जाती हैं। अमेरिका में ऐसा बहुत बड़ा वृक्ष नगर के बीच में बनाते हैं तथा उसे बिजली द्वारा ख़ूब ही प्रकाशित करते हैं। कुछ स्थानों पर इस वृक्ष पर मेवा, फल, दाने आदि लगा कर दरवाज़े के बाहर रख देते हैं, जहाँ चिड़ियाँ आकर इन वस्तुओं को खा लेती हैं। ये वृक्ष एक विशेष-प्रकार के वृक्ष की डाल को काट कर बनाए जाते हैं और इनका इस अवसर पर घर में रक्खा जाना एक प्रकार का शकुन समझा जाता है।

बालकों के लिए तो यह खेल का तथा आमोद-प्रमोद का समय होता ही है, बड़ों के लिए भी यह सप्ताह कम आनन्द का नहीं होता। बिछुड़े हुए मित्र इन दिनों में अवश्य मिलते हैं। पुत्र-पुत्री कहीं भी हों, क्रिसमस के अवसर पर अपने घर अवश्य आ जाते हैं। मित्र एक-दूसरे को क्रिसमस-कार्ड भेजते हैं। ये कार्ड करोड़ों की संख्या में बिक जाते हैं। प्रेमीगण एक-दूसरे को उपहार देकर अपने प्रेम का परिचय देते हैं। क्रिसमस कार्डों तथा उपहारों के पार्सलों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि डाकख़ाने वालों को सहस्रों अस्थायी डाकिए इस काम के लिए नियुक्त करने पड़ते हैं।

नवयुवकों तथा नवयुवतियों के ये दिन बड़े उल्लास के साथ व्यतीत होते हैं। प्रायः नित्य ही रात्रिभर नाच-घर खुले रहते हैं। कहीं फ़ैन्सी ड्रेस बॉल, कहीं मास्क बॉल, कहीं स्केट-डान्स आदि होते रहते हैं। इनके अतिरिक्त पार्टियों की भरमार रहती है; जहाँ रात-रात भर नाच, गान, दावत, खेल आदि होते हैं। घरों के जीवन में भी इस सप्ताह के लिए परिवर्तन आ जाता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि क्रिसमस की तैयारी कई सप्ताह पूर्व होने लगती है! पहले तो मकान की सफ़ाई होती है, फिर घर की बैठक (Sitting room) झण्डियों, फूल-पत्तियों तथा बिजली के बल्बों से सुसज्जित की जाती है। फिर नम्बर आता है एक बड़ी मनोरञ्जक बात का। जिस प्रकार संयुक्त-प्रान्त में होली के अवसर पर गुझियाँ खाने के लिए बनाई जाती हैं, उसी प्रकार वहाँ पर एक मिठाई बनाई जाती है, जिसका नाम है क्रिसमस पुडिङ्ग ( Christmas pudding )। यह मिठाई क्या होती है, वैद्य जी के पाक का नुस्ख़ा समझिए। दर्जनों चीज़ें इसमें डाल कर कई दिनों तक पकाई जाती हैं। तैयार हो जाने पर ता० २५ दिसम्बर के लिए यह मिठाई रख दी जाती है। टोटके-टनके भारत के लिए ही नहीं हैं, विलायत में भी इनकी मान्यता है, या कम से कम कुछ समय पहले रही होगी। क्योंकि इन टोटकों के चिह्न-स्वरूप चाँदी की कई चीज़ें इस पुडिङ्ग में डाली जाती हैं, जैसे घोड़े का खुर ( Horse-shoe ), अविवाहित की अँगूठी ( Bachelor's ring ), अविवाहिता वृद्धा की अँगूठी ( Old maid's ring ) आदि। इन चीज़ों को वे लोग 'चार्म्स' ( Charms )

कहते हैं। बड़े दिन को जब लोग भोजन के समय इस पुडिङ्ग को खाने बैठते हैं, तो वे सबसे पहले इन 'चार्म्स' की तलाश करते हैं और कभी-कभी इससे बड़ा कौतूहल होता है।

ता० २५ को भोजन करने के बाद घर के सभी व्यक्ति तथा निमन्त्रित मित्रादि भी रङ्ग-विरङ्गी टोपियाँ पहनते हैं। बाज़ार से काग़ज़ के बने हुए कुछ खिलौने आते हैं, जिन्हें Crackers कहते हैं। देखने में तो ये साधारण ही होते हैं, परन्तु कुछ देर इनसे ख़ूब मनो-रञ्जन होता है। ये इतने आवश्यक होते हैं कि सम्राट् की पार्टी में भी इनका आसन अवश्य जमता है।

स्कॉटलैण्ड में क्रिसमस-डे नहीं मनाया जाता, उसके बदले ता० ३१ दिसम्बर की रात्रि और ता० १ जनवरी के दिन को ये लोग अपना बड़ा दिन मानते हैं। इस प्रकार के उत्सव इङ्गलैण्ड, वेल्स तथा आयर्लैण्ड वाले नहीं मनाते, इन देशों में निवास करने वाले स्कौच लोग ही इस उत्सव को मनाते हैं। इस उत्सव में एक विशेषता यह होती है कि लोग मदिरा का सरे-आम प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार, जिस प्रकार संयुक्त-प्रान्त में होली के अवसर पर भाँग का प्रयोग किया जाता है। सन्ध्या काल से ही लोग मदिरा पीना प्रारम्भ कर देते हैं और कुछ तो इतनी पीते हैं कि नया वर्ष प्रारम्भ होने के समय उन्हें इस लोक का तो पता भी नहीं रहता। स्कॉटलैण्ड के किसी नगर में गलियों में निकल जाइए और इन पियक्कड़ों के स्वाँग देखने को मिलेंगे। कोई झूमते हैं, कोई मस्त होकर नाचते हैं, कोई उछल-कूद कर गाते हैं। कोई और कुछ न कर सकने पर घृणित गालियाँ ही बकते हैं। जो इतना भी नहीं कर सकते, वे नालियों में आश्रय लेते हैं, जहाँ से पुलिस उन्हें ले जाती है। इनमें स्त्रियों की संख्या भी काफ़ी बड़ी होती है। परन्तु यह दृश्य है समाज के निचले भाग का। ऊँचे भाग वाले अपना आमोद-प्रमोद करते इसी ढङ्ग पर हैं, परन्तु या तो अपने या मित्रों के घरों में अथवा होटलों या रेस्टोराँ में।

प्रत्येक नगर में ता० ३१ दिसम्बर की रात्रि को लोग नव वर्ष का स्वागत करने के लिए एक बड़े मैदान में एकत्रित होते हैं। एडिनबरा में लोग एक गिर्जे के पास एकत्रित होते हैं। वहाँ पर भी वही राग-रङ्ग होता रहता है। कहीं-कहीं आतिशबाज़ी छुड़ाई जाती है। ज्योंही बारह का घण्टा बजता है, त्योंही नव वर्ष के स्वागत के लिए एक गोला दाग़ दिया जाता है। बस, उसके बाद का जो दृश्य होता है, वह देखते ही बनता है। वहाँ खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपनी जेब से शराब की एक बोतल निकालता है। पुरुषों की बोतलें बड़ी होती हैं, स्त्रियों की छोटी।

[illegible]स बोतलें निकलते ही नए वर्ष की 'हैल्थ' ( Health ) पी जाती है और फिर सब मस्त होकर नाच-कूद, मार-पीट, गालियों का बकना आदि सभी प्रकार [illegible] असभ्य व्यवहार करते हैं। कुछ समय पूर्व शराब पीने के बाद एक-दूसरे पर बोतलों की बौछार होती थी और लोगों के सर फूटते थे। इसलिए उधर जाना भय से ख़ाली न समझा जाता था। अब यह उत्सव कुछ 'शान्ति' के साथ होता है। फिर भी अनेक मनोरञ्जक दृश्य अब भी देखने को मिल जाते हैं।

❀ ❀ ❀



# तूफ़ाने-ज़राफ़त

## "मस्जिद से हम निकल गए बिसकुट की चाट में"

[ महाकवि "अकबर" इलाहाबादी ]

इस अखाड़े में अड़ङ्गे देख कर क़ानून के,
शेख़ ने तहमद से हिजरत[1] की तरफ़ पतलून के।

❀

वज़्अ[2] मग़रिब सीख कर, देखा तो यह काफ़ूर[3] थी
अब मैं समझा, वाक़ई डाढ़ी ख़ुदा का नूर थी।

❀

आदम छुटे बहिश्त से गेहूँ के वास्ते,
मस्जिद से हम निकल गए बिसकुट की चाट में।

❀

हमारे बाग़ में पेड़ अब कहाँ माली लगाते हैं,
उन्होंने भी तो देखा यह फ़क़त डाली लगाते हैं!

❀

मैं बहुत अच्छा हूँ, जी हाँ क़द्रदानी आपकी,
ग़ैर पर फिर क्यों है इतनी मेहरबानी आपकी!

❀

यह न पूछो मुझसे यह क्यों है और ऐसा क्यों नहीं
शेख़ यह सोचो तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं?

❀

तुमसे उस्तादों में मेरी शायरी बेकार है,
साथ सारङ्गी का बुलबुल के लिए दुश्वार[4] है!

❀

बुतों के नाज़ पर इस अहद[5] में लाज़िम है ख़ामोशी,
बुरा कहते हैं हम उनको तो दस अच्छा भी कहते हैं!

❀

इन बुतों के बाब में इतनी ही मेरी अर्ज़ है,
कुफ़्र है इनकी परस्तिश[7] प्यार करना फ़र्ज़ है!

❀

गोशए[8] मस्जिद में कारे शेख़ अब बनता नहीं,
पेट गो तसकीन[9] पा जाए, मगर तनता नहीं!

❀

१—छोड़ जाना, २—वेष, ३—ग़ायब, ४—कठिन, ५—ज़माना, ६—सम्बन्ध, ७—पूजा, ८—कोना, ९—ढारस,

## "बड़े दिन में बड़े साहब को हम डाली लगाते हैं"

[ कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी ]

हर तरफ़ आफ़ाक़[10] में चरचे हैं अब क़ानून के,
क्यों न धोती छोड़ कर गाहक हों हम पतलून के!

❀

रूबरू फ़ैशन के फ़ौरन रुख़[11] से वह काफ़ूर थी,
कहने-सुनने के लिए डाढ़ी ख़ुदा का नूर थी!

❀

मन्दिर से वास्ता नहीं होटल के सामने,
परशाद को सलाम है बिस्कुट की चाट में!

❀

फले शाख़े तमन्ना[12] इसलिए यह रङ्ग लाते हैं,
बड़े दिन में बड़े साहब को हम डाली लगाते हैं!

❀

क़द्र के क़ाबिल न क्यों हो क़द्रदानी आपकी,
मेहरबाँ हमको बहुत है, मेहरबानी आपकी!

❀

वह तो कहते हैं, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं,
मुझको यह रोना है मेरे पास पैसा क्यों नहीं!

❀

वक़्त पर इमदाद कोई दे बहुत दुश्वार है,
रुपया हासिल न हो, तो शायरी बेकार है!

❀

कहाँ वह पीठ पीछे बज़्म[13] में ख़ामोश रहते हैं,
यह अच्छा है कि मेरे रूबरू अच्छा तो कहते हैं!

❀

आपकी बरहम[14] मिज़ाजी पर यह मेरी अर्ज़ है,
प्यार में सब कुछ है जायज़, प्यार करना फ़र्ज़ है!

❀

बिरहमन का खेल है बिगड़ा हुआ बनता नहीं,
अब वह मन्दिर में किसी से भूल कर तनता नहीं!

❀

१०—विश्व, ११—चेहरा, १२—आशा की डाली, १३—सभा, १४—नाराज़ी।

# देहली षड्यन्त्र-केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

## अभियुक्तों की दरख़्वास्त नामञ्ज़ूर

दिल्ली षड्यन्त्र केस की शनिवार ६ दिसम्बर तक की कार्यवाही पिछले अङ्क में दी जा चुकी है। सोमवार, ७ दिसम्बर को विशेष अदालत फिर बैठी और उस दिन अदालत ने जेल के दुर्व्यवहारों के सम्बन्ध में अभियुक्तों की ओर से उपस्थित की गई दरख़्वास्त पर अपना फ़ैसला सुनाया। दरख़्वास्त में दो बातों पर अधिक ज़ोर दिया गया था। एक तो यह कि क्या जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह अधिकार है कि वह जेल के बाहर किए गए कामों के लिए भी अभियुक्त को सज़ा दे सकता है और दूसरी यह कि क्या अभियुक्त अदालत के अन्दर और बाहर अथवा जुडिशियल हिरासत में रहते हुए अदालत के नियन्त्रण में हैं, या नहीं।

इस सम्बन्ध में अदालत ने सुखदेवराज बनाम सम्राट् वाले मामले की रूलिङ्ग का हवाला दिया, जिसमें यह सिद्धान्त निर्धारित किया गया था—जब कोई विचाराधीन क़ैदी अदालत द्वारा जुडिशियल हिरासत में रक्खा जाता है, वह साधारणतया अदालत के अधिकार में रहता है। जुडिशियल हिरासत में उसके साथ जेल-क़ानून और उसके अनुसार बनाए गए नियमों के मुताबिक़ व्यवहार किया जायगा और अगर वह अदालत से इस बात की शिकायत करता है कि उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता, तो अदालत को यह अधिकार है कि उस मामले में वह जाँच करे। यदि अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि जेल-अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कारवाई क़ानून के मुताबिक़ है, तो उस हालत में अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि अदालत इसके विपरीत पाती है, तो उसे यह अधिकार है कि वह उस मामले में उचित हिदायत दे।

## अभियुक्त जेल-नियमों के अधीन हैं

इस रूलिङ्ग के होते हुए अदालत ने यह फ़ैसला दिया कि जेल से अदालत ले जाते समय और वापस लाते समय क़ैदी उसी प्रकार रहता है, जिस प्रकार जेल के अन्दर, इसलिए वह जेल-नियमों के अधीन है। परन्तु क़ैदी जैसे ही अदालत के कमरे में आ जाता है, वैसे ही वह अदालत के अधिकार में हो जाता है। इसलिए अदालत की राय में जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह अधिकार है कि वह अभियुक्तों को जेल से अदालत ले आते या ले जाते समय के अन्दर किए गए किसी काम के लिए, जोकि जेल के अन्दर के ही अपराधों के समान होगा—सज़ा दे सकता है, पर यह कि अदालत के कमरे के अन्दर की गई किसी बात के लिए सुपरिण्टेण्डेण्ट को सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि अभियुक्तों को अदालत के कमरे के बाहर किए गए कुछ कामों के लिए सज़ा दी गई है, इसलिए अदालत हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं समझती। अदालत ने कहा कि उसकी राय में गाना और नारे लगाना राजनीतिक चिन्हों में शामिल नहीं हैं। अदालत ने अभियुक्तों को यह सलाह दी कि भोजन की सज़ा के सम्बन्ध में वे जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल के पास दरख़्वास्त दें।

## मुलाक़ातों के सम्बन्ध में नियम बनेंगे

अभियुक्तों से मुलाक़ातों के सम्बन्ध में अदालत ने कहा कि वह अभियुक्तों को अपने वकीलों से सलाह करने के लिए अदालत की कार्यवाही स्थगित करने को तैयार नहीं है, किन्तु समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस फ़ैसले से जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को सूचित करेगी और उनसे यह सिफ़ारिश करेगी कि कम से कम रविवार को मुलाक़ात कराने की कार्यवाही फिर जारी कर दी जाय। रिश्तेदारों से मुलाक़ात के सम्बन्ध में अदालत ने घोषित किया कि अदालत के कमरे में जलपान की छुट्टी में अभियुक्तों को रिश्तेदारों और मित्रों से कुछ शर्तों के साथ मुलाक़ात कराने के सम्बन्ध में शीघ्र ही नियम बनाए जायँगे और इन नियमों के पालन में व्यक्तिगत दरख़्वास्तों की बातों की जाँच की जायगी। अन्त में अदालत ने अभियुक्तों को ज़मानत पर छोड़ने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी।

## अभियुक्त को पाजामा नहीं मिला

इसके बाद अदालत ने मुक़दमे की कार्यवाही शुरू की। कार्यवाही अभियुक्त विद्याभूषण के अदालत में आने से इन्कार कर देने के कारण १२ बजे शुरू हुई। अन्त में विद्याभूषण ज़बरदस्ती अदालत में लाए गए। विद्याभूषण ने अदालत में न आने का कारण यह बतलाया कि उन्हें पाजामा नहीं दिया गया था।

इसके बाद सरकारी वकील ने बतलाया कि पिछले सोमवार को अदालत ने अभियुक्त विमलप्रसाद जैन की उपस्थिति से अदालत को एक सप्ताह के लिए बरी कर दिया था। सरकारी वकील ने कहा कि आज फिर अभियुक्त (विमलप्रसाद) अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, हालाँकि अदालत का हुक्म उसे सुना दिया गया था। उन्होंने कहा कि अदालत में उपस्थित न होने का कारण बतलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल-अधिकारियों का सिर्फ़ यह रिपोर्ट कर देना काफ़ी है कि विमलप्रसाद ने अदालत में आने से इन्कार कर दिया है, इसलिए रिपोर्ट स्वीकार की जानी चाहिए।

## विमलप्रसाद क्यों नहीं आते ?

डॉक्टर किचलू ने कहा कि पहले की तरह जेल-अधिकारी को अदालत में उपस्थित होकर उसे इस बात का इतमीनान दिलाना चाहिए था कि विमलप्रसाद वास्तव में आने से इन्कार करते हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत की कि सफ़ाई के वकील को इस बात की कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि न्याय की रक्षा के लिए यह बताना ज़रूरी है कि अभियुक्त क्यों अदालत में आने से इन्कार करता है। सरकारी पक्ष ने यह रुख़ क्यों अख़्तियार किया है, इसका कोई कारण अवश्य होगा। जेल-अधिकारियों द्वारा केवल एक रिपोर्ट भेज देना काफ़ी नहीं है। इस प्रकार जो जल्दी की जाती है, उसका उन्होंने घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि सरकारी पक्ष द्वारा पेश की गई जेल-अधिकारियों की काग़ज़ी गवाही ग़ैर-क़ानूनी है। अन्त में डॉक्टर किचलू ने कहा कि केवल विमलप्रसाद ही अदालत को यह बतला सकते हैं कि उन्हें अदालत में आने से क्या एतराज़ है। किन्तु आज जिस तरह से कारंवाई की जा रही है, उसका अन्य अभियुक्तों पर प्रभाव पड़ेगा।

प्रधान जज ने कहा कि मैं काग़ज़ी गवाही की क़ानूनियत पर एतराज़ नहीं करता, किन्तु मेरा ख़्याल है कि बेहतर होता कि जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो अभियुक्तों के साथ आए हैं, की गवाही ली जाती।

## जेल-अधिकारी की गवाही

जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट, मियाँ सफ़दर अली की गवाही विमलप्रसाद की ग़ैरहाज़िरी के सम्बन्ध में ली गई। उन्होंने कहा कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अदालत का हुक्म विमलप्रसाद को पढ़ कर सुना दिया था, किन्तु उन्होंने आने से इन्कार कर दिया। जब मैंने उन्हें लाने का प्रयत्न किया, तो वह मचल गए।

सरकारी वकील ने कहा कि यह ऑर्डिनेन्स के अनुसार आरम्भिक कार्यवाही है और गवाह से जिरह करने की कोई ज़रूरत नहीं।

डॉ० किचलू ने इसका विरोध किया और कहा कि मुझे यह सुन कर आश्चर्य होता है कि गवाह से जिरह न की जाय। सरकारी वकील ने यह असाधारण रुख़ अख़्तियार किया है। जिरह करना तो अदालत की कार्यवाही का एक अङ्ग है।

मि० बोस ने कहा कि सवाल यह है कि जेल-अफ़सर का कहना है कि विमलप्रसाद ने आने से इन्कार कर दिया है, किन्तु हम यह दिखलाना चाहते हैं कि गवाह का बयान ग़लत है और इसलिए जिरह ज़रूरी है। फ़रारों के मामले में गवाहों की जिरह का प्रश्न पहले ही तय हो चुका है।

अदालत ने अपना हुक्म मुल्तवी रक्खा और वह जलपान के लिए उठ गई।

## कैलाशपति से जिरह

८ दिसम्बर, मङ्गलवार को अदालत के बैठने पर डॉ० किचलू ने प्रमुख मुख़बिर कैलाशपति से जिरह शुरू की।

कैलाशपति ने कहा—"मैं भागीरथलाल के साथ मछलीवाला मकान को गया। मैं मालिक-मकान को नहीं जानता। मैंने २१ दिसम्बर, १६३० को पुलीस के सामने दिए गए अपने बयान में पुलीस से यह कभी नहीं कहा था कि मैं अनिच्छा से बयान दे रहा हूँ। वाक़यात के अनेक विचारों से मैं स्थिर-चित्त न रहा हूँगा। अस्थिरता इस ख़्याल से थी कि कौन बात कहूँ और कौन न कहूँ। मैं अपने चित्त की इस दशा का कारण तब तक नहीं बतला सकता, जब तक कि कोई ख़ास उदाहरण मेरे सामने न रक्खा जाय। यह बात ठीक है कि मेरे बयान देते समय पुलीस ने कुछ वाक़यात बतलाए और उसने मुझसे पूछा कि इनके सम्बन्ध में तुम क्या कहते हो।

"इसके बाद जब मुझमें स्थिरता आई, तो मैंने पुलीस को दिए हुए अपने बयान में संशोधन किया। मैंने मदनगोपाल के सम्बन्ध में पुलीस को बयान दिया है। पहिले मैंने मदनगोपाल के सम्बन्ध में कुछ वाक़यात छिपाने का प्रयत्न किया था।

"मङ्गलीप्रसाद का नाम सुनने की मुझे बहुत थोड़ी-थोड़ी याद आती है, किन्तु मैं बालकृष्ण गुप्त को नहीं जानता। मुझे ख़्याल है कि मैंने सालिग्राम शुक्ल का नाम सुना है, किन्तु मुझे यह नहीं मालूम कि किस सम्बन्ध में मैंने सुना है। सम्भव है कि इन लोगों के सम्बन्ध में पुलीस ने पूछा हो। चित्त की अस्थिरता की हालत में दिया गया बयान कुछ सही और कुछ ग़लत हो सकता है। मैंने पुलीस से यह नहीं कहा कि मेरा चित्त स्थिर नहीं है।" मुख़बिर ने अदालत में दिए गए अपने बयान को यह कह कर ठीक किया कि यह सम्भव है कि मैंने पुलीस के सामने दिए गए अपने बयान में बाद में पुलिस से कहा हो कि मैं अस्थिर चित्त की हालत में हूँ। मुख़बिर ने कहा—"यह कहना बिल्कुल ग़लत है कि मैं स्थिर-चित्त इसलिए नहीं था, क्योंकि पुलीस से मेरी शर्तें पूरे तौर से तय नहीं हुई थीं।

## भागीरथ और हरकेश का परिचय

"नए मेम्बरों को भरती करने की कुछ ज़िम्मेदारी मुझ पर थी और दिल्ली में मैं मुख्यतया विद्यार्थियों में काम करता था। गर्मी के दिनों में जब कॉलेज बन्द हो जाते थे, विद्यार्थियों में काम करना बिल्कुल बन्द हो जाता था। और विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य काम भी उन दिनों ढीले पड़ जाते थे। पार्टी के कुछ मेम्बर भी इस वक़्त दिल्ली से चले जाते थे। भागीरथ कॉलेज का विद्यार्थी था। मैंने पुलीस से यह ज़रूर कहा होगा कि भागीरथ पार्टी का मेम्बर है। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने अक्टूबर, १९३० में पुलीस से यह कहा हो कि भागीरथ काशीराम का साथी है। मुझे याद है कि मैंने हरकेश के बारे में बयान दिया था। मुझे निश्चय नहीं है कि मैंने उसे हरकेश (?) पुलीस को बतलाया हो और पार्टी का मेम्बर कहा हो, किन्तु मैं यह जानता हूँ कि हरकेश गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने पुलीस से हरकेश को पार्टी का मेम्बर नहीं, उससे सहानुभूति रखने वाला बतलाया है। हरकेश स्कूल-मास्टर था और पार्टी की नियमित मीटिङ्ग में वह कभी नहीं बुलाया गया, और न उसने, हरकेश (?) ने, किसी काम में हिस्सा लिया। भरती करने से पहले उसे (हरकेश को) बाज़ाब्ता शिक्षा नहीं दी गई। हरकेश कभी-कभी पार्टी को रुपए की मदद देता था। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने यह बात पुलीस से बतलाई हो। पार्टी का भरती करने का कोई फ़ॉर्म न था, प्रतिज्ञा का छपा हुआ फ़ॉर्म ज़रूर था, किन्तु उस पर कभी हस्ताक्षर नहीं कराया गया। पुलीस ने हरकेश को मेरे सामने शिनाख़्त के लिए कभी पेश नहीं किया। जब हरकेश मेम्बर बनाया गया था, कोई मौजूद न था। हरकेश पार्टी का बहुत साधारण मेम्बर समझा जाता था और पार्टी की महत्वपूर्ण गुप्त बातों पर उससे सलाह लेने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी।

## पुलीस वाला बयान दुरुस्त किया गया

"मैं भागीरथी के साथ जुलाई, १९३० में जयपुर गया था। मेरा ख़्याल है कि पुलीस के बयान में यह बात कि जुलाई में कैलाशपति ने भागीरथ को जयपुर भेजा, शब्द "भेजा" ग़लत है।

"मैंने पुलीस को उन सभी घरों के सम्बन्ध में बतलाया है, जिनमें पार्टी के मेम्बर लोग रहते थे।" इस पर डॉ० किचलू ने पुलीस के सामने दिए गए बयान की फ़ेहरिस्त पढ़ कर घरों के नाम सुनाए। मुख़बिर ने कहा कि—"फ़ेहरिस्त पूरी नहीं है; क्योंकि मैंने इनमें बताए गए नामों के अतिरिक्त और भी नाम बतलाए थे।

"मुझे पार्टी के बम्बई के कार्यों का कोई ज़ाती इल्म नहीं है। मैं अपनी गिरफ़्तारी के बाद कभी बम्बई नहीं ले जाया गया। मैंने बम्बई के सम्बन्ध में एक बयान दिया है।"

## अन्य षड्यन्त्र-दलों से सम्बन्ध

९ दिसम्बर, बुधवार के मुक़दमे की कार्यवाही में रुद्रदत्त अभियुक्त अस्वस्थ होने के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हुए। पहिले तो डॉ० किचलू रुद्रदत्त के प्रतिनिधि बन गए थे, किन्तु बाद में उनकी उपस्थिति अनावश्यक कर दी गई।

इसके बाद मुख़बिर कैलाशपति से जिरह शुरू हुई। मुख़बिर ने कहा—"अगर कोई काम करना होता था तो पार्टी उसका निर्णय करती थी। कोई मेम्बर व्यक्तिगत रूप से कोई काम नहीं कर सकता था, और अगर कोई करता था, तो वह पार्टी के नियम के विरुद्ध समझा जाता था। पार्टी के भावी मेम्बरों को अनेक प्रलोभनों तथा सब प्रकार के नीचे-ऊँचे से आगाह कर दिया जाता था। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जब मैं स्वयं गिरफ़्तार किया गया, तो मैं यह बात नहीं कर सका, जिसके विरुद्ध मैं पार्टी के नए मेम्बरों को सचेत किया करता था। मैं यह अनुभव करता हूँ कि पुलीस के सामने बयान देकर मैंने पार्टी के नियमों के विरुद्ध भयङ्कर अपराध किया है। पार्टी के कुछ मेम्बरों का अन्य षड्यन्त्र-दलों से सम्बन्ध था और वे लोग उनके गुप्त क्रान्तिकारी कामों में सम्मिलित थे। मेरी पार्टी के अतिरिक्त अन्य संस्थाएँ भी गुप्त कार्य कर रही थीं। मुझे अन्य गुप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में कोई इल्म न था। मैंने अपनी पार्टी के अतिरिक्त किसी गुप्त संस्था में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली। पार्टी की बिना जानकारी के किसी गुप्त संस्था में हिस्सा लेना पार्टी के नियमों के विरुद्ध था। मैं नहीं जानता कि इस बात के लिए पार्टी के किसी मेम्बर के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई हो।

"हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख या ईसाई के लिए प्रतिज्ञा का कोई ख़ास फ़ॉर्म न था, क्योंकि मेरी पार्टी में धर्म को दख़ल देने की आज्ञा नहीं थी। मैं स्वयं मार्क्स के सिद्धान्त में विश्वास करता था, जिसमें कि मेरी राय में ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है।"

## गाँधी जी की नीति की निन्दा

इसके बाद डॉ० किचलू ने "आज़ादी की ख़ूराक शहीदों का ख़ून है" नामक परचे के सम्बन्ध में मुख़बिर से जिरह की। मुख़बिर ने कहा—"मुझे बहुत थोड़ी-सी याद आती है कि उपर्युक्त परचे को मेरी पार्टी ने प्रकाशित किया था। बिना परचे को पढ़े हुए मैं नहीं कह सकता कि वह मेरी मौजूदगी में लिखा गया था। (परचे को देखने के बाद मुख़बिर ने कहा कि) यह परचा दिसम्बर, १९२९ में लाहौर-कॉङ्ग्रेस में बाँटने के लिए लिखा गया था। यह कानपुर में लिखा गया था, किन्तु मेरी मौजूदगी में नहीं लिखा गया था। मैं १९२९ में लाहौर-कॉङ्ग्रेस में नहीं गया था। मैंने परचे की छपी हुई कॉपी पहले-पहल दिल्ली में देखी थी। मैंने उसे पढ़ा और उसमें लिखी गई बातों को पसन्द किया। मैं अब भी उसके विचारों से सहमत हूँ। मैं अब भी यह अनुभव करता हूँ कि क्रान्ति को सफल बनाने के लिए गुप्त प्रचार और गुप्त तैयारी होनी चाहिए।

"मैं नहीं समझता कि गाँधी जी का असहयोग सच्चे आदर्श को प्राप्त कर सकता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि महात्मा जी के आन्दोलन ने देश में जागृति उत्पन्न कर दी है। मैंने कभी गहरे में जाकर इस बात पर विचार नहीं किया है कि महात्मा जी के आन्दोलन ने कहाँ तक नुक़सान या कहाँ तक फ़ायदा पहुँचाया है।

"मेरी पार्टी के किसी आदमी ने कभी महात्मा जी के व्यक्तित्व पर लिखित हमला नहीं किया है। मैंने गाँधी जी को पत्र लिखे थे, जिनमें मैंने उनकी नीति की निन्दा की थी, किन्तु मैंने उनके व्यक्तित्व पर कभी हमला नहीं किया।"

सरकारी वकील ने इस पर बतलाया कि यदि पत्र की बातों को सिद्ध करना है, तो उसे पेश करना चाहिए। परन्तु अदालत ने कहा कि यदि गवाह पत्र की बातों को स्वीकार करता है, तो उसे पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। डॉ० किचलू ने कहा कि वे पत्र उनके पास मौजूद हैं।

## मार्क्स के सिद्धान्त पर मुख़बिर

१० दिसम्बर, वृहस्पतिवार की अदालत की कार्यवाही में मुख़बिर कैलाशपति से जिरह जारी रही। मुख़बिर ने कहा—"मैंने मार्क्स के सिद्धान्त का गहराई के साथ अध्ययन नहीं किया। मार्क्स की क्रान्ति के अनुयायियों का सिद्धान्त साम्यवाद है। अखिल भारतीय सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस का आदर्श भारत में साम्यवाद स्थापित करने का था। जब मैंने "अखिल भारतीय सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस" नामक परचा लिखा था, उस समय मेरे दिमाग़ में और कोई आदर्श न था। मैं साम्प्रदायिकता का पक्षपाती न था, किन्तु साम्प्रदायिकता के विरुद्ध मैंने कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया था। मेरा विचार श्रमजीवियों और किसानों की एक अस्थायी सेना (मिलिशिया) क़ायम करने का था। मेरा विश्वास है कि कम्यूनिस्ट पार्टी और सोवियट गवर्नमेण्ट मार्क्स के सिद्धान्त पर आधारित हैं, किन्तु मेरी पार्टी का उन सिद्धान्तों पर सरकार स्थापित करने का न तो विचार था और न उस प्रकार का कार्य-क्रम ही था। जिस ढङ्ग से मैं विधान को कार्यान्वित करना चाहता था, वह यह था कि पहले प्रान्तीय कॉन्फ़्रेन्स और उसके बाद केन्द्रीय कॉन्फ़्रेन्स सङ्गठित की जाय और साम्प्रदायिकता तथा धर्म को उसमें स्थान न रहे।"

इसके बाद डॉक्टर किचलू ने मुख़बिर से 'राजेन्द्रनाथ लहरी की जीवनी' के सम्बन्ध में जिरह की। मुख़बिर ने कहा—"मुझे राजेन्द्रनाथ लहरी के सम्बन्ध में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मेरी मौजूदगी में उनकी जीवनी का वर्णन नहीं लिखा गया था। सम्भवतः भगवतीचरण ने उसे लिखा था।" इसके बाद मुख़बिर ने जीवनी की हस्त-लिपियाँ देखीं और कहा कि जहाँ तक मुझे याद आता है, यह भगवतीचरण द्वारा लिखी गई थीं।

## गोपालकृष्ण पौराणी का परिचय

आगे चल कर मुख़बिर ने ग्वालियर के गोपालकृष्ण पौराणी नामक व्यक्ति का परिचय दिया। उसने कहा—"गोपालकृष्ण महात्मा गाँधी का अनुयायी होने के कारण हिंसा में विश्वास नहीं करता था। वह पार्टी के लिए अजनबी था और किसी अजनबी को पार्टी के रहस्यों के सम्बन्ध में लिखना पार्टी के नियम के विरुद्ध था। परिस्थिति के अनुसार किसी अजनबी को पार्टी के अस्तित्व के सम्बन्ध में लिखना भी पार्टी के नियम के विरुद्ध था।

"मैंने पौराणी को कई पत्र लिखे थे और उनमें मैंने पार्टी के कार्यों के सम्बन्ध में भी लिखा होगा। मैंने यह नहीं समझा कि ऐसा करने के लिए मुझे पार्टी के किसी उच्च अफ़सर से आज्ञा लेने की आवश्यकता थी। मैं पौराणी के पत्र को पढ़ने के बाद फाड़ डाला करता था। पौराणी ने कभी अपने पत्रों में मेरी पार्टी के कार्यों या सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई ज़िक्र नहीं किया। पौराणी कभी-कभी अपने पत्रों में राजनैतिक बातों के सम्बन्ध में भी लिखा करता था। अदालत में जो पत्र दिखलाया गया है, वह मैंने पौराणी को लिखा था। मैं पत्रों को इसलिए फाड़ डालता था कि उनके रखने की कोई आवश्यकता न थी। पौराणी मेरा शुभचिन्तक था। मैंने पौराणी की राय की कोई वक़त नहीं की और मैंने कभी कोई पत्र-वाहक उसके पास नहीं भेजा, जिसका कि ज़िक्र किया गया है। मैंने अपने पत्रों को ले जाने के लिए पत्र-वाहक नहीं रक्खा था, किन्तु चूँकि स्थानीय कॉलेज का विद्यार्थी ग्वालियर जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि उस विद्यार्थी के साथ पत्र भेज दूँ। पर मैंने इस पत्र को नहीं भेजा। मैं डाक-द्वारा पत्र भेजना पसन्द नहीं करता था, हालाँकि मैंने पहले बहुत से पत्र डाक-द्वारा भेजे थे। जब कभी मुझे मौक़ा मिला, मैंने पत्र-वाहक द्वारा भी पत्र भेजा था। मैंने पत्र भेजने का काम हरीकृष्ण द्वारा लिया था। यह पत्र मैं डाक द्वारा इसलिए नहीं भेजना चाहता था कि यह

इधर-उधर न हो जाए, क्योंकि इसमें राजनैतिक और क्रान्तिकारी विचार प्रकट किए गए थे।"

## मुख़बिर ने अपने विचार कब बदले ?

शुक्रवार, ११ दिसम्बर की अदालत की बैठक में भी मुख़बिर से जिरह होती रही। डॉ० किचलू के एक प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा—"मैंने स्वयं लाहौर-कॉङ्ग्रेस के लिए कोई परचा नहीं लिखा था, किन्तु लाहौर कॉङ्ग्रेस के परचे में शामिल करने के लिए मैंने कुछ नोट लिखे थे।

"मैं नहीं कह सकता कि आतङ्ककारी कामों के सम्बन्ध में मैंने अपने विचार कब बदले, किन्तु अन्दाज़न यह मेरी गिरफ़्तारी के दो या तीन महीने पहिले की बात है। मैंने अपने विचार उस समय बदले, जब मैं अजमेर में काम करने जा रहा था। "कुछ चित्र प्राप्त करने वाले" से मेरा मतलब नौकरशाही के नौकरों से है। यदि सरकारी अफ़सर क्रान्तिकारियों को छेड़ते नहीं, तो क्रान्तिकारी हिंसा और आतङ्ककारी तरीक़े न अख़्तियार करते, बल्कि वे जनता को अपने पक्ष में तैयार करते।

## सरकार से कोई समझौता नहीं

"मैं सरकार से समझौता करने को तैयार न था। अब तक हम लोगों ने जनता को अछूता छोड़ा था। जनता और सरकार तथ्यों को समझने के लिए तैयार न थी। मैं किसी भी हालत में सरकार से समझौता करने को तैयार न था। मेरा यह विश्वास था कि सरकार हम लोगों को कभी स्वीकार न करेगी और अगर वह स्वीकार करती, तो उसका अस्तित्व ही न रहता। परचे में "मित्रता स्थापन" शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया था कि मेरी पार्टी आतङ्ककारी कार्य त्याग देती, किन्तु अपने ध्येय की ओर बढ़ती जाती। मेरी पार्टी ने ज़्यादा संख्या में हथियार एकत्र करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, यद्यपि कुछ हद तक थोड़ी संख्या में हथियार ख़रीद कर या अन्य उपायों से एकत्र किए गए थे। मैंने हथियार किसी से नहीं ख़रीदा था। पार्टी के अन्य मेम्बरों ने लोगों से हथियार लिए थे, किन्तु मैं उनके नाम नहीं बतला सकता। हथियार अधिकतर कानपुर में एकत्र किए गए थे। मेरी उपस्थिति में कोई हथियार नहीं एकत्र किए गए थे। हथियारों के छोटे-मोटे संग्रह की मुझे कोई ज़ाती जानकारी नहीं है।

## मुसलमान और क्रान्तिकारी आन्दोलन

"मुसलमान बहुत कम क्रान्तिकारी आन्दोलन में सम्मिलित हुए। मैं नहीं कह सकता कि मेरी पार्टी में कितने मुसलमान शामिल हुए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई भी मुसलमान मेरी पार्टी का मेम्बर नहीं बना। यह बतलाना मुश्किल है कि मेरी पार्टी में मोटे तौर पर कितने मेम्बर थे। परन्तु मेरा ख़याल है कि १०० से ज़्यादा मेम्बर थे, पर यह नहीं कह सकता कि वे १५० से अधिक या कम थे। यह ग़लत है कि केवल १५० मेम्बरों से मैं ९ करोड़ आदमियों का मुक़ाबला करना चाहता था।

## परचों का वितरण

"परचे ८० या १०० केन्द्रों को बाँटने के लिए भेजे गए थे, जोकि पार्टी के केन्द्रों की मोटी संख्या थी। मेरी पार्टी के मेम्बर इन केन्द्रों में रहते थे, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि एक केन्द्र में कितने मेम्बर रहते थे। आम तौर से एक केन्द्र में २० से ३० मेम्बर तक रहते थे। बहुत से केन्द्रों में सिर्फ़ एक मेम्बर पार्टी के लिए काम करता था। मैं नहीं कह सकता कि एक आदमी रहने वाले केन्द्र कितने थे। दिल्ली औसत दर्जे का केन्द्र था और यहाँ ८ या १० मेम्बर थे। मैं पार्टी से सहानुभूति रखने वालों का अन्दाज़ नहीं बतला सकता। मैं मेम्बर या सहानुभूति रखने वालों का रजिस्टर नहीं रखता था और न केन्द्रस्थ कमिटी की मीटिङ्गों में मेम्बरों या सहानुभूति रखने वालों की संख्या की कोई रिपोर्ट होती थी। ऐसे लोगों की संख्या जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। मुझे पार्टी से कभी किसी को निकालने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। केवल केन्द्रस्थ कमिटी किसी मेम्बर को बदचलनी के कारण पार्टी से निकाल सकती थी।

## मुसलमान और राष्ट्रीय आन्दोलन

"मुसलमानों में राष्ट्रीय की अपेक्षा ग़ैर-राष्ट्रीय अधिक हैं। कॉङ्ग्रेस आन्दोलन मेरे विचार में राष्ट्रीय आन्दोलन है। सन् १९१९ में राउण्डटेबिल के विरुद्ध आन्दोलन में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जेल गए। असहयोग आन्दोलन १९२१-२२ में शुरू हुआ और उसमें भी अच्छी संख्या में मुसलमान जेल गए। मुस्लिम संस्थाओं यानी ख़िलाफ़त और जमायत-उल-उलेमा, ने भी असहयोग आन्दोलन में काम किया था।

"सत्याग्रह आन्दोलन में मुसलमानों ने भाग लिया और उनमें कुछ जेलों को गए। सभी हिन्दू राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा नहीं लेते। जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, वह यह है कि सभी मुसलमान, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लिया—साम्प्रदायिकता के उद्देश्य से ही आन्दोलन में शामिल हुए। कॉङ्ग्रेस का कार्यक्रम राष्ट्रीय है, साम्प्रदायिक नहीं और सभी शहरों में मुसलमान अब तक कॉङ्ग्रेस कमिटियों के मेम्बर हैं। वह हालत अभी नहीं आई है, जबकि वे विरोधियों ( सरकारी पक्ष ) में शामिल हों। वह हालत अभी नहीं पहुँची है, क्योंकि दोनों जातियों के हित एक ही हैं और अभी उनमें सङ्घर्ष का समय नहीं है। ग्रामों की अपेक्षा शहरों में साम्प्रदायिक प्रश्न अधिक है।

## क्रान्तिकारी लोग औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार कर लेंगे

"यदि सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य दे, तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा और अपना कार्यक्रम जारी रक्खूँगा। अगर सरकार ऐसा स्वराज्य दे, तो मेरी पार्टी आतङ्ककारी कार्य त्याग सकती है और वह बिना हिंसा की शरण गए हुए विधायक कार्य-क्रम को अपना लेगी। औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर कभी केन्द्रस्थ कमिटी में विचार नहीं हुआ। मैंने इस प्रश्न पर अपनी पार्टी के मेम्बरों के साथ विचार किया होगा। मेरे कुछ साथियों का विचार था कि अगर औपनिवेशिक स्वराज्य मिल गया, तो हम लोगों को आतङ्ककारी कार्यों को स्थगित कर देना होगा। मैं यह अनुभव करता था कि औपनिवेशिक स्वराज्य का विचार पूर्ण-स्वाधीनता के प्रतिकूल है और वह चाहे जिस रूप में दिया जाय, उसमें साम्राज्यवाद का हस्तक्षेप ज़रूर रहेगा।

"मैं अब भी यही विचार रखता हूँ कि हम लोगों को औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार कर लेना चाहिए और ऊपर कहे गए अनुसार अपना कार्य आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मैंने अपनी पार्टी के नेताओं को अपने मत में लाने का कभी प्रयत्न नहीं किया, किन्तु कभी-कभी इस प्रश्न पर उन लोगों से बातचीत होती थी। बी० बी० तिवारी, भगवतीचरण और आज़ाद के भी ये ही विचार थे।

## सरकारी भेदिया और एजेण्ट

"मुझे चौरीचौरा-काण्ड का व्यक्तिगत अनुभव है और मैं यह कह सकता हूँ कि स्त्रियों का सतीत्व भङ्ग किया गया था। मैंने इसे केवल सुना है, आँखों से देखा नहीं है।

"मुझे यह मालूम है कि सरकार के एजेण्ट प्रायः राष्ट्रीय आन्दोलनों में सम्मिलित होते हैं और अपने को हर सम्भव तरीक़े से छिपाते हैं। वे कभी-कभी ऐसे आन्दोलनों में बड़े जोश के साथ हिस्सा लेते हैं और उनका उद्देश्य आन्दोलन को भङ्ग कर देना होता है।

"मैं जानता था कि बी० बी० तिवारी भेदिया है। वह कानपुर में काम करता था। किन्तु अपनी मन्शा से कोई काम नहीं करता था। 'पेड पोनीज़' से मेरा मतलब सरकारी एजेण्टों से है, जो सरकारी पिट्ठू कहलाते हैं। ऐसे लोगों की नियत ख़राब होती है और वे दूसरों को उभाड़ते हैं।"

## कॉङ्ग्रेस बनाम हिंसा

शनिवार, १२ दिसम्बर की अदालत की बैठक में भी कैलाशपति से जिरह होती रही। कैलाशपति ने कहा—"मेरी पार्टी वालों के द्वारा तृतीय इण्टर-नेशनल के कार्यक्रम पर कभी विचार नहीं हुआ। मेरी पार्टी का कार्यक्रम संसार के श्रमजीवियों को सङ्गठित करने का न था। समय की आवश्यकतानुसार मेरी पार्टी विलायती चीज़ों के बॉयकॉट में विश्वास करती थी। मेरी पार्टी के सभी प्रमुख मेम्बरों की यह राय थी कि यदि आवश्यकता पड़े, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु इसे कभी कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया।

## कॉङ्ग्रेस और जनता

"केवल कॉङ्ग्रेस ही ऐसी प्रमुख संस्था है, जो जनता की उन्नति के लिए अनवरत रूप से प्रयत्न करती है। सेवा-दल की भाँति अन्य संस्थाएँ भी हैं, जो इसी तरह का काम करती हैं।" मुख़बिर ने पहिले तो कहा कि कॉङ्ग्रेस और सेवा-दल में कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु बाद में उसने कहा कि लाहौर-कॉङ्ग्रेस के बाद दोनों संस्थाओं के बीच कुछ सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

डॉ० किचलू ने मुख़बिर से यह प्रश्न किया कि क्या कॉङ्ग्रेस सेवा-दल को आर्थिक सहायता और हिदायतें देती है? स प्रश्न पर सरकारी वकील ने एतराज़ किया और अदालत ने प्रश्न नहीं करने दिया।

## खादी पर मुख़बिर के विचार

डॉ० किचलू के प्रश्न करने पर कैलाशपति ने कहा—"सम्भव है, खादी पर मैंने अपने में क्रान्तिकारी विचारों के उदय होने के पहले कुछ लिखा हो। मैंने खादी पर अपनी ज़िम्मेदारी पर लिखा था। ये ही विचार मेरी पार्टी के भी अप्रत्यक्ष रूप से रहे होंगे। मेरा विचार है कि खादी-आन्दोलन क्रान्तिकारी कार्यक्रम को दबाने में बहुत सहायता करेगा। इस काम ( खादी आन्दोलन का जनता में प्रचार करने ) के लिए कॉङ्ग्रेस की कोई संस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कॉङ्ग्रेस को श्रमजीवियों और किसानों का सङ्गठन करना चाहिए और मज़दूर-आन्दोलन को सहायता देनी चाहिए।

## "पं० जवाहरलाल और श्री० सुभास बोस हिंसा में विश्वास रखते हैं"

"मेरा ख़याल है, कॉङ्ग्रेस में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, किन्तु वे खुल्लमखुल्ला इसे कहते नहीं। मि० सुभासचन्द्र बोस और पं० जवाहरलाल नेहरू उन लोगों में से हैं, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, किन्तु वे खुल्लमखुल्ला इसकी घोषणा नहीं करते।

"मेरी पार्टी को श्रमजीवियों की हड़तालों में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। ऐसी बातों पर पार्टी में

( शेष मैटर ३५वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए )

# तुर्की पत्रकार का भारत के मुस्लिम लीडरों को फटकार !

## 'ये नेता नहीं, मक्कार हैं !'

लखनऊ के 'हक़ीक़त' नाम के इस्लामी समाचार-पत्र ने तुर्किस्तान के एक पत्रकार का बड़ा ही मज़ेदार पत्र प्रकाशित किया है। अपने पत्र में उक्त पत्रकार ने यहाँ के जी-हुज़ूरी मुसलमान लीडरों को करारी फटकार बताई है। पत्र का मर्मानुवाद नीचे दिया जाता है। इस पत्र से पाठकों को मालूम होगा कि अरब और तुर्किस्तान के मुसलमान इस देश के ख़ुशामद-पसन्द मुसलमान लीडरों को किस दृष्टि से देखते हैं। इस पत्र के कारण सरकार-परस्त मुस्लिम अख़बारों में ख़ासी खलबली फैल गई है। कहीं इस पत्र को पढ़ कर सर्व-साधारण मुसलमान अपने जी-हुज़ूरी नेताओं का असली रूप पहचान न जाएँ, इसलिए पत्र-लेखक बेचारे को बुरी तरह कोसा जा रहा है और इस पत्र को हिन्दुओं का प्रोपेगण्डा कहा जा रहा है। पत्र इस प्रकार है :—

"मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत दिनों के बाद आपको यह पत्र लिख रहा हूँ और इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके दिल को ज़ख़्मी करूँ। क्योंकि ख़ुद मेरा दिल ज़ख़्मी हो रहा है। आपकी अप्रसन्नता की मुझे परवा नहीं, जी चाहता है कि दिल खोल कर हिन्दुस्तान की भर्त्सना करूँ; विशेषतः भारतीय मुसलमानों की लज्जाशीलता और इस्लाम-प्रेम का भण्डाफोड़ कर दूँ। परन्तु यह सोच कर रुक जाता हूँ कि निन्दा और फटकार व्यर्थ है। भारतीयों की—विशेष रूप से भारतीय मुसलमानों द्वारा मुस्लिम जगत की—जितनी तबाही होनी थी, हो चुकी है। अब निन्दा करने से उसका प्रतिकार सम्भव नहीं, इसलिए बेफ़ायदा क्यों अपनी ज़बान ख़राब करूँ।

### भारतीय मुसलमान हमारी चिन्ता न करें

परन्तु कम से कम एक बात मुझे साफ़-साफ़ कह देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसे आपके द्वारा समस्त भारत को सुना दूँ। वह बात यह है कि हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानी मुसलमानों को तुर्कों या अरबों की चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस गई-गुज़री दशा पर भी ईश्वर की दया से हममें इतनी शक्ति मौजूद है, जिससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और इतनी अक़्ल बाक़ी है, कि अपना नफ़ा-नुक़सान अच्छी तरह समझ सकते हैं।

भारतीय मुसलमान बराबर हमारे नाम पर हल्ला मचाते हैं और संसार को जताना चाहते हैं कि वे मुस्लिम जगत के बड़े भारी शुभचिन्तक हैं। सम्भव है, इनकी चीख़-पुकार सुन कर संसार धोके में आ जाए, परन्तु हम मुस्लिम देशों के मुसलमान धोका नहीं खा सकते। हम भली-भाँति जानते हैं कि यह सारी चीख़-पुकार केवल दिखावे के लिए है और इसका वास्तविक उद्देश्य केवल यही है कि हमें और अवशिष्ट संसार को दिखाया जाय कि भारतीय मुसलमान बड़े दीनदार, इस्लाम और मुसलमानों के बड़े भारी मददगार और बड़े हितैषी हैं।

### भारतीय मुसलमानों का दुर्भाग्य

मैं और मेरी तरह अन्य कर तुर्क मानते हैं कि भारत के साधारण मुसलमान अपनी दीनदारी और इस्लामी लज्जाशीलता में सच्चे हैं। बल्कि हमसे भी अधिक इस्लाम का दर्द अपने दिलों में रखते हैं। परन्तु भारत के मुसलमानों का अभाग्य भी ठीक वैसा ही है, जो तुर्कों पर सैकड़ों वर्षों से रह चुका है और अब किसी प्रकार ग़ाज़ी मुस्तफ़ा कमालपाशा की कृपा से दूर हुआ है। आपको ख़ूब मालूम है और आप अपनी आँखों से देख चुके हैं कि तुर्क सिपाही कितने वीर होते हैं। यहाँ तक कि एक बार स्वयं नेपोलियन ने कहा था कि अगर मेरे अधिकार में तुर्क फ़ौज आ जाय तो मैं सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। परन्तु इस दिलेरी और बहादुरी के रहते हुए भी गत तीन सौ वर्षों से तुर्की सेना बराबर असफल होती रही। क्यों? केवल इसलिए कि हमारे पहले के सेनापति और सरदार बहुधा वतनफ़रोश, देशद्रोही होते थे।

### भारतीय मुसलमानों के नेता

मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भारतीय मुसलमान भाइयों के अधिकांश पथ-प्रदर्शक भी स्वार्थहीन नहीं हैं। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इनका कर्तव्य क्या है और अपनी जाति का पथ-प्रदर्शन करना चाहिए। परन्तु चूँकि कर्तव्य का पथ कण्टकाकीर्ण होता है। कष्ट, दरिद्रता—यहाँ तक कि मौत का भी सामना करना पड़ता है, इसीलिए लोग इस राह में क़दम रखने का साहस नहीं कर सकते। मगर चूँकि अपनी सरदारी और लीडरी भी जमाए रखना चाहते हैं, इसलिए साधारण मुसलमानों का ध्यान वास्तविक कार्यों की ओर से हटा कर सदैव इस्लामी दुनिया की ओर ही आकर्षित किए रहते हैं। कभी मिस्र का रोना रोते, कभी तुर्की के लिए अश्रु-विसर्जन आरम्भ कर देते, कभी फ़िलस्तीन के लिए छाती पीटते और कभी हज्जाज के ग़म में नींद-भूख हराम कर देते हैं। उद्देश्य यह होता है कि मुसलमान इन पर विश्वास करें और उनके पीछे चलते रहें। यह हरकत वे बेफ़ायदा नहीं करते। इससे इनकी असली ग़रज़ यह होती है कि मुसलमानों को अपने हाथ में रख कर विदेशी शासन-तन्त्र पर अपना प्रभाव जमाए रहें, ताकि उससे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

### उपाधिधारी लीडर

हम जब रूटर कम्पनी के तारों में मुसलमान नेताओं के नामों के साथ 'हिज़ हाईनेस' और सर आदि अङ्गरेज़ी पदवियाँ देखते हैं, तो सच मानिए, भारतीय मुसलमानों की बुद्धि पर हमें आश्चर्य होता है कि एक अजनबी हुकूमत के ये प्रिय पात्र—ये उपाधिधारी सज्जन इस्लाम और मुसलमानों के शुभचिन्तक कैसे हो सकते हैं? हमारा यह आश्चर्य कुछ अनुचित नहीं है। साधारण समझ का आदमी भी समझ सकता है कि सरकार उसी आदमी को पदवी देती है, जिसे अपना शुभ-चिन्तक समझती है और यह मानी हुई बात है कि अजनबी सरकार का शुभचिन्तक कभी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता।

### मुसलमानों का चन्दा

मैं चाहता हूँ कि मुसलमान इस बात को अच्छी तरह हृदयङ्गम कर लें कि उनके चन्दे से तुर्कों और अरबों का कोई लाभ नहीं होता और न उनकी चीख़-पुकार का कोई परिणाम होता है। आधे से अधिक चन्दा तो ख़ुद जमा करने वालों की नज़र हो जाता होगा, जैसा कि ख़िलाफ़त-फ़ण्ड का हाल हुआ। चीख़-पुकार से लाभ उठाने वाले भी स्वार्थी और मतलब-बाज़ लीडर होते हैं, जिनके प्रभाव में आकर विदेशी सरकार उनका मुँह मीठा किया करती है।

### हमारे उपकार का उपाय

अगर भारतीय मुसलमान वास्तव में अरबों और तुर्कों का कुछ उपकार करना चाहते हैं तो उसकी बस एकमात्र तदबीर यही है कि वे अपने देश को स्वतन्त्र करें। बस, इस एक मसले के हल होते ही हमारे समस्त कष्ट अपने आप दूर हो जाएँगे। क्योंकि हमारी जो दुरवस्था हो रही है, हुई है या होगी, उसका एकमात्र कारण भारतवर्ष की ग़ुलामी है।

अगर भारतीय मुसलमान समझ जाते कि हमें न उनके रुपए की आवश्यकता है और न उनकी मदद की। अगर ज़रूरत है तो इसी बात की कि वे स्वतन्त्र होकर हमारे तमाम कष्टों को दूर कर दें। परन्तु मैं जानता हूँ कि यह मोटी और साफ़ बात भी साधारण मुसलमान को समझने न दी जाएगी और नाना प्रकार की धोकेबाज़ियों से उन्हें इससे दूर रक्खा जाएगा।

### अगर मैं भारतीय मुसलमान होता—

मैं आपसे सच कहता हूँ कि अगर मैं भारतीय मुसलमान होता, तो प्रत्येक लीडर का हाथ पकड़ कर पूछता कि साफ़-साफ़ बताओ, तुम हिन्दुस्तान की आज़ादी चाहते हो या नहीं? अगर वह कहता, 'चाहता हूँ', तो मैं कहता, बस आइन्दे आज़ादी के सिवा और कोई बात तुम्हारे मुँह से न निकले, अन्यथा हम कान पकड़ कर तुम्हें अपने दल से निकाल देंगे। और, अगर वह कहता—'मैं तो मुसलमान हूँ, इस्लाम की आज़ादी मेरी नज़र में सब से बढ़ कर है। मुझे मिस्र, शाम, ईराक़, तुर्की और ईरान प्रिय हैं', तो मैं समझ लेता कि यह अव्वल दर्जे का जालसाज़ और मक्कार है। मैं उससे कहता—'ऐ मक्कार, अगर भारत स्वतन्त्र नहीं, तो फ़िलस्तीन और ईराक़ कैसे स्वतन्त्र हो सकते हैं? अगर तू सच्चा मुसलमान होता तो बैतुल मुक़द्दस के काफ़िरों (विधर्मियों) के हाथों में चले जाने पर मर गया होता। परन्तु तू तो बदस्तूर हट्टा-कट्टा सही-सलामत है, इसलिए न तुझे इस्लाम की मुहब्बत है, न हिन्दुस्तान की। बल्कि तू हिन्दुस्तान और इस्लाम का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है।

मैं सच कहता हूँ कि अगर मैं हिन्दुस्तानी मुसलमान होता तो चाहे मेरी जान जाती या रहती, मैं ऐसे दग़ाबाज़ों को एक क्षण के लिए भी लीडरी की गद्दी पर न रहने देता।

### तुम दुनिया भर को आज़ाद कर सकते हो

मुझे विश्वास है कि अगर भारत के मुसलमानों को सच्चे पथ-प्रदर्शक मिल जाएँ तो वे अपनी धार्मिक शक्ति और इस्लामी महत्व की शक्ति से केवल भारत ही नहीं, वरन् सारे संसार को ग़ुलामी से मुक्त करा सकते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हिन्दुस्तान के साधारण मुसलमान कैसे नेक और ईमानदार होते हैं और कैसे बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। परन्तु दुःख—महादुःख है कि इनका कोई सच्चा पथ-प्रदर्शक नहीं है। अगर अमानुल्लाह अदूरदर्शी और अगुणग्राही अफ़ग़ानिस्तान में न पैदा होकर, नेकदिल भारत में पैदा होता तो संसार देख लेता कि हिन्दुस्तानी मुसलमान कैसे होते हैं और क्या कर सकते हैं।

अन्त में हिन्दुस्तान के मुसलमानों से मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि वे हम तुर्कों और अरबों की चिन्ता छोड़ कर स्वयं स्वतन्त्र हो जाएँ, फिर ईश्वर की कृपा से हमारी फ़िक्र करने की कोई आवश्यकता ही न रहेगी।

❀ ❀ ❀

# सत्याग्रही के पत्र

[ श्री० 'व्यथित-हृदय' ]

सत्याग्रह-शिविर, देवपुर
२८-३-३०

माँ,

वेदना का राज, आकुलता का प्रासाद, करुणा की निधियाँ—सभी कुछ हमें तुम्हारे पत्र में मिलीं। परन्तु मेरी आत्मा, मेरी भावनाएँ इतनी प्रबल और इतनी करुणा-शून्य हैं कि उनमें तनिक भी दर्द नहीं हुआ, तनिक भी कचोटें नहीं उठीं। क्या करूँ? चाहे तुम इसमें मेरा ही अपराध समझो, परन्तु अपराध मेरा नहीं, अपराध परिस्थिति और समय का है। उसने मुझे इतना कठोर, इतना निर्दय बना दिया है कि हृदय में करुणा और सहानुभूति का सञ्चार नहीं। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि मैं निर्दय और कठोर हूँ। मेरे हृदय में करुणा और सहानुभूति की भावनाएँ नहीं। फिर? फिर क्या? इस समय मैं जिस पथ पर चल रहा हूँ, वह स्वराष्ट्र-सेवा का मार्ग है। वह स्वदेश को ग़ुलामी के पञ्जे से छुड़ाने की दिशा है। मैं उसे छोड़ कर सुखी नहीं रह सकता। मेरी समस्त करुणा-कामनाएँ और सहानुभूति की भावनाएँ उसी दिशा में साँस लेने की मञ्जिलें तैयार कर रही हैं। उन्हें फ़ुरसत कहाँ, कि वे अपने अभीष्ट कार्य को छोड़ कर संसार के किसी प्राणी के लिए अपनी गति को रोक सकें—इसी से यह परिवर्तन है, इसी से यह वाह्य कठोरता और निर्दयता है!!

तुम दुखी न होना। मेरे लिखने का कदापि यह तात्पर्य नहीं कि तुम्हारा हृदय वेदना से आहत होकर तिलमिला उठे तुम्हारी आँखें वियोग से व्याकुल होकर आँसुओं की वर्षा करने लगें। मैं तो केवल अपने हृदय का इज़हार कर रहा हूँ, मैं तो केवल अपने अन्तर को तुम्हारे सामने खोल कर रख रहा हूँ। तुम उसे चाहे जो समझो, चाहे जिन आँखों से देखो, यह तुम्हारा काम है। पर तुम्हारी आँखों का आँसू, तुम्हारे हृदय की वेदना, मेरे लिए वरदान नहीं अभिशाप, पुण्य नहीं पाप हैं। मैं काँटों के पथ पर जा रहा हूँ, मैं तलवार की धार पर चलने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम रोओ न, आँसू न बहाओ! मङ्गल-कामना करो! तुम मेरी माँ हो। माता की मङ्गल-कामना, बेटे के लिए आशीर्वाद—सुख-शान्ति का साधन, सफलता का भण्डार है।

मैं तुमसे विलग न होता—तुम्हारी बुढ़ौती को इस प्रकार असहाय अवस्था में न छोड़ता, परन्तु क्या करूँ? मेरी आँखों में इस समय देश-सेवा का नशा है, मेरी नसों में राष्ट्र पर बलिदान होने का ख़ून है, मैं इसी से पागल हूँ। सारा संसार मुझे अन्धकार की भाँति शून्य प्रतीत हो रहा है। मैं इसी अन्धकार को चीरने के लिए पुण्य का सञ्चय कर रहा हूँ, तपस्या का बल इकट्ठा कर रहा हूँ। जब तक मेरी साधना पूरी न होगी, जब तक मेरी तपस्या के सफल वरदान नहीं फलेंगे, तब तक मैं इसी प्रकार पागल, इसी प्रकार बेचैन, इसी प्रकार आकुल रहूँगा। चाहे संसार इसे जो कहे, परन्तु मैं तो अपना धर्म समझता हूँ। केवल मेरा ही नहीं, भारत के प्रत्येक नौजवान का भी, इस समय यही धर्म है कि वह घर-बार, सुख-साज, आमोद-प्रमोद छोड़ कर अपनी देश-माता और अपने राष्ट्र के उद्धार के लिए अहिंसा-संग्राम में कूद पड़े। तभी माता का दुख दूर होगा, तभी ग़ुलामी के अभिशाप से पिण्ड छूटेगा।

दायित्व! दायित्व क्या वस्तु है? क्या उसी का नाम दायित्व है, जो मनुष्य को पाप की दिशा की ओर ले जाय? यदि हाँ, तब तो मैं संसार के प्रत्येक प्राणी से यही कहूँगा कि वह जहाँ तक हो सके, दायित्व की ज़ञ्जीरों को तोड़ कर उससे मुक्त—स्वतन्त्र होने का प्रयत्न करे। परन्तु नहीं, दायित्व को तो मैं पुण्य समझता हूँ, वरदान मानता हूँ। प्रत्येक मनुष्य की मानवता से दायित्व का घना सम्बन्ध है। बिना उसके तो वह शून्य, नीरस और कठोर है। दायित्व ही मानव-जीवन को मृदुल और सुकुमार बनाता है, दायित्व ही उसे उन्नति और आदर्श की दिशा में ले जाकर, उन अलौकिक दृश्यों का दर्शन कराता है, जिनके लिए मनुष्य नहीं, देवता तरसते हैं—आकुल रहते हैं! मुझे विश्वास है, मैं दायित्व के पथ पर जा रहा हूँ, यदि कोई इसे न समझे, तो मैं क्या करूँ?

सुनो, दायित्व की बात। उस पत्र में मैंने इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा। कारण, मैं आवेग में था! मेरा मस्तिष्क, मेरे मस्तिष्क की भावनाएँ, उस समय उन्माद की गोद में थीं। मैं उससे दूर नहीं, उसी में था—जन्म से लेकर, उस दिन पर्यन्त उसी के साथ क्रीड़ा करता रहा, जब तक घर के बाहर क़दम नहीं रक्खा था, जब तक भगवान ने मेरे मन की प्रवृत्तियों को एक दूसरे दायित्व के दिशा की ओर नहीं मोड़ा था। बताओ, तुम्हें सच्चे हृदय से बताओ, मैं तुम्हारी सेवाओं के लिए मृत्यु का भी आलिङ्गन करने को तैयार नहीं रहता था? पैरों की धूलि को मस्तक पर चढ़ाने की उत्सुकता हमारे हृदय में हलचल नहीं उत्पन्न करती थी? परन्तु क्या करूँ? भगवान ने सौंपा हुआ दायित्व मुझसे छीन लिया, मुझे उसकी सेवाओं से स्वयं ही वञ्चित कर दिया। फिर दोष किसका, मेरा या भगवान का? देखो ज़रा भगवान की इच्छा, और सुनो मेरे परिवर्तन की कहानी:—

उस दिन गोधूलि के ईषत् तममय वेला में, जब तुमने मुझे डाँटा और कहा—"अभागा, घर से निकल भी नहीं जाता!" उस समय मेरी आत्मा को असहनीय आघात पहुँचा, प्राणों में एक ऐसी विकलता नाचने लगी कि मैं स्थिर न रह सका और घर से बाहर निकल पड़ा। घर से बाहर निकल कर मैं सीधा नदी के तट की ओर चला, वहाँ पहुँच कर मैं क्या करता, मुझे स्वयं मालूम नहीं।

हृदय में न भय था और न किसी प्रकार की वेदना। मैं स्वतन्त्र था और उसी स्वतन्त्रता के उन्माद में, उस विजन पथ पर निर्भयतापूर्वक चला जा रहा था। उस दिन मुझमें ग़ज़ब का साहस, ग़ज़ब की हिम्मत थी! जीवन और जीवन को सम्पूर्ण कामनाएँ उस समय एक दूसरे ही रङ्ग में रँगी थीं। ऐसा रङ्ग और ऐसे रङ्ग का उन्माद कदाचित् मेरी आँखों में कभी नहीं चढ़ा था। ओह! क्या कहूँ! शायद भगवान की प्रेरणा ही उस समय मेरे मानस में डोल रही थी। शायद मेरा भविष्य ही भावी सुखों के अमूल्य वैभवों को आँखों के आगे बिखेर कर, मुझे बड़े ज़ोरों से उस ओर खींचे जा रहा था। कौन जाने, क्या बात थी? परन्तु मैं तो नदी की ओर लक्ष्यहीन की भाँति आगे बढ़ा जा रहा था।

पहले अन्धकार था—तम की रेखाओं का एक सघन जाल पृथ्वी माता के ऊपर पड़ा था, परन्तु थोड़ी देर पश्चात्, जब मैं अपना आधा मार्ग समाप्त कर गया था, गगन की गोद में, चन्द्रदेव मुस्कराते हुए दिखाई दिए। उनकी सुधा-सिञ्चित किरणें तम-राशि को एक ओर बटोर कर पृथ्वी माता के विक्षुब्ध-नेत्रों को शीतल करने लगीं। कैसा दृश्य था! कैसा उल्लास!! उसका सुख, उसका गर्वीला उन्माद हमारे जैसा वह पथिक ही जान सकता है, जो केवल उसी को अपनी आत्मा में लपेट कर घर से बाहर निकला हो; जो केवल स्वतन्त्रता की मस्ती में, उस चाँदनीमय निशा के जन-शून्य पथ पर, अपनी पागल और दुखी आत्मा की मौनता के सहारे सङ्गीत सुनता हो!

हाँ, तो चन्द्रदेव को मैंने देखा। मेरी आँखें शीतल हो गईं। अन्तरात्मा ने ललचाई भावनाओं में फँस कर कहा—मेरी भी कामनाएँ इसी प्रकार शीतल हों, मैं भी अन्धकार का विनाश कर संसार में प्रकाश उत्पन्न करूँ। मैं भी दूसरों के मा' पर अपनी विकसित चेतना की किरणों को इसी प्रकार बिछा दूँ। मैं भी अपनी सञ्चित ज्योति को संसार में निर्ममता से लुटा कर, उन्मत्तों की भाँति मुसकराऊँ। मैं भी अपने एक नहीं, सहस्रों करों के सहारे संसार की ओर सङ्केत करूँ कि पुण्य की ओर बढ़ो।

चन्द्रदेव हमारे गुरु, स्वतन्त्रता के प्रबोधक हैं। उन्हीं की किरणों ने हमारे हृदय में चेतना का प्रकाश उत्पन्न किया है, उन्हीं के शुभ्र प्रकाश ने हमारे जीवन में नवीन भावों की सृष्टि कर, आँखों के सामने आज़ादी की दुनिया को प्रशस्त रूप से दिखलाया। इसीसे मैं आजकल उनकी साधना में मस्त रहता हूँ, इसीसे हृदय-सिंहासन पर उन्हें बैठा कर, सदैव उनकी मानस-पूजा किया करता हूँ। तुम भी आराधना किया करो माँ,

---

## देहली षड्यन्त्र-केस की कार्यवाही

( ३२वें पृष्ठ का शेषांश )

कभी विचार नहीं हुआ। मेरी पार्टी में सत्याग्रह आन्दोलन पर कभी विचार नहीं हुआ, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी पार्टी वाले इसे पसन्द करते थे या नहीं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि विधायक सरकार के विरुद्ध कॉङ्ग्रेस द्वारा किए जाने वाले सभी काम अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित हैं। मेरा यह पक्का विश्वास था कि आख़ीर में हथियारों की शरण लेना अनिवार्य है। अहिंसा का सिद्धान्त अच्छा है, जब तक कि वह शान्तिपूर्ण तरीक़ों में सीमित रहे, किन्तु यदि हथियार उठाना अनिवार्य हो जाय, तो यह पाप नहीं है।

"मैं स्वराज्य के लिए १९२१-२२ के बारदोली आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ जानकारी रखता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि महात्मा गाँधी ने चौरीचौरा-काण्ड के कारण असहयोग आन्दोलन को जो एकदम रोक दिया था और वहाँ किए गए हिंसात्मक कार्यों की निन्दा की थी, उसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी पार्टी के लोगों के साथ इन बातों पर विचार किया था। मुझे यह स्मरण नहीं होता कि इस सम्बन्ध में मुझमें और बी० बी० तिवारी में कोई बहस हुई थी। मैंने कॉङ्ग्रेस द्वारा की गई प्रत्येक बात की आलोचना नहीं की।"

❀ ❀

वे तुम्हारी आँखों को शीतल करेंगे, तुम्हारे हृदय में शान्ति का बीज बोएँगे।

भगवान की प्रेरणा! शायद वह ऐसा ही समय था, ऐसी ही घड़ियाँ थीं। इसीसे तो उस दिन की चन्द्र-किरणें, हमारी आँखों में परिवर्तन की सलाई घुमा गईं, हृदय में स्वाधीन विचारों की पुष्टि कर, उसकी उन्मादक लहरियों को कोने-कोने में दौड़ा गईं। नहीं तो एक नहीं, लाखों बार चन्द्र-किरणें आँखों के सामने आ चुकी थीं, अपने प्रकाश की उज्ज्वल धाराओं को हँस-हँस कर दौड़ा गई थीं। परन्तु उस दिन के ऐसा भाव, ऐसा विचार कभी नहीं उत्पन्न हुआ था। मुझे स्वयं आश्चर्य है, इस परिवर्तन की विचित्र परिस्थिति में कैसे आ गया? इन स्वर्गीय विचारों की हमारे जैसे निर्बल हृदय वाले मनुष्य के मानस में कैसे सृष्टि हो गई? सचमुच उस दिन की चन्द्र-किरणें, स्वर्गीय, दुर्लभ और मोक्षदायिनी थीं!

उस चाँदनी निशा में नदी के तट पर पहुँच कर मैंने देखा, एक वीतराग संन्यासी आसन मार कर पानी के समीप बैठे हुए। चाँदनी के शुभ्र प्रकाश में उसके शरीर से त्याग की ज्योति निकल रही थी। उनके वस्त्रों से मालूम हो रहा था, त्याग की दुनिया में ग़रीबों के साथ पागलों की राग अलापते हुए इन्हें बहुत दिन हो गए। इन्होंने, उसी की मस्ती में अपने जीवन को लुटा कर इस अवस्था और इस अवस्था के आन्तरिक वैभवों को प्राप्त किया है।

मैं उन्हें देख कर पहले डरा, परन्तु फिर मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कार कर कहा—"नादान, डरता क्यों है, देखता नहीं उसके स्वरूप को, पहचानता नहीं उसके वेष को!" हृदय में हिम्मत आ गई, मन में शक्ति की भावनाएँ नाच सी उठीं। मैं निडर होकर उनके समीप चला गया। मेरे पैरों की आहट से उनका ध्यान भङ्ग हुआ। उन्होंने नेत्रों को पीछे घुमा कर मेरी ओर देखा और देख कर बड़ी ही सरल वाणी में कहा—

"कौन, इस निर्जन स्थान में, रजनी के यौवन में, कौन? जानते नहीं, यह समय उनकी साधना का समय है, जो संसार की घृणित लिप्साओं और उनके मार्मिक दृश्यों के कारण दिन में पहाड़ की कन्दराओं में छिपे रहते हैं।"

मैं सहम गया, अन्तिम बात ने हृदय में भय सा उत्पन्न कर दिया, परन्तु लाचार था! बिना जवाब दिए शायद कुशल न थी, अतः हिम्मत करके कहा—मैं हूँ एक भूला नवयुवक।

उन्होंने इस बार मेरी ओर बड़े ध्यान से देखा और देख कर कहा—भूला नवयुवक! क्यों भूले हो? क्या संसार में कभी नवयुवक भी भूलते हैं? नवयुवक तो स्वयं अपना उद्धार करते हैं, अपने मार्ग को स्वयं परिष्कृत करते हैं। यदि तुमने इतिहास पढ़ा होगा, तो उसके पन्नों में तुम्हें ऐसे बहुत से नवयुवक मिले होंगे, जिन्होंने कभी अपने को भूला हुआ कहा ही नहीं। देखो, मैज़िनी और मेक्स्विनी के साहस को, देखो, लेनिन और ट्रॉटस्की की शक्ति को। ये नवयुवक ही थे।

मैं कुछ बोल न सका। पर नसों में बिजली सी दौड़ गई। आँखों में जोश के भाव उमड़ने लगे। इच्छा हुई कुछ कहूँ, पर क्या कहूँ? समझ में न आया। उसने मेरे मन की अवस्था जान ली और एक बार मेरे चेहरे पर अपनी आँखें दौड़ा कर फिर कहा—

"तुम नवयुवक हो, पर नवयुवक का धर्म नहीं जानते। तुम्हारी रगों में जवानी का ख़ून है, पर तुम उसकी उपयोगिता को नहीं समझते। तुम्हारे हृदय में पागल की भाँति तरुण कामनाएँ हैं, पर तुम उसके जौहर को नहीं परखते। इसी से तुम अपने को भूला हुआ कहते हो, इसीसे तुम अपने को अन्धकार में पाते हो। परन्तु आज यह तुम्हारे पुण्य की चाँदनी रात है। मैं शक्ति भर तुम्हें दूसरी दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करूँगा। उस दिशा में जाकर तुम्हारी आत्मा सुखी होगी और तुम सच्ची अमरता प्राप्त कर सकोगे। सुनो, मेरे साङ्केतिक शब्दों को सुनो! तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी भ्रान्ति-भावना काई की तरह फट जायगी। तुम नवयुवक हो, तुम्हारी नसों में एक अजीब शक्ति है, तुम्हारे हृदय में एक पागल भक्ति है। परन्तु तुम उसे अपनी अज्ञानता और नादानी के कारण समझते नहीं। इसी से आज जब देश की छाती पर ग़ुलामी सवार है और उसके विरुद्ध भारत के कोने-कोने में संग्राम का बिगुल बज रहा है, तुम पागल और विस्मृत की भाँति नदी के इस निर्जन तट पर मुझसे बातें कर रहे हो। मुझे तो फ़ुरसत नहीं, विराम नहीं। मैं रात-दिन, उसीके लिए अपनी शक्तियों का बलिदान चढ़ाता हूँ। मेरी तपस्या, मेरा व्रत, मेरी साधना, मेरा संयम, सब कुछ उसी के लिए। परन्तु फिर भी मैंने तुम्हें अपना अमूल्य समय दिया। इसलिए कि एक नवयुवक भूला है और थोड़े ही प्रयास से, उसकी भेंट पाप के विरुद्ध पुण्य की वेदी पर चढ़ सकेगी। क्यों, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? क्या तुम राष्ट्र और राष्ट्र-माता के लिए अपनी भेंट अर्पित कर सकते हो!"

वह रुक गया। उसकी गम्भीर आँखें मेरे चेहरे पर गड़ गईं। शायद वह अपनी तीक्ष्ण ज्योतिमयी आँखों से हमारे अन्तर की ओर झाँक रहा था। मैंने भी उसकी ओर देखा और देख कर कहा—कैसे अपना बलिदान चढ़ाऊँ? बलिदान मुझे प्यारा लग रहा है। क्यों, क्या इसका कोई मार्ग है? मैं तो कुछ जानता ही नहीं, फिर उसके निकट तक कैसे पहुँच सकूँगा?

उसने कहा—पहुँच सकोगे। सीधा मार्ग है, सरल उपाय है। केवल यही सीखना होगा, अहिंसा और अहिंसा पर क़ुर्बान होना।

मैंने पूछा—कहाँ और कैसे?

उसने कहा—सत्याग्रह-आश्रम में।

मेरी उत्सुकता बढ़ गई। हृदय में किसी ने कहा—"चलो, वहीं कल्याण है। वहाँ जाकर तुम अपने जीवन के साथ ही साथ, अपनी माता की कुक्षि को भी एक गर्वीले प्रकाश से प्रकाशित कर सकोगे।" मैंने कहा—"बताइए, सत्याग्रह-आश्रम कहाँ है? मैं उसमें जाकर अपना जीवन सार्थक करूँगा, अपनी शक्तियों को भेंट चढ़ा दूँगा। मेरा हृदय, आपकी बातों से बावला बन गया है, मेरा जीवन अपने आगे एक उज्ज्वल प्रकाश पा रहा है। बताइए और कृपापूर्वक बताइए वह सत्याग्रह-आश्रम। वहीं अब मेरा घर होगा।"

उसने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा और जेब से काग़ज़-पेन्सिल निकाल कर तथा कुछ लिख कर मेरे हाथ में दिया। फिर उसने कहा—तुम देवपुर सत्याग्रह-शिविर में जाओ, और वहाँ के अध्यक्ष को मेरा यह पत्र दे देना। शिविर यहाँ से ठीक पूर्व की ओर दो मील के अन्तर पर है।

इसके बाद वे अपनी साधना में फिर तन्मय हो गए। मैं उसी चाँदनी में पत्र लेकर चल पड़ा। मार्ग में मैंने उसे खोल कर पढ़ा; उसमें लिखा था:—

नदी का तट, १२ बजे रात

"प्रिय रमेश बाबू!

आज एक पथ-भ्रान्त नवयुवक को आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। आप इसके अन्तर में छिपी हुई शक्तियों को पहचानिए और उनका मोल कीजिए। यदि आप भूल न जाएँगे और इसका सुनहला भविष्य किसी भयङ्कर राहु-शनि के कारण अपने अस्तित्व को खो न देगा, तो इसमें सन्देह नहीं कि एक दिन इस नवयुवक के अन्तर में छिपी हुई क़ुर्बानियों के कारण भारत की राष्ट्रीयता जगमगा उठेगी और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यही सदा गूँज उठेगी कि, अमर × × × (मैं नाम नहीं जानता) ने भारत की गोद में जन्म लेकर अपना सच्चा कर्तव्य पालन किया। बस।

आपका,
—संन्यासी"

मैं मार्ग में बहुत भटकने के पश्चात् प्रातःकाल पत्र लेकर शिविर में पहुँचा। वहाँ अध्यक्ष को पत्र दिया। वे पत्र पढ़ कर तथा मुझे देख कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझसे किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं किया, केवल मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम उन्हें बता दिया। उन्होंने उसी समय स्वयंसेवकों के सरदार को बुला कर मेरा नाम सैनिकों में लिखवा दिया।

मैं काम करने लगा। मेरे साहस और हृदय की शक्तियों को देख कर शिविर के स्वयंसेवक तथा सैनिक और सरदार अत्यन्त प्रसन्न हुए। सबके ओठों पर हमारी सराहना के शब्द नाचने लगे। सभी के हृदय में हमारे प्रति एक सहृदय अनुराग जाग उठा, सब मुझे आदर-अनुराग की दृष्टि से देखने लगे।

एक दिन स्वयंसेवकों के सरदार ने मुझे बुला कर कहा—सत्याग्रह-शिविर से दो मील के अन्तर पर, पश्चिम की ओर, वीरभूमि एक गाँव है। वहाँ नमक-क़ानून तोड़ा जायगा। हमारी राय है कि वहाँ के जत्थे के सरदार आप बनें।

मैंने कहा—जैसी आपकी आज्ञा। मैं हर तरह से आज्ञा-पालन के लिए तैयार हूँ। सिपाही के लिए सरदार की आज्ञाओं का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है।

सरदार शान्त रहे। उनकी भाव-भङ्गी से मालूम हुआ, उन्होंने हमारे वचनों का स्वागत किया। निश्चित तिथि पर मैं आठ स्वयंसेवकों के साथ उस गाँव में भेजा गया। वहाँ पहुँच कर मैंने देखा, सिपाहियों का एक सशस्त्र दल नमक बनाने के स्थान पर खड़ा है। सिपाहियों की मनोवृत्ति को पहचान कर मैंने अपने सिपाहियों से कहा—बहादुर स्वयंसेवको, पशु-वृत्ति का कवच धारण किए हुए, गोरी सरकार के ये सिपाही आज तुम्हारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न करेंगे। देखना, तुम अपनी सात्विकता को छोड़ न देना। यदि तुम अपने सिद्धान्त और व्रत पर पर्वत की भाँति स्थिर रहोगे, तो इसमें सन्देह नहीं कि विजय-देवी तुम्हारे ही गले में जयमाल डालेगी।

सैनिक स्थिर हो गए। उनके मुखों पर अहिंसा के उज्ज्वल भाव झलकने लगे। उन्होंने बड़ी वीरता और धीरता से सहस्त्रों मनुष्यों के बीच में आग पर खारे पानी की कड़ाही चढ़ा दी। इधर नमक बन कर तैयार हुआ और 'नमक-क़ानून तोड़ डाला' की सदा लगी, और उधर सिपाहियों का दल स्वयंसेवकों के ऊपर बाज़ की भाँति टूट पड़ा। भीड़ तितर-बितर हो गई। मैंने आगे बढ़ कर सिपाहियों के आगे मस्तक झुका दिया। सिपाहियों ने भी नमक अदा करना आरम्भ किया। मैं अचेत होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं × × ×।

यह पहिली परीक्षा थी। इसमें मैं पास हुआ या फ़ेल, इसका निर्णय करना मेरा काम नहीं। मैं तो इसके सम्बन्ध में केवल यही कहूँगा कि यह सब अच्छा हुआ और हुआ भगवान की इच्छा से। भगवान ने स्वयं मेरी अँगुलियों को पकड़ कर मुझे इस दिशा की ओर खींचा, फिर मैं दोषी क्यों? फिर मेरे ऊपर तुम्हारे दुखों का पाप कैसे लद सकता है? बताओ और तुम्हीं बताओ! मुझे विश्वास है कि जिसने तुम्हारे शब्दों में बुढ़ापे की लकड़ी छीना है, वही तुम्हें एक सच्चे और सुन्दर केन्द्र पर जाकर स्थित करेगा।

इसके पश्चात् और देखो ! तुमने स्वप्न में उस देवी का दर्शन किया, उसने अपने अञ्चल को पसार कर करुणा की तुमसे भीख माँगी। इसे तुम क्या समझती हो ? भगवान की इच्छा या और कुछ ? मेरी समझ में तो मेरा सारा परिवर्तन भगवान की इच्छा से हुआ और हो रहा है। अतः तुम दुखी न हो, भगवान की सम्पूर्ण इच्छाएँ पवित्र और मङ्गलकारी होती हैं।

तुम भाग्यशाली और पुण्यवती हो, तुम्हारे सम्बन्ध से मैं भी भाग्यशाली और पुण्यवान हूँ ! ओह, वह स्वप्न-प्रतिमा, तुमने उसे देखा। मैं क्या बताऊँ ? वह देखें, कल्याणी शक्ति, सर्वस्व ! उनकी गोद में हिमालय जैसा पर्वत, गङ्गा-जमुना ऐसी पवित्र नदियाँ, राम-कृष्ण ऐसी सन्तान, गाँधी-जवाहर ऐसे त्यागी क्या नहीं ! शक्ति और वैभव, त्याग और तपस्या, साधन और संयम, आचार और विचार, सब कुछ। मानव जीवन के सारे उच्चतम आदर्श उसकी गोद में क्रीड़ा करते हैं। संसार की अन्यान्य जातियाँ, पृथ्वी के अन्यान्य राष्ट्र एक दिन उसके वैभव को देख कर हँसा करते थे, डाह करते थे। वह हँसती-खिलखती संसार-कानन में क्रीड़ा कर रही थी। उसकी सन्तान, उसके बच्चे—नहीं-नहीं, सारा संसार उसकी इस रूप में वन्दना करता था—

> स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का,
> प्रेम-मूल प्रिय लोक त्रयी का !
> सुललित प्रकृति नटी का टीका,
> ज्यों निशि का राकेश,
> जय-जय प्यारा भारत देश।

परन्तु आज उसका वैभव पराधीनता के पाप से ढँका है। उसके जीवन की मनोहर निधियाँ, हमारी अज्ञानता के कारण प्रकाशहीन होकर सिसक रही हैं। जहाँ देखिए वहीं अन्धकार, जहाँ ही देखिए वहीं वेदना की वर्षा। कहीं कोई रो रहा है, तो कहीं कोई पेट को पीठ से मिलाए हुए हाय-हाय की आवाज़ लगा रहा है। इसीसे—इसी वेदना के विषाद से, उसका वह स्वरूप—उसका वह स्वरूप आज आ रहा और उदास होकर केवल सूखी हड्डियों से बिहँस रहा है। वेदना उसके अङ्ग-अङ्ग में, करुणा उसकी नस-नस से धारा के समान फूट रही है। इस बत्तीस करोड़ निकम्मे नामर्दों की माता अपनी आँखों से आँसू बहावे और हम उसे देखें, जीते रहें। क्यों न इस विनश्वर शरीर का ख़ाक मिट्टी में मिल जाता ? आँखों से वेदना का चित्र तो न देखने को मिलता ! हा ! क्या कहूँ ? मेरी माता—भारत-माता—ग़रीब दुखिया, दरिद्री, × × × बस। शेष फिर कभी—

तुम्हारा,

—चरण

❀ ❀



## हमारी नई पहेली

### फिर २५) का नक़द पुरस्कार

नियम

(१) यह प्रतियोगिता 'भविष्य' के सभी पाठकों के लिए है। जो 'चाँद' के स्थायी ग्राहक हैं, वे 'भविष्य' के स्थायी ग्राहक नहीं समझे जायँगे। उन्हें भी अन्य पाठकों की भाँति 'भविष्य' का कूपन भेजना पड़ेगा।

(२) नीचे जो पहेली दी जाती है, वही पिछले तीन अङ्कों में दी जा चुकी है। पहेली में पाँच बड़े-बड़े ख़ाने हैं। इनमें से प्रत्येक में कई छोटे-छोटे ख़ाने हैं। छोटे ख़ानों के अक्षरों को मिला कर जो शब्द बनते हैं, उनके अर्थ ख़ानों के आगे लिखे हैं। आपको उन छोटे ख़ानों को भरना है, जो ख़ाली हैं।

(३) प्रत्येक पाठक जितने चाहे उत्तर भेज सकता है, परन्तु प्रत्येक उत्तर के साथ 'भविष्य' का छपा हुआ कूपन या उसके बदले ।) का टिकट अवश्य होना चाहिए। सब उत्तर पिन से टाँक कर एक ही लिफ़ाफ़े में भेजे जाने चाहिए। लिफ़ाफ़े में कोई पत्र न रखिए।

(४) लिफ़ाफ़े पर पता इस प्रकार लिखिए—

'भविष्य'—प्रतियोगिता विभाग,
चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

या—'Bhavishya' puzzle Deptt.
Chand Press, Ltd., Allahabad.

और उसे हमारे पास इस प्रकार भेजिए कि वह यहाँ ता० ३१ दिसम्बर तक हमें मिल जाय। बाद में आने वाले उत्तरों पर ध्यान न दिया जायगा। याद रखिए, लिफ़ाफ़े पर -) का टिकट लगेगा।

(५) अपने उत्तर की नक़ल कृपया अपने पास रख लीजिए।

(६) कटे-छँटे या संशोधित उत्तर नियम-विरुद्ध समझे जाएँगे।

(७) जिस पाठक का उत्तर हमारे उत्तर से मिल जायगा, उस पाठक को, यदि वह स्थायी ग्राहक होगा तो, नक़द २५) और अस्थायी ग्राहक होगा तो १५) नक़द पुरस्कार मिलेगा। एक से अधिक सही उत्तर होने पर पुरस्कार बराबर-बराबर बाँट दिया जायगा। यदि कोई उत्तर सही न होगा, तो सब से कम अशुद्धियों वाले उत्तर के लिए १५) की 'चाँद' कार्यालय की पुस्तकें स्थायी ग्राहक को और छः महीने के लिए 'भविष्य' अस्थायी ग्राहक को मिलेंगे।

(८) निर्णय का अधिकार प्रतियोगिता-सम्पादक को है। इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार न किया जायगा।

(९) चाँद प्रेस, लिमिटेड के कर्मचारियों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है।

यहाँ से फाड़िए

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मा | | | | | एक निकट सम्बन्धी |
| | स | | | | एक संख्या |
| प | | ना | | | एक नगर |
| म | हा | रा | | | देशी नरेशों का एक पद |
| म | | ह | र | | मन को हरने वाला |

कूपन नं० ४

ग्राहक-संख्या (यदि स्थायी ग्राहक हैं)
नाम
पता

मैंने 'भविष्य' की प्रतियोगिता के नियम पढ़ लिए हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनका पालन करूँगा और सम्पादक के निर्णय को स्वीकार करूँगा, तथा इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार न करूँगा। (जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा न करना चाहें, वे कृपया उत्तर न भेजें।)

यहाँ से फाड़िए

❀ ❀ ❀

[ हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ]

सन् १९३१ की गत १४वीं दिसम्बर ने भी माशा-अल्लाह, भारत के इतिहास में, अपने लिए एक महत्त्व-पूर्ण स्थान 'रिज़र्व' करा ही लिया। इसलिए हिज़-होलीनेस श्रीजगद्गुरु का फ़तवा है कि 'अनन्त-चतुर्दशी' के वज़न पर इसे 'ऑर्डिनेन्स-चतुर्दशी' की आख्या प्रदान की जाय और प्रति वर्ष इस महा पवित्र तिथि को 'ऑर्डिनेन्स-जयन्ती' के उपलक्ष में किसान-मेध यज्ञ हुआ करे।

❀

यद्यपि हमें यह दुःख ताक़यामत भी न भूलेगा कि श्रीमान बड़े लाट बहादुर ने इस बेज़ाब्ता ऑर्डिनेन्स-सहोदर श्रीमान द्वादश ऑर्डिनेन्स को आविर्भूत करने में पूरे अड़तालीस घण्टे की देर कर दी है, तथापि इन्होंने नई दिल्ली के सूतिकागार से निकलते ही कार्यारम्भ करके इस कथन को अच्छी तरह चरितार्थ कर दिया है कि—'होनहार बिरवान के होत चीकने पात!'

❀

अहा! क्या ही अच्छा होता, अगर इन बारहवें महीने के बारहवें बचुआ जी का जन्म चौदहवीं को न होकर दो रोज़ पहले—अर्थात् बारहवीं को ही हो गया होता! वल्लाह, बड़ा मज़ा आता और जो सौभाग्य-शाली इनके आग़ोशे-मुहब्बत में आते, उन्हें नौकरशाही शासन का मज़ा मिलने के साथ ही थोड़ा सा कविता का मज़ा भी मिल जाता और 'गोरस बेचन हरि-मिलन, एक पन्थ दो काज'—दान-लीला की यह पंक्ति भी सार्थक हो जाती।

❀

मगर जनाब, आपको तो दिल्लगी सूझी है। सच है कि 'बाँझ कि जान प्रसव कै पीड़ा!' कभी एक चुहिया भी प्रसव किया होता, तो मालूम होता कि प्रति मास एक-एक लम्ब-धड़ङ्ग हनूमान-दश सदुमदार ऑर्डिनेन्स प्रसव करने में क्या मज़ा मिलता है। अपने राम तो बलिहार हैं, उस 'कोख' पर! ख़ुदा जाने कमबख़्त इस्पात की बनी है या अष्टधात की!

❀

हनूमान ने जन्मते ही, सूर्य को कोई लाल रङ्ग का पका हुआ फल समझ कर निगल लिया था, जिससे थोड़ी देर के लिए सारे संसार में अन्धकार फैल गया। परन्तु अन्त में देवताओं की अनुनय-विनय सुन कर उगल दिया, जिससे बेचारे सूर्य की जान बच गई और बूढ़े विश्वनियन्ता दादा भी अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए दूसरा सूर्य गढ़ने की ज़हमत से बच गए।

❀

परन्तु ये अष्टधाती कोख से प्रति मास फुदक-फुदक कर निकलने वाले 'केसरीनन्दन-गण' तो लक्षणों से मालूम होता है, बेचारे भारत की सारी आशा-आकांक्षा और इहलोक-परलोक एक साथ ही निगल कर एकदम हज़म कर जाएँगे, जैसे एक पौराणिक ऋषि जी ने आतापी और वातापी नाम के दोनों भाइयों को पचा डाला था और डकार लेने की भी तकलीफ़ न की थी।

❀

बात यह है कि श्रीमान लाट साहब ने सारा चिकित्सा-शास्त्र मथ कर इनके अन्दर एक अजीबो-ग़रीब नमक सुलैमानी भर दिया है, जिसकी बदौलत इनकी जठराग्नि दोज़ख़ की आग को भी मात करने वाली हो गई है। इस नुस्ख़े से किसान-आन्दोलन ही नहीं, वरन् सारा किसान-कुल ही पचपचा कर स्वाहा हो जाएगा। बस, 'न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी!'

❀

मान लीजिए, चिरञ्जीव लल्ला स्कूल जाते समय बग़ल में बस्ता दबाए रमई महतो किसान की चौपाल की ओर से निकल गए और श्रीमती सखी नौकरशाही की दृष्टि में अपराधी साबित हो गए, तो फ़ौरन लल्ला की माँ और उनके बूढ़े पिता जी पकड़ कर जेल भेज दिए जाएँगे या न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट जुर्माने की रक़म चुकाने के लिए लल्ला की माता जी को अपना बुलाक़ बन्धक रख देना पड़ेगा!

❀

मगर अफ़सोस तो यह है कि इसे लोगों ने अन्धेर-नगरी के इतिहास-प्रसिद्ध अपूर्व न्याय की उपमा दे डाली है। अजी जनाब, आप किसान-टोली में भ्रमण करने वाला 'नालायक़' लल्ला पैदा करेंगे और न्याय से मुँह चुरावेंगे। भला यह कहाँ की भलमनसी है? अगर यही करना था तो सरकार से पूछ लेते कि कहिए, कैसा लल्ला पैदा करें?

❀

ख़ैर, न्याय-मूर्त्ति ऑर्डिनेन्सकार को यह अभीष्ट नहीं, कि कोई अकारण ही दण्डित कर दिया जाए, इसलिए अगर किसी लल्ला के ख़्याली जुर्म में उनके जनक और जननी पकड़े जाएँगे, तो उन्हें बरसरे इजलास अपनी सफ़ाई देने का काफ़ी मौक़ा दिया जाएगा। वे अपनी निर्दोषिता (!!!) का प्रमाण दे सकेंगे, अपने गवाह पेश कर सकेंगे और अपने वकील द्वारा 'आर्गूमेण्ट' करा सकेंगे।

❀

अर्थात् उन्हें अदालत के सामने यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि यह लल्ला हमारा नहीं है या इसे पैदा करने का उद्देश्य यह न था, कि यह किसान-टोली में भ्रमण करे। हमने तो केवल पिण्डा-पानी के लिए यह ज़हमत गवारा की थी, लेहाज़ा हम निर्दोष हैं। बस, इतना प्रमाणित करते ही आप की छुट्टी!!

❀

माशा अल्लाह, ऑर्डिनेन्स की यह धारा श्रीजगद्गुरु को बहुत पसन्द आई है। इससे अन्धाधुन्ध लल्ला पैदा करने वाले हज़रात अवश्य ही कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे और कदापि नालायक़ लल्ला न पैदा करेंगे। आपाततः किसान-आन्दोलन की जड़ में मट्ठा डालने के लिए यह धारा काफ़ी है।

❀

परन्तु श्रीजगद्गुरु की राय है कि इस सम्बन्ध में कोई स्थायी क़ानून बन जाना चाहिए और उसमें एक कुमार कार्त्तिकेय की तरह सुन्दर शान्त-शिष्ट और राज-भक्त लल्ला के रूप-रेखा का वर्णन होना चाहिए, ताकि लल्ला पैदा करने वाले लोग पहले ही से सावधान रहें और निर्दिष्ट रूप-रेखा के विपरीत लल्ला पैदा करने से बाज़ आएँ।

❀

आशा है, श्रीमान लाट साहब इस वृद्ध और जहाँ-दीदा नौकरशाही-सखा के इस 'लॉयल लल्ला बर्थ लॉ' सम्बन्धी समीचीन प्रस्ताव पर कृपा करके अवश्य विचार करेंगे। हमें विश्वास है कि अगर ऐसा क़ानून बन जाए, तो आए दिन की 'लल्ला-व्याधि' से श्रीमती नौकरशाही को सदा के लिए मुक्ति मिल जाय और श्रीमान लाट साहब का भी नाम अमर हो जाय।

❀

यद्यपि यह बात बावन तोले पाव रत्ती ठीक है कि लाट साहब ने प्रति मास एक-एक ऑर्डिनेन्स पास करके सभी भूतपूर्व गवर्नर जनरलों का 'रिकॉर्ड बीट डाउन' कर दिया है, तथापि अगर आप 'लॉयल लल्ला बर्थ लॉ' जारी कर सकें तो, माशा अल्लाह पूज्यपाद लॉर्ड क्लाइव और धर्म-धुरन्धर लॉर्ड वारेन हेस्टिङ्गस् को भी मात कर दें।

❀

अस्तु, परम प्रेयसी श्रीमती विजया भवानी की कृपा से गत १४वीं की रात को ही श्रीजगद्गुरु को मालूम हो गया कि श्रीमान लाट साहब के इस ऑर्डिनेन्स के पास करते ही संयुक्त प्रान्त के किसानों का घर क़ारूँ का ख़ज़ाना बन गया है और श्रीमती नौकर-शाही की तिजोरियों में खनाखन्न की बाढ़ आ गई है। सरकारी अहलकारों का चेहरा देखते ही किसान तोड़े लेकर दौड़ पड़ते हैं। घबराइए नहीं; सोने का भाव टके सेर होने में अब बाल भर भी देर नहीं है।

❀

फलतः इस सद्य फलप्रद ऑर्डिनेन्सी हनूमान के जन्मोत्सव में उस दिन लखनऊ की कौन्सिल में भी सस्वर मङ्गल-गान हुआ। यद्यपि मि० चिन्तामणि जैसे 'देखि न सकहिं पराइ विभूती' वाले मेम्बरों ने मङ्गलाशीर्वाद प्रदान करने के बदले बेचारे को कोसना ही आरम्भ कर दिया। परन्तु कुछ स्नेहमयी धात्रियों ने फ़ौरन 'राई-नून' का टोकरा उँडेल दिया। वरना ख़ुदा जाने, बेचारे बारहवें बचुए को नज़र लग जाने में ज़रा भी कसर नहीं रह गई थी।

❀

ख़ैर, इसके उपरान्त शुभाशीर्वाद की वर्षा आरम्भ हुई। स्नेहमयी धात्रियों ने दिल खोल कर बलाएँ लीं। 'जुग जुग जीवे रानी तोर झँड़ुलवा' की तुमुल ध्वनि से कौन्सिल-हाल का हाल बेहाल था। अन्त में, किन्तु रायबहादुर ठाकुर हनुमानसिंह से पहले, सरकार के सुयोग्य होम मेम्बर विद्वद्वर नवाब सर मुज़म्मिल उल्लाह ख़ाँ साहब ने मङ्गल गान आरम्भ किया और वल्लाह, सभी गानवतियों को मात कर दिया।

❀

आपने अपनी चिड़ियाख़ानवी अङ्गरेज़ी में ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता प्रतिपादित की और विश्वास दिखाया ( मालूम नहीं, ख़ुदा को हाज़िर-नाज़िर समझ कर या योंही ) कि ऑर्डिनेन्स का प्रयोग निहायत नर्मी से किया जाएगा—इसके भाव 'ऑफ़ेन्सिव' नहीं, वरन् 'डिफ़ेन्सिव' होंगे।

❀

इसके बाद आपने अपनी टूटी-फूटी अङ्गरेज़ी भाषा के लिए क्षमा-प्रार्थना करते हुए कह डाला कि मैंने किसी स्कूल में जाकर अङ्गरेज़ी नहीं पढ़ी है। अच्छा किया, वरना नाहक़ गवर्नरी की ज़हमत उठानी पड़ती। और नहीं तो क्या, जब बिना स्कूल में पढ़े ही होम मेम्बरी मिल गई तो पढ़ने पर तो कहाँ पहुँच जाते, ख़ुदा ही जाने!

❀

ख़ैर, आपने अपने 'क्वालिफ़िकेशन' की बानगी दिखा कर इस बूढ़े भङ्गड़ का बड़ा उपकार किया। बस, अबकी जहाँ कोई होम मेम्बरी की जगह ख़ाली हुई कि अपने राम भी बड़ा सा दरख़्वास्त लेकर पहुँचे। क़सम ख़ुदा की, हम तो जानते थे कि इस गौरवपूर्ण पद के लिए पढ़ा-लिखा होने की आवश्यकता है। इसी से अब तक उधर ख़याल नहीं दौड़ाया, वरना यह क़लम-घिसौनी थोड़े ही करते।

❀

ख़ैर जनाब, होम मेम्बर साहब की इस क़ुर्बान जाने वाली सादगी और स्पष्टवादिता पर श्री० चिन्तामणि साहब भी रीझ गए और ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता आपकी समझ के अन्दर सट से समा गई। आपने अधिवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव वापस ले लिया। फलतः यह समझ की तीक्ष्णता भी होम मेम्बर मियाँ की स्पष्टवादिता की भाँति ही क़ाबिले-दाद रही।

* * *

# बातचीत

## एजेण्टों से—

हमें ११-१२-३१ से १७-१२-३१ तक निम्न-लिखित एजेण्टों का रुपया बिक्री के हिसाब में मिला है। अभी तक 'चाँद' की बिक्री का रुपया नहीं मिला है। एजेण्टों को चाहिए कि शीघ्र ही वह भी भेज दें :—

| नम्बर | नाम एजेण्ट | प्राप्त रक़म |
|---|---|---|
| १ | मे० सिं० कं०, अलीगढ़ | ३५) |
| २ | श्री० ल० रा०, बरेली | ४॥≡) |
| ३ | श्री० क० सिंह वर्मा, बिजनौर | ५॥=) |
| ४ | श्री० दु० चं०, इन्दौर | ३०) |
| ५ | श्री० प० दु०, इटारसी | ८॥≡) |
| ६ | श्री० रा० न० दी०, इटावा | २५) |
| ७ | श्री० ग० सिं० जी, जौनपुर | २२॥) |
| ८ | श्री० बी० एल० नि०, लखनऊ (चेक से) | ३५॥।-) |
| ९ | मे० मो० ला० हु० चं०, हरद्वार | ८॥=) |
| १० | श्री० ब० प्र०, देवरिया | १०) |
| ११ | श्री० ल० बु० डि०, हरीसन रोड,कलकत्ता | ३०।≡) |
| १२ | मेसर्स ल० न० सी, कुर्सियोंग | ८॥=) |
| १३ | श्री० प० रा० जा०, जम्होर | १०) |
| १४ | श्री० न० झा०, समस्तीपुर | १०) |
| १५ | श्री० म० प्र० खत्री, बलरामपुर | २८=) |
| १६ | मेसर्स मो० ही०, अल्मोड़ा | २५) |
| १७ | श्री० एस० आर० सि०, बाराबङ्की | ७॥।=) |
| १८ | श्री० वि० प्र०, आज़मगढ़ | ५) |
| १९ | मेसर्स सू० न० ति० ऐ० ब्र०, फ़ैज़ाबाद | १०) |
| २० | मेसर्स बा० म०, बारधा | ७॥) |
| २१ | मेसर्स हु० जी०, हिंगनघाट | ३॥।) |
| २२ | मेसर्स म० प्र० रा०, होशङ्गाबाद | १०) |
| २३ | श्री० एन० एस० का, नागपुर | ७॥) |
| २४ | श्री० चं० आ०, आगरा | ३७) |
| २५ | श्री० ला० मो० जी, सुल्तानपुर | १८।=) |
| २६ | श्री० ति० रा० जी, पटना सिटी | १५) |
| २७ | श्री० रा० दी०, फ़र्रुख़ाबाद | ८।) |
| २८ | श्री० रा० म० पु०, दमोह | १८॥।) |
| २९ | श्री० सु० वर्मा, खैरागढ़ | ३) |
| ३० | मेसर्स ब० प्र० प० ला० गुप्त, आज़मगढ़ | १७) |
| ३१ | श्री० म० प्र० गुप्ता, क़न्नौज | ५) |
| ३२ | श्री० ह० प्र० शर्मा, एटा | ९।=) |
| ३३ | श्री० गौ० शं० मि०, भरतपुर | २३=) |
| ३४ | श्री० ज्यो० प्र०, सहारनपुर | ६) |
| ३५ | श्री० स० खन्ना, जालन्धर सिटी | ३॥।) |
| ३६ | श्री० म० सिं० जैन, नई देहली (बीमा से) | ७५) |
| ३७ | श्री० ब० प्र०, गया (चेक से) | ३३॥।) |
| ३८ | श्री० रा० दा० साहु, गाज़ीपुर | २२॥।) |
| ३९ | श्री० क० ला० शर्मा, खुर्जा | १०) |
| ४० | श्री० आर० एच० बर्मा, कल्यान | ७) |
| ४१ | मेसर्स के० डी० क० ऐ० ब्र०, नैनीताल | ३-) |
| ४२ | श्री० अ० प्र०, आरा | १४॥=) |
| ४३ | श्री० रा० न० चौबे, अजमेर (बीमा से) | ५०॥।=) |
| ४४ | मेसर्स गौ० ब्र०, कानपुर (चेक से) | १२६॥) |

## ग्राहकों से—

निम्न-लिखित ग्राहक-नम्बर के ग्राहकों को आगामी सप्ताह के 'भविष्य' का अङ्क वी० पी० से भेजा जाएगा। आशा है, वी० पी० स्वीकार कर कृतार्थ करेंगे :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| १४७० | २४०४ | १२७१ | २४२२ |
| १७७५ | २८५६ | १७८० | २८५७ |
| १७८१ | २८५९ | १७८२ | २८६३ |
| १७८४ | २८६५ | २८६६ | ३०८४ |
| ३१०४ | ३१०५ | ३१०६ | २७९६ |
| १७७९ | १८४८ | | |

निम्न-लिखित ग्राहकों के पते बदल दिए गए हैं :—

३००२, १४९५, २०९७, १८८५, २८११

निम्नाङ्कित ग्राहकों को निम्न-लिखित अङ्क दुबारा भेजे गए हैं।

५७ वाँ—२९९१
५८ वाँ— २८३०, ३०४८
५९ वाँ—१००९, ११२७
६० वाँ—१२११, २४१४, और २६५६

हमें ११-१२-३१ से १७-१२-३१ तक 'भविष्य' के नीचे लिखे अनुसार पुराने ग्राहकों का रुपया प्राप्त हुआ है, ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म इस प्रकार है—

| ग्राहक-नम्बर | प्राप्त रक़म |
|---|---|
| ३१३८ | ३॥) |
| २७९३ | ६॥) |
| १४०१ | १२) |
| २८०५ | ३॥) |
| ३०१९ | ३॥) |
| ३०८८ | ३) |
| १६३९ | ६) |
| १५१२ | १२) |
| १६७३ | १२) |
| १७४० | १२) |

११-१२-३१ से १७-१२-३१ तक नीचे लिखे अनुसार 'भविष्य' के नए ग्राहक बने हैं, उनके ग्राहक नम्बर तथा चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है। ग्राहकों को चाहिए कि अपना ग्राहक-नम्बर नोट कर लें तथा पत्र आदि भेजते समय इसे अवश्य ही लिखा करें, ताकि उनके लिखे अनुसार कार्यवाही की जा सके :—

| ग्राहक-नम्बर | नाम व पता | प्राप्त रक़म |
|---|---|---|
| ३३३० | श्रीमती सौभाग्यमनी देवी, जोधपुर, ( मारवाड़ ) | ६॥) |
| ३३३३ | श्री० जे० सी० हालदार, कोतवाली, इलाहाबाद | १२) |
| ३३३५ | मेसर्स फ़क़ीरचन्द रामपाल, मेडान, सुमात्रा | १०) |
| ३३३८ | सेठ टेकीचन्द चेलाराम, ख़ैरपुर | १२) |
| ३३३९ | श्री० भोलासिंह खत्र, गिर्द, वर्धा, सी० पी० | १२) |
| ३३४० | बाबू शङ्करदयालसिंह,चौक,अपर वर्मा | ६) |
| ३३४१ | लाला शान्तिप्रकाश रस्तोगी, सीयाना,बुलन्दशहर | ६) |
| ३३४२ | श्री० सेक्रेटरी महोदय, सेवा-समिति पब्लिकला०, रानी कटरा, लखनऊ | ५) |
| ३३४३ | श्री० ऑनरेरी सेक्रेटरी महोदय, गुमला लायब्रेरी, गुमला, राँची | ६॥) |

❀ ❀ ❀

# कौन ऐसा शिक्षित परिवार है,

## जिसमें  न जाता हो ?



'चाँद' जैसे पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना—जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए, और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) है, अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी। ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ?

## दिसम्बर, १९३१ की विषय-सूची

लेख — लेखक



इसके अतिरिक्त ३ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र ( आर्ट पेपर पर ), अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो किसी और पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

☞ चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक—इलाहाबाद

पृष्ठ-संख्या ३५० ; सचित्र तथा प्रोटेक्टिङ्ग-कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) रु०

स्थायी ग्राहकों से २।) मात्र ; पुस्तक का तीसरा संशोधित संस्करण छप कर तैयार है।

[ लेखक श्री० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० ए० ]

# कुछ प्रतिष्ठित पत्रों की सम्मतियाँ

**The Leader:**

The book was noticed in the LEADER when its first edition appeared in 1924. Since then it has gone through two more editions, which shows that the public has appreciated the value of the book. It deals with almost every aspect of widow remarriage. The revised edition contains more matter than the first, and the printing and get-up also show great improvement. Some illustrations have also been added which add to the beauty of the book.

**The Indian Social Reformer:**

It is a neatly printed volume of more than 350 pages with six Plates, the price being only Rs. 3. In his introduction to the book Mr. Ramrakh Singh Saigal has given some statistics of maidens, married women and widows in the different countries, showing also that the number of widows in India has not decreased during the years 1881 to 1911. Mr. Upadhyaya has considered the subject of widow-marriage from many points of view. He has shown from many a quotation from the *Shrutis* and *Smritis* how the Hindu religious books do not place a ban on the remarriage of widows. He has copied the Hindu Widows Remarriage Act, 1856, for the information of the reader, and considered all the arguments against widow-marriage. The Chapters describing the social degeneration due to the prohibition to remarrying as well as the wretched condition of widows, are quite touching. The writer has also appended the opinions of some of our leaders such as the late Pandit Ishwara Chunder Vidyasagar, Mahatma Gandhi, Pandit Krishnakant Malaviya and Swami Radhacharan Goswami. Thus the book is well worth a perusal by all people interested in the amelioration of the condition of widows.

**प्रताप :—**

जाति कैसे भला न डूबेगी, किस लिए जाय बहन दे खेवा !
जब नहीं सालती कलेजे में, चार और पाँच साल की बेवा !!

भारतवर्ष में विधवाओं की दशा कैसी दयनीय है, यह किसी से छिपा नहीं है। जहाँ समाज में अनेकानेक घुन हैं, वहाँ विधवा भी समाज की अधोगति का एक प्रमुख कारण है। विधवा-विवाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादास्पद विषय है। इसकी पुष्टि तथा खण्डन पर बहुत सी वक्तृताएँ दी गई हैं, समाचार-पत्रों में प्रचण्ड आन्दोलन हुआ है तथा पर्याप्त पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। परन्तु वास्तव में शास्त्रीय ढङ्ग से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है। हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, जो पढ़े-लिखे विचारशील पुरुषों को आकृष्ट तथा प्रभावान्वित कर सके। प्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों में पूर्ण करती है। पुस्तक चौदह अध्यायों में विभक्त है। प्रायः सभी अङ्गों पर विवेचन किया गया है। आवश्यकतानुसार शास्त्रों के अवतरण भी दिए गए हैं। स्थानाभाव से हम उनका पूर्णरूपेण विवेचन करने में असमर्थ हैं। इस विषय पर महान् पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक की महत्ता और भी बढ़ा दी गई है। लेखक के चित्र के अतिरिक्त अन्य कई रङ्गीन करुणात्मक और विनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम तथा अध्यवसाय से विधवाओं की संख्या सम्बन्धी तालिकाएँ देकर विषय को और भी हृदयग्राही बना दिया है। अन्त में मर्मस्पर्शी कविताओं का सङ्कलन है। कुछ कविताएँ हृदय-सागर में उथल-पुथल मचा देने वाली हैं। उदाहरणार्थ :—

रोती है इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जाती हैं !
क्या समझे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं ! इत्यादि।

देखिए ! बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के कुछ शब्द हमें अच्छे मालूम हुए। पाठकों के अवलोकनार्थ अवतरित करते हैं—"पातिव्रत्य धर्म क्या है ? जो बहिनें इसका महत्व जानती हैं अथवा जो दाम्पत्तिक प्रेम का भली-भाँति अनुभव कर चुकी हैं—जो बहिनें जानती हैं कि भारतीय विवाह-प्रणाली अन्य यूरोपियन देशों के समान काम-वासना की तृप्ति का साधन मात्र अथवा "Matrimonial Contract" नहीं है, बल्कि स्त्री और पुरुष की दो भिन्न-भिन्न आत्माओं को एक में मिल कर मोक्ष प्राप्ति का एक अनुष्ठान और गृहस्थ-जीवन में रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है—उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वे साक्षात देवी हैं और हमें उनके पवित्र चरणों में श्रद्धा है। ऐसी विधवाओं के पुनर्विवाह की कल्पना करना भी हम अपनी माता का घोर अपमान करना समझते हैं। हम जानते हैं कि पातिव्रत्य धर्म का पालन करने और पुनर्विवाह के सिद्धान्त में कौड़ी और मोहर का अन्तर है, पर आपद्धर्म भी कोई चीज़ है।" और इसी आपद्धर्म में विधवा-विवाह न्याय-सङ्गत और आवश्यकीय बतलाया है।

अन्त में हम श्रीमती सहगल को महिला-समाज-सेवा के लिए अनेक साधुवाद देते हैं। पुस्तक की छपाई के लिए 'चाँद-कार्यालय' का नाम पर्याप्त है। हम पुस्तक का प्रचार चाहते हैं।

☛ व्यवस्थापक—चाँद-प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Edited, Printed and Published for and on behalf of the Chand Press, Limited, by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.